तृतीय माला, खण्ड १४--अंक १५

शुक्रवार, ८ मार्च, १९६२
१७ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १४ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या ३२२ से ३२६, ३२८ से ३३२, ३३४ और ३३५ . १३६५—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३२७, ३३३ और ३३६ से ३४१ . १३९१—९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६२१ और ६२३ से ६३६ . . १३९६—१४११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

६ मार्च, १९६३ को पुलिस के टाउन हाल तक पहुंचने में विलम्ब १४१२—१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १४१५

विधेयक पर राय १४१५

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन । . . १४१५–१६

विधेयक पर साक्ष्य . . १४१६

लोक लेखा समिति . १४१६

सातवां प्रतिवेदन ।

सभा का कार्य . . १४१६—२०

ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक . . १४२०

संयुक्त समिति के लिए सदस्यों की नियुक्ति ।

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . १४२०—४३

श्री सुब्बरामन् १४२०–२१

श्री कोया १४२१

श्री सें० वें० रामस्वामी . . . . १४२१—२४

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा . . . १४२४–२५

श्री बड़े . . १४२५—२८

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा . १४२८

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी . १४२८—२९

श्री रा० स० तिवारी १४२९—३१

श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह . . १४३१–३२

डा० सरोजिनी महिषी १४३२

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, ८ मार्च, १९६३/१७ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का शामिल होना

+

श्री रा० गि० दुबे :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती विमला देवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री हेडा :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

†*३२२. श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री मुरारका :
डा० मा० श्री० अणे :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कजरोलकर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

†मूल अंग्रेजी में

03 I (A) LSD—I.

श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या वाजिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने में गत्यवरोध के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति की दृष्टि से सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार प्रमुख राष्ट्रों के साथ सीधे ही सम्पर्क स्थापित करने का है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के शामिल होने के प्रश्न पर सरकार का दृष्टिकोण सभा में कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। ब्रुसेल्स में बातचीत भंग हो जाने का यह प्रभाव हुआ है कि भारत को भारत-ब्रिटेन व्यापार करार १९५९ के अधीन ब्रिटिश बाज़ार में दोनों प्रकार की बनी तथा अनबनी अपनी वस्तुएं मुफ्त भेजने का अधिकार होगा। छहों यूरोपीय साझा बाजार के देशों में भारतीय व्यापार कम रहेगा तथा यह समस्या संबंधित देशों द्वारा बनाई गई शर्तों के द्वारा हल की जायेगी, जिस से भारत से अधिक निर्यात होगा। भारत सरकार सम्बन्धित देशों से बार बार यह बात कह रही है तथा कहती रहेगी।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के छहों देशों से विस्तृत करार के प्रश्न पर बातचीत हो रही है।

†श्री रा० गि० दुबे : क्या सरकार का ध्यान नीदरलैंड के मुख्य प्रतिनिधि द्वारा गत वर्ष के मनीला सम्मेलन में दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया है कि वास्तव में बहुत से अल्प-विकसित देशों से निर्यात व्यापार २० प्रतिशत बढ़ा है तथा वे शीघ्र ही वैदेशिक शुल्क कम करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : यह कम हो गया है। मेरे मित्र की बात में कुछ ग़लती है। अल्प-विकसित देशों का व्यापार कम हो गया है तथा औद्योगीकृत देशों का व्यापार बढ़ गया है।

†श्री रा० गि० दुबे : यूरोपीय साझा बाजार सम्बन्धी समझौते के अन्ततः असफल हो जाने पर क्या भारत अमरीका के परामर्श से कोई वैकल्पिक योजना पर विचार कर रहा है क्योंकि अमरीका भी यूरोपीय साझा बाजार तथा उन की नीतियों के विरुद्ध है ?

†श्री मनुभाई शाह : प्रश्न उलझनपूर्ण है। बात यह है कि हमें ब्रिटेन तथा यूरोपीय साझा बाजार के छहों देशों की बातचीत को पूरी तरह असफल हो जाने तक प्रतीक्षा करनी है। भारत ने अपनी नीति स्पष्टतः बता दी है कि हम यूरोपीय समुदाय के देशों से सीधे बात कर रहे हैं।

†श्री रामेश्वर टांटिया : यदि ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार में शामिल न हो तो हमारा निर्यात बढ़ेगा अथवा कम होगा ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं ने मुख्य उत्तर में यही बताया था कि १९३९ की सन्धि के अनुसार ही हम निर्यात करते रहेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या यूरोपीय साझा बाजार के छहों देशों से हमारा व्यापार खराब तो नहीं हो गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां । भारत पर बड़ा खराब असर पड़ा है । केवल जर्मनी में ही लगभग ८० प्रतिशत घाटा हो जायेगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या भारत का सहयोग लेने के लिए कोई नये प्रस्ताव पेश किए गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बातचीत को असफल हुए इतना कम समय हुआ है कि अभी यह आशा नहीं की जा सकती कि इतनी जल्दी कोई बात होगी ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश का पूर्वानुमान से भारत सरकार ने ब्रिटन के साथ मिल कर यूरोपीय साझा बाजार वर्ग से बातचीत की थी तथा क्या उचित शर्तें पेश की थीं ? क्या असफलता के बाद ये शर्तें समाप्त हो गई थीं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इन सभी शर्तों पर बातचीत हुई थी । उस समय भी मैं नहीं समझता कि वह उचित थीं अथवा अनुचित थीं । सभी प्रशुल्कों से भारतीय व्यापार को हानि होगी । हमारा यही प्रयत्न है कि यूरोपीय साझा बाजार समेत सभी औद्योगीकृत देशों को बाध्य किया जाये कि अल्प-विकसित देशों के निर्यात के लिए विश्व व्यापार में उदारता बरतें ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में शामिल न होने पर ऐसी आशा है कि हमारी यूरोपीय साझा बाजार के देशों से अलग सन्धि हो सके ?

†**श्री म ुभाई शाह** : यह काम सन्धि करार का एक भाग है । यूरोपीय साझा बाजार के छहों देशों से शेष विश्व के देशों में विस्तृत करार पर बातचीत होनी है कि बढ़ा हुआ यूरोपीय समुदाय बने अथवा नहीं ।

†**डा० मा० श्री अणे** : क्या ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में शामिल न होने पर किसी देश ने कोई रियायत देने का वायदा किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्राथमिक उत्पादों तथा भारतीय चाय और कुछ नारियल जटा उद्योगों पर प्रशुल्क न लगने पर चर्चा हुई थी और हम आश्वासित से हो गये थे । परन्तु अन्ततः क्या होगा यह उन देशों से होने वाले हमारे समझौते पर आधारित होगा ।

†**श्री हेडा** : समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से मालूम होता है तथा माननीय मंत्री ने भी बताया है कि यूरोपीय साझा बाजार के देशों से बातचीत हो रही है । यह बातें फिर किस स्थिति में हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा को पूरी तरह जानकारी है कि ब्रूसेल्स में हमारे राजदूत तथा युरोपीय साझा बाजार में प्रतिनिधि-लगातार बातचीत करते हैं । माननीय वित्त मंत्री भी अपने हाल के दौरे में छहों देशों के वृद्ध नेताओं से हाल के अपने दौरे में मिले थे और इस प्रकार की बातचीत करते रहे । वास्तव में सभी मामला स्पष्ट हो जाने पर विस्तृत करार होगा ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : ब्रिटेन के शामिल होने के सम्बन्ध में यूरोपीय साझा बाजार वार्ता असफल हो जाने के बाद क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं जिससे भारत के लिये आधी शर्तें आ सकें तथा किन वस्तुओं के लिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री मनुभाई शाह** : हम सब से पहले निर्मित वस्तुओं, अर्द्ध निर्मित वस्तुओं तथा प्राथमिक उत्पादों पर ध्यान दे रहे हैं और हमारा प्रयत्न है कि भारत के समान उत्पविकसित देशों जो औद्योगीकरण की ओर बढ़ रहे हैं के साथ उदार व्यवहार हो।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : यूरोपीय साझा बाजार वार्ता की समाप्ति के बाद यूरोपीय साझा बाजार देशों को सीधा निर्यात करने में हमारी क्या स्थिति है ? क्या यह पहले जैसा ही है अथवा व्यापार समझौते के अनुसार हो रहेगा अथवा रद्द हो जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : व्यापार उसी प्रकार होता रहेगा परन्तु इससे लगभग ६ करोड़ रुपये का घाटा आ गया है जिसको हमें बड़ी चिन्ता है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि हाल में ही ब्रिटेन ने संकेत दिया है कि भारत को तथा अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों को जो सुविधायें अब तक प्राप्त थीं उनको आयात वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के मामले में रद्द कर दिया जायेगा और यदि हां, तो क्या सरकार ने हमारी निर्यात नीति पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें इसकी जानकारी नहीं है।

†**श्री बड़े** : क्यों कि यूरोपीय साझा बाजार के देश हमें कोई रियायत नहीं दे रहे हैं तो क्या हम इन देशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर अत्यधिक प्रशुल्क लगाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : इस देश की सरकार ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है। वास्तव में इस देश की व्यापार शक्ति निर्यात का ऊंचा तय करेगी और हम अपना निर्यात बढ़ाने के लिये कठोर प्रयत्न करेंगे।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय** : यूरोपीय साझा बाजार वार्ता भंग हो जाने के कारण वस्त्र निर्यात की हमारी क्या स्थिति होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समय यूरोपीय साझा बाजार का हमारे वस्त्र निर्यात पर कोई असर नहीं हुआ है।। परन्तु विश्व के सभी आयात में कपड़ा सबसे सीधा उद्योग है। विशेषतः अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप के नये विकासवान देश अपने बिजली के करघे, तथा कताई और वस्त्र उद्योगों का विकास कर रहे है और न देशों से हमारी अधिक प्रतिद्विन्दिता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्यों कि इस निर्णय में समय लगेगा तथा हमारे निर्यात पर असर पड़ेगा, क्या समाजवादी बाजार में समाजवादी देशो की सहायता से निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सभा को कितनी ही बातें बता चुका हूं। सभा जानती है कि यूरोपीय साझा बाजार देशों में व्यापार करार होने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं क्यों कि इसमें समय लग सकता है। इस बीच हम अपना समय बरबाद नहीं कर रहे हैं तथा निर्यात बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं, जैसे वस्तुयें, व्यापार करार, वस्तु विनिमय आदि पर विचार कर रहे हैं। सच यह है कि पश्चिम यूरोप के लिये हमने एक अलग से निर्यात संवर्द्धन परिषद् बना ली है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या हम समाजवादी देशों से अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यावाही की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : किया जा रहा है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछना चाहते हैं मैंने उन्हें मना कर दिया परन्तु माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया ।

†श्री मनुभाई शाह : मुझे खेद है ।

अबाध व्यापार पत्तन

†*३२३. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अबाध व्यापार पत्तन स्थापित करने का विचार छोड़ दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रयोजन के लिये प्रस्तावित पत्तन कौन से हैं ; और

(ग) इन पत्तनों द्वारा मंगाने या भेजे जाने वाली प्रस्तावित वस्तुयें कौन सी हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). कांडला में निर्बाध व्यापार प्रखण्ड करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है । निर्णय हो चुकने के पश्चात् सामग्रियों और उद्योगों के नाम तय किये जायेंगे ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : पिछले अवसर पर भी माननीय मंत्री ने बताया था कि मामला विचाराधीन है । सरकार को अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के लिये कितना समय लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अब इस पर अधिक समय नहीं लगना चाहिये ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्यों कि सरकार वहां निर्बाध व्यापार प्रखंड स्थापित करने वाली है वहां निर्यात को एवं आयातकों के लिये किन विशेष सुविधाओं का प्रबन्ध किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : साधारणतया जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रसिद्ध है, निर्बाध व्यापार का अर्थ यह होता है कि निश्चित किये गये स्थानों में चाहे कुछ भी माल आये, उसे प्रशुल्क तथा सीमा शुल्क के बिना आने दिया जायेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्रालय का मत कांडला निर्बाध व्यापार प्रखंड के बारे में प्राप्त किया गया है, और इसे अन्तिम रूप देने में इतना विलम्ब क्यों किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह चलाने वाला मंत्रालय है । दोनों मंत्रालयों के संयुक्त सहयोग से समूचे विषय पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री त्यागी** : निर्बाध व्यापार पत्तन का क्या लाभ होगा ? क्या सोना आदि वस्तुओं का भी इस में आयात किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सोना बिल्कुल भिन्न है । यह मदों में शामिल नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या कोई प्रतिबन्ध है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां ।

†**श्री त्यागी** : क्या प्रतिबन्ध है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं यह उत्तर में बता चुका हूं । वस्तुयें उनके निर्यात संवर्धन के आधार पर चुनी जायेंगी ।

सरकारी उपक्रम

†*३२४. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी उपक्रमों में मितव्ययता और बचत के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ; और

(ख) क्या अपेक्षित ब्योरा देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

मैं प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर में २५ जनवरी १९६३ को मा० वित्त मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण तथा दिये गये उत्तर की ओर मा० सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी गई थी कि केवल अत्यावश्यक कार्य भी निम्नतम व्यय के साथ जारी रखा जाये और वे सब काम, यदि सीधे प्रतिरक्षा प्रयत्नों से सम्बन्ध नहीं, चाहे वह अन्यथा कितना भी वांछनीय क्यों न हो इस समय स्थगित कर दिया जाय ।

विविध मंत्रालयों द्वारा अपनाये गये अन्य मितव्ययता बचत उपायों की ओर भी सराकारी उपक्रमों का ध्यान समय समय पर दिलाया जा रहा है, ताकि वे यथासंभव उन उपायों को कर सकें ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : विवरण में २४ जनवरी १९४३ को सभा-पटल पर रखे गये अन्य विवरण का उल्लेख है जिसमें यह बताया गया था कि मंत्रालयों को स्थिति को सोद्देश्य पुनर्यरीक्षण करने की सलाह दी गई है तथा एक उच्च-स्तरीय समिति.....

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुपूरक बड़े संक्षिप्त होने चाहिये ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या मितव्ययता करने के लिये नियुक्त की गई अन्तर्विभागीय समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ? यदि हां, तो क्या वह प्रतिवेदन सरकारी उपक्रमों पर भी लागू होता है ? यदि हां, तो क्या उन उपक्रमों उपायों को कार्य रूप में परिणत किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : गृह कार्य सचिव के सभापतित्व में समिति लगातार इस काम में लगी रही है । सरकारी क्षत्र के उपक्रम उन के क्षेत्राधिकार में आते हैं । उनकी सिफारिशें लगातार आती रहेंगी । ज्यों ही काफी सिफारिशें प्राप्त हो जायेगी, सभा को सूचित किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी: सभा पटल पर रखे गये विवरण में उल्लिखित विवरण में हमें बताया गया था कि विशेषत: बिजली की बचत करने के उपाय किये गये हैं। और अफसरों को इस बारे में सख्त होने के लिये कहा गया है कि बिजली बेकार न जाये। क्या माननीय मंत्री बता सकेंगे कि सरकारी उपक्रमों में अफसरों द्वारा बिजली तथा अन्य चीजों का कितना प्रयोग किया जाता है और क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कड़े उपाय किये गये हैं और क्या इस मामले में भी मंत्रियों द्वारा आदर्श प्रस्तुत किये जा रहे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा मैंने बताया, ज्यों ही हम किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुचेंगे और निर्णयों को कार्यान्वित करेंगे, हम अवश्य ही, सभा पटल पर सूचना रख देंगे और सभा को बतायेंगे कि क्या मितव्ययता की गई है, न कि बिजली के उपयोग में किन्तु स्टोरों की खपत में, पूंजी को देश में लाने, इमारतों की निर्माण लागत आदि में भी बचत की गई है। मितव्ययता उपाय बहुत सी दिशाओं में बड़े पैमाने पर फलने वाले हैं।

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस की कब तक अपेक्षा की जाती है ?

†श्री हरि विष्णु कामत : सभा पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि "विविध मंत्रालयों द्वारा अपनाये गये अन्य मितव्ययता तथा बचत उपायों की ओर भी सरकारी उपक्रमों का ध्यान दिलाया जा रहा है।" क्या सभा यह समझें कि उन उपायों के अन्दर मंत्रियों के निवास स्थानों में जल, बिजली और फर्नीचर की खपत के बारे में निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा हाल में किया गया उपाय शामिल है, जो इतनी बुरी तरह असफल रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं इस बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकता।

†श्री हरि विष्णु कामत : जब वह उत्तर नहीं दे सकते, तो इस का क्या लाभ है ?

†अध्यक्ष महोदय : श्री कामत को जानना चाहिये कि वह प्रश्न संभरण तथा आवास मंत्रालय का है। मितव्ययता से इस मंत्री का सम्बन्ध नहीं। वह केवल सरकारी उपक्रमों तथा उन में की गई मितव्ययता का उत्तर दे रहे हैं। अत: वह इस समय उत्तर नहीं दे सकते। अन्य किसी अवसर पर वह प्रश्न रखा जा सकता है।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रीगण के खर्च में भी कोई कटौती करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : वह पब्लिक अंडरटेकिंग्स नहीं हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में बताया गया है कि वे सब कार्य जिनका सीधे प्रतिरक्षा कार्यों से सम्बन्ध नहीं, चाहे वे कितनी भी वांछनीय क्यों न हों, इस समय स्थगित कर दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ व्यय अवश्यम्भावी हैं, जिन का प्रतिरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं, और क्या उन को भी समाप्त किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : सब अत्यावश्यक योजना विकास कार्यक्रम, जो अर्थ व्यवस्था की वृद्धि के लिये लाभदायक हैं, जो प्रतिरक्षा के लिये इतने जरुरी हैं जितने कि अर्थव्यवस्था के लिये, जारी रहेंगे । जहां फालतू खर्च है, विशेषतः मकानों के निर्माण पर, वहां हम बड़े कड़े होंगे ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : क्या संगठन तथा तरीका प्रभाग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामों की समीक्षा कर रहा है और यदि हां, तो किन किन उपक्रमों की समीक्षा की जा चुकी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सरकारी उपक्रमों में मितव्ययता की अपनी समितियां हैं और संगठन तथा तरीका प्रभाग अधिकांशतः प्रशासनिक मामलों के लिये हैं, किन्तु इस से संगठन तथा तरीका विभाग को एक परियोजना के बाद दूसरी परियोजना को लेने में कोई रुकावट नहीं है । इस समय इन सरकारी उपक्रमों के लिये हमारे अपने मितव्ययता उपाय हैं । हमारी समन्वयकारी समिति है और वह इस बात की ओर ध्यान देती है ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या सरकार द्वारा १० प्रतिशत तक निश्चित कटौती का कोई निश्चित सुझाव या सिफारिश थी, जैसा कि सरकार के विविध विभागों को वित्त मंत्री की मंत्रणा प्रतीत होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है । वित्त मंत्री ने प्रत्येक मंत्रालय को कहा है तथा मंत्रियों को निजी पत्र लिखे हैं कि रोके जा सकने वाले व्यय में, यदि संभव हो, तो अग्रतर कटौती की जाये ।

†**श्री दाजी** : तत्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्या इस मामले की ओर तत्कालिक ध्यान दिया गया है और क्या तुरन्त सिफारिश की गई है या नहीं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां । इस समिति का काम तुरन्त निर्णय करना है, बिना अनुमानों की प्रतीक्षा किये और हमें आशा है कि इस समिति के कुछ अच्छे फल निकलेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स में खर्च की कमी इसलिये नहीं होती है कि उस में जो अफसर हैं उन के मन में बनियापन की भावना नहीं है । यदि हां, तो फिर सरकार क्या करना उचित समझती है ताकि खर्च में कटौती हो ?

श्री मनुभाई शाह : मैं कह सकता हूं कि पलिब्क अंडरटेकिंग्स में जितने सिविल सर्वेंट्स और टैकनिकल आफिसर्स हैं उन्होंने अपना काम इतना अच्छा दिखलाया है प्रोजैक्ट्स में कि मैं उन के काम को इस सदन के सामने रख सकता हूं । कहीं पर थोड़ी बहुत लैप्सेज हो सकती हैं ।

उन्होंने इन सब सरकारी परियोजनाओं को स्थापित करने तथा इन में उत्पादन आरम्भ करने एवं सर्वोत्तम संभव उपयोग लाने के लिये बड़े सक्रिय ढंग से ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

†**श्री त्यागी** : क्या इन सब सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों की ओर से की जाने वाली मितव्ययताओं के कुल प्रभाव का अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समिति द्वारा अध्ययन के पश्चात्, उनकी सिफारिशों पर विचार किया जायेगा । प्रत्येक सरकारी क्षेत्रीय परियोजना उसका अनुमान बतायेगी जो वह बचाना चाहते हैं और उस अनुमान के प्राप्त हो जाने पर सभा को सूचित किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या समिति में तीन सचिव ही हैं या और भी हैं, जिन को सरकारी उपक्रमों तथा उन के काम के लिये कुछ ज्ञान है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी, हां, उन के जनरल मैनेजर तथा निगमों के सभापति इस समिति के सदस्य हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं समझता हूं कि समिति में तीन ही सचिव हैं ।

†श्री मनुभाई शाह : तीन सचिवों से स्थायी समिति बनती है तथा मुख्य संबद्ध अफसरों का सहयोग है ।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में एक संसदीय समिति बनाने के सुझाव का क्या बना ?

†श्री मनुभाई शाह : सभा को इस बात का पता है तथा इसे हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है । दोनों सभाओं में बहुत अधिक मतभेद था ।

†श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : सरकारी उपक्रम लाभ क्यों नहीं कमा रहे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता । मैं ने कई बार बताया है कि सरकारी उपक्रम तीन भागों में विभक्त हैं । कुछ ऐसे हैं जो अच्छी तरह कायम हो गये हैं, जिनके संतुलन पत्रों को देखने से हमें उन पर गर्व होता है । दूसरी श्रेणी के उपक्रम अभी स्थापित होने की स्थिति में हैं, वे भारी निगम हैं और उन को स्थापित होने में समय लगता है । गैर-सरकारी क्षेत्र में भी उन को ३–५ वर्ष लगते हैं । तीसरी श्रेणी में वे उपक्रम हैं, जो अभी बन रहे हैं और वे लाभ नहीं दिखा सकते, क्योंकि अभी उन्होंने उत्पादन आरम्भ नहीं किया ।

†श्री रंगा : कुछ समितियां—लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, और मंत्रालय के लिये संसद् की सलाहकार समिति हैं । क्या सरकार ने मितव्ययता लाने के लिये योजनायें बनाने के हेतु इन समितियों या इनके मुख्याधिकारियों से सलाह की है ?

†श्री मनुभाई शाह : किन्तु यह संकट काल का प्रश्न है और हम किन्हीं बड़ उपायों या दीर्घ-कालीन उपायों के अतिरिक्त जल्दी काम करना चाहते हैं । यह समिति तत्कालिक विचार करके अपनी सिफारिशें देगी . . . . . (अन्तर्बाधाएं)

†श्री रंगा : किन्तु इस समिति में केवल अफसर हैं । मैं पूछ रहा हूं कि वे अन्य समितियों का लाभ क्यों उठा रहे हैं, जो वहां हैं ।

†श्री मनुभाई शाह : इस की आवश्यकता नहीं है ।

आसाम का औद्योगिक विकास

+

†*३२५. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बासप्पा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आपातकाल में आसाम के सामरिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने इस राज्य के औद्योगिक विकास में सहायता देने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में आसाम की समस्याओं के बारे में राज्य सरकार के साथ हाल ही में चर्चा की गई थी और ये केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं । अन्यथा भी आसाम को, वहां की पिछड़ी हालत की दृष्टि से औद्योगिक विकास के मामले में विशेष रियायत साधारणतया दी जाती रही है ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या आसाम सरकार ने कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कोई योजना पेश की हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : प्रति वर्ष बहुत बड़ी राशि दी जाती है, जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच हैं कि आसाम सरकार एक पटसन का कारखना स्थापित करने का विचार करती है और यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई सहायता मांगी हैं ?

†श्री मनुभाई शाह: जी, हां । हम ने आसाम में ३०० पटसन करघों के लिये लाइसेंस दिये हैं ।

†श्री बासप्पा : आसाम में फल परिरक्षण के लिये क्या कुछ किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : मिहिर पहाड़ियों में एक बड़ी फैक्टरी है और दूसरी विचाराधीन है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या पांच वर्ष पहले आसाम में बनी चीनी फैक्टरियों का काम हल्का है और यदि हां, तो क्यों ?

†श्री मनुभाई शाह : यह सही है क्योंकि भारी वर्षा के कारण वहां घटिया किस्म का गन्ना पैदा होता है । इसलिये वे इस की क्षमता को घटाने के प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बताया कि असम में जूट मिल के लिए लाइसेंस दे रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जूट मिल पबलिक सैक्टर में लगायेगे ?

†श्री मनुभाई शाह : आजकल तो कोआपरेटिव की बातचीत चल रही है ।

†श्री हेम बरुआ : आसाम में तीसरी योजना में बिजली परियोजनाओं में कटौती की गई है और इससे राज्य की औद्योगिक योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात के लिये विशेष रूप से क्या कदम उठाये गए हैं कि राज्य में बिजली की कमी से औद्योगिक योजनाओं को क्षति न हो ?

†श्री मनुभाई शाह : मैं ने यह बात मुख्य उत्तर में बता दी है । विविध औद्योगिक परियोजनाओं के लिये बिजली की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये कद्वार डिविज़न में तीन बिजली योजनाओं समेत विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ।

श्री बेरवा कोटा : असम में तेल के उद्योग के विस्तार की क्या सम्भावना है ?

श्री मनुभाई शाह : वह तो बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर में ओजारी तथा धातु मिश्रित इस्पात तैयार करने का कारखाना

+

†*३२६. श्री यशपाल सिंह :
श्री मुरारका :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कजरोलकर :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर में ओजारी धातु मिश्रित इस्पात बनाने का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यंत्र और उपकरणों के संभरण के लिये प्राप्त टेंडरों की जांच कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) प्रशासनिक इमारतों आदि के निर्माण का प्रारम्भिक काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है ।

(ख) और (ग). हिन्दुस्तान स्टील समिति ने टैंडरों की जांच पड़ताल का काम पूरा अभी किया है और उन की सिफारिशें सरकार को भेजी गई हैं । उन की जांच की जा रही है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस के लिए हम सैल्फ-सफ़ीशेंट हैं या किसी फारेन कोलोबरेशन की जरूरत पड़ेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : इसमें फारेन कोलोबोरेशन की आवश्यकता होगी ।

श्री यशपाल सिंह : कब तक हम इसको शुरू कर देंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : टेंडर स्वीकार हो जाने के पश्चात काम शुरू होगा । वैसे प्रेलिमिनरी वर्क चालू है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : संयंत्र द्वारा उत्पादन आरंभ करने के फलस्वरूप प्रारंम्भिक स्तर पर क्या उत्पादन होगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : यह प्रति वर्ष ४८,००० टन तैयार माल और ८०,००० मीट्रिक टन सलाख के लिये है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : विशेष मिलधातुओं की हमारी आवश्यकता अब क्या है और इस में से कितनी मात्रा में धातु दुर्गापुर संयंत्र द्वारा तैयार की जा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : दुर्गापुर ४८,००० टन तैयार विशेष इस्पात और मिश्रधातु बनायेगा । उस ४८,००० में स्टेनेलैस स्टील अन्य ओजार, मिश्र-धातू और अन्य कई चीज शामिल हैं । तीसरी योजना अवधि के लिये हमारी आवश्यकता का अनुमान लगभग दो लाख टन था । जैसा कि सदस्यों को पहले से विदित है, भद्रवती इस्पात परियोजना को ओजार, इस्पात, मिश्र-धातुओं आदि का उत्पादन करने के योग्य बनाने के लिए विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि इस कारखाने में साल में कितनी लागत आती है और इससे मुनाफा कितना मिलता है ?

श्री प्र० चं० सेठी : अभी तो कारख़ाना चालू ही नहीं हुआ है तो मुनाफ़ा का सवाल कहां उठता है ।

पंजाब में बाल बेयरिंग बनाने का कारखाना

+

†*३२८. { श्री बेरवा कोटा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जापानी फर्म के सहयोग से गैर-सरकारी क्षेत्र में फ़रीदाबाद में एक बाल बेयरिंग बनाने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जी हां ।

श्री बड़े : जो आप यह बाल वियरिंग की फैकटरी खोलने जा रहे हैं क्या इसका राजस्थान की बाल बैयरिंग फैक्टरी पर कुछ असर होगा ? इस विषय में शासन का क्या ध्यान है ?

श्री प्र० चं० सेठी : बाल बेयरिंग की मांग इतनी अधिक है कि इस का असर राजस्थान की फ़ैक्टरी पर कुछ नहीं होगा ।

श्री बैरवा कोटा : इस कारखाने के निर्माण में कितने रुपये ख़र्च होंगे और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह जो आप पंजाब में कारख़ाना खोलने जा रहे हैं इसमें कितना रुपया ख़र्च होगा और इसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : इस योजना के लिये ६० लाख रुपये के मूल्य की मशीनें जापान से आयात करनी होंगी ।

†श्री स० मो० बनर्जी : गैर-सरकारी क्षेत्र में इस के खुलने के कारण इस कारखाने के लिए उपक्रम को लाइसेंस दिया गया है ।

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस विशिष्ट मामले में पी० एस० जैन मोटर कम्पनी, पंजाब (प्राइवेट) लि० दिल्ली को लाइसेंस दिया गया है ।

गुजरात में कच्चे लोहे की कमी

+

†*३२९. { श्री बे० बी० नायक :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे लोहे की अत्यधिक कमी के कारण गुजरात में बहुत से

†मूल अंग्रेजी में

ढलाई के कारखाने बेकार पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)**:(क) गुजरात राज्य में ढलाई के लोहे की कमी की शिकायतें मिली हैं जिस के परिणामस्वरूप ढलाई कारखानों में उत्पादन कम हो रहा है ।

(ख) देश भर में ढलाई के लोहे की वर्तमान कमी का मुख्य कारण यह है कि ढलाई कारखाने की क्षमता में तेजी से काफी वृद्धि हो गई है जब कि उपलब्धता तदनुसार नहीं बढ़ी है क्योंकि कच्चे लोहेके उत्पादन के लिए जिन योजनाओं के लाइसेंस दिये गये थे, वे आशानुसार पूरी नहीं हुई हैं। अतः सरकार कच्चे लोहे का आयात करने, उत्पादन में वृद्धि आदि के लिये अल्पकालीन योजना बनाने तथा यथाशीघ्र उपलब्धता बढ़ाने जैसी अन्तरिम कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री दे० जी० नायक** : गुजरात राज्य में कच्चे लोहे की औसत मासिक आवश्यकता क्या है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : वर्तमान अंतिम वार्षिक आवश्यकता लगभग २० लाख टन की है ।

†**श्री दे० जी० नायक**: गुजरात को आजकल कितना संभरण दिया जा रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : कुल लगभग १० लाख टन की उपलब्धता है ।

†**श्री दे० जी० नायक** : कच्चे लोहे की कमी के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री तिरुमल राव** : केवल गुजरात में ही नहीं अपितु बाकी देश में भी कच्चे लोहे की कमी का ध्यान रखकर क्या देश में कुल उत्पादन लक्ष्य दर्शाने वाली सरकार की कोई व्यापक योजना है और वे इस उत्पादन का वितरण कैसे करेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : आरम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि तीसरी योजनाकाल में १५ लाख टन कच्चे लोहे की आवश्यकता होगी । अनुमान था कि ५ लाख टन कच्चे लोहे का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा और इस के लिए १० से १२ तक फर्मों को लाइसेन्स दिये गये थे परन्तु अभी तक कोई फल नहीं निकला है । अत : समूची स्थिति का पुनरीक्षण किया गया है और हम सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में, यदि हो सके तो, उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस के लिये नई धमन भट्टियां बना रहे हैं ।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय** : क्या नागपुर के पास गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये लाइसेन्स दिया जाता है और यदि उत्तर " हां " है तो उत्पादन कितना हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : हां, नागपुर के पास भी एक कारखाने को लाइसेन्स दिया गया है परन्तु इसमें आशानुसार उत्पादन अभी तक आरम्भ नहीं हुआ । यही वास्तविक कठिनाई है।

†**श्री पु० र० पटेल** : हाल में अहामदाबाद में लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में वाणिज्यकों ने तथा मंत्री ने भी भाग लिया था। उन्होंने नियन्त्रक के समक्ष क्या आवश्यकतायें रखीं और कितना संभरण दिया गया ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : श्रीमान्, मुझे खेद है कि मुझे उस बठक की जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं जानकारी प्राप्त करके उन्हें दे सकता हूँ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स दिये गये थे और उनमें से कितने व्यक्तियों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : लगभग १० या ११ लाइसेन्स दिये गये थे उनमें से केवल दो कारखाने बनते दिखाई देते हैं और उन्होंने भी अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : (क) गुजरात, और (ख) समचे देश में कितनी क्षमता बेकार पड़ी है और इसका पूर्ण उपयोग करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : समूची मांग की पूर्ति के लिए हमें लगभग २० लाख टन कच्चे लोहे की आवश्यकता होगी। हमारे पास केवल १० लाख टन हैं। अतः ५० प्रतिशत अप्रयुक्त पड़ी है और मांग की पूर्ति केवल उत्पादन बढ़ाकर की जा सकती है। यह दीर्घ कालीन उपाय है। यह उत्पादन एकदम नहीं किया जा सकता। इसमें कम से कम १२ से १८ मास लगेंगे जबकि हम अभी धमन भट्टियां बनाना आरम्भ करें।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि ११ आदमियों को लाइसेंस दिये गये लेकिन किसी ने भी करीब करीब काम शुरू नहीं किया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसके कारणों की जांच की गई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्**: अनेक कारण बताये गये हैं, क्योंकि इन कार्यों का उददेश्य स्वदेशी कोयला और लोह अयस्क प्रयोग करना था। ये सब नये कार्य हैं, अतः अनेक लाइसेन्सधारियों को इस कार्य के लिए आवश्यक विदेशी सहयोग नहीं मिला।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इन प्रेस समाचारों में कोई सचाई है कि रूरकेला में क्षमता १० लाख टन से बढ़ाकर १८ लाख टन कच्चा लोहा की जा रही है और क्या इस मामले में जर्मन सरकार या क्रप्स का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यहां केवल कच्चे लोहे का ही विचार नहीं है । यह एक समन्वित इस्पात कारखाना है जिसमें अब १० लाख टन पिण्ड का उत्पादन होगा, और इसे बढ़ाकर १८ लाख टन पिण्ड उत्पादन करने की क्षमता की जा रही है। यह कार्य जर्मन सहायता से किया जा रहा है।

†**श्री रंगा** : जिन व्यक्तियों ने लाइसेन्स लिये हैं उन्हें प्रोत्साहन तथा सहायता देने के लिए सरकार यह सुनिश्चित करने के उददेश्य से कोई सक्रिय कार्यवाही कर रही है कि वे अपने संयंत्र स्थापित कर सकें, या वे केवल लाइसेन्स देकर ही सन्तुष्ट हैं और उनसे संयंत्र स्थापित करने की आशा कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : वे सब गैर-सरकारी उपक्रम हैं। यदि किसी सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है तो वह सदैव ही उपलब्ध रहती है । परन्तु जबकि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो मैं नहीं जानता कि सरकार इस मामले में क्या कर सकती है।

†**श्री त्यागी** : लाइसेन्स रद्द कर दीजिये।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : अब सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे का उत्पादन करना आवश्यक हो गया है। अब केवल यही उपाय रह गया है।

†**श्री रंगा** : क्या यह केवल उन्हें छूट दी गई है या यह लोक महत्व का मामला है, कि उन्हें भी अपने संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन तथा सहायता देनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कहते हैं कि यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो सरकार उन्हें सहायता देगी ।

किस्म नियन्त्रण तथा निर्यात से पहले निरीक्षण

†*३३०. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री कजरोल्कर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात निरीक्षण सलाहकार परिषद् ने किस्म नियंत्रण तथा निर्यात से पहले निरीक्षण के किसी कार्यक्रम की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में ऐसा करने की सिफारिश की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० संख्या ६२५/६३]**

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : ७ जनवरी, १९६३ को इस समिति की बैठक होने से पहिले निर्यात होने से पूर्व वस्तुओं की किस्म की जांच करने का क्या तरीका था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई तरीका नहीं। इसी कारण तो यह समिति बनाई गई थी। अब हमने १९ वस्तुओं पर किस्म नियन्त्रण लागू कर दिया है। निर्यात होने से पहिले उन सभी वस्तुओं की पूर्ण जांच की जाती है और किस्म नियन्त्रण अंकित कर दी जाती है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच नहीं है कि पिछले अनेक वर्षों से विदेशों को निर्यात की गई हमारी वस्तुओं की किस्म के बारे में कभी कभी बड़ी शिकायतें मिलीं और यदि हां तो यह समिति इतनी देर से क्यों नियुक्त की गई ?

†**श्री मनुभाई शाह** : शिकायतें आ रही हैं लेकिन इस बात से ही कि व्यापार हो रहा है, पता लगता है कि शिकायतें गम्भीर नहीं हैं। इसके साथ ही, किस्म नियन्त्रण केवल शिकायतें रोकने के लिए नहीं है। नमूनों के अनुसार वस्तुएं विदेशों को भेजने से देश का मान बढ़ता है। इससे मूल्य भी अच्छा मिलता है। अतः यह निर्यात बढ़ाने का भी निश्चित उपाय है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : सरकार को कितने मामलों में निम्नकोटि की वस्तुएं भेजने की शिकायत मिली है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस तरह के कुछ मामले हैं। परन्तु जिन मामलों में कोई शिकायत नहीं मिली है उनकी संख्या कहीं अधिक है, संभव है कि वह उन मामलों की अपेक्षा ९५ प्रतिशत हो जिनमें शिकायतें मिली हैं।

†**श्री हेडा** : क्या किस्म नियन्त्रण के लिए नमूना निरीक्षण की प्रक्रिया निम्न है : प्रथम दस नमूने लिये जाते हैं और यदि एक दोषयुक्त पाया जाता है तो ९९ प्रतिशत नमूने स्वीकार हो जाते हैं और केवल एक अस्वीकृत होता है; परन्तु यदि दस में से एक से अधिक नमूने दोषयुक्त पाये जाते हैं, तो अन्य दस नमूने लिये जाते हैं और यदि एक से अधिक दोषयुक्त नहीं पाये जाते, तो केवल तीन अस्वीकार होते हैं और ९७ स्वीकार कर दिये जाते हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं इस प्रक्रिया के बारे में नहीं जानता। यह वस्तु अनुसार है। उदाहरणार्थ, इलायची। इसकी २९ किस्म हैं और प्रत्येक पांच श्रेणियों है। अतः ऐसा कोई कड़ी प्रक्रिया नहीं है। हम जहाजों में माल लादे जाने से पिछले निरीक्षण की अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा अपना रहे हैं और संसार भर में वर्षों के अनुभव से यह पूर्णतया ठीक सिद्ध हुई है।

†**श्री डी० चं० शर्मा** : क्या होजरी वस्तुओं पर भी कोई किस्म नियन्त्रण है और, यदि हां तो वह क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक होजरी वस्तुओं का संबंध है, उन पर कोई संविहित किस्म नियन्त्रण नहीं है, निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत केवल ऐच्छिक नियन्त्रण है। इस प्रश्न के मुख्य उत्तर से माननीय सदस्य देख सकते हैं कि हमने होजरी सहित कपड़ा संबंधी समिति नियुक्त कर दी है।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : किस्म नियंत्रण का किन फर्मों ने पालन नहीं किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : किस्म नियंत्रण जैसे साधारण और जहाज में लादने से पहिले निरीक्षण के प्रश्न पर यह बहुत ही ब्यौरे की बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को विदित है कि कुछ समय पहिले कुछ रंगीन पक्षी अमरीका को निर्यात किये गये थे और जब उन्हें वहां ले जा कर धोआ गया तो पता लगा कि रंग उड़ चुका था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : रंगीन पक्षियों के निर्यात की मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : विवरण में उल्लेख है कि राज्य व्यापार निगम से परिषद् ने किस्म नियंत्रण तथा जहाज़ में लादने से पहिले निरीक्षण के बारे में उस की प्रक्रिया पूछी है । इसका क्या उत्तर मिला ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस मामले में राज्य व्यापार निगम हमारे साथ सहयोग कर रहा है । वास्तव में, आजकल निर्यात होने वाले सभी खनिज पदार्थों की किस्म नियंत्रण सम्बन्धी कड़ी जांच होती है । सभी सरकारी संगठन विधान तथा प्रथा के अधीन बाध्य हैं कि जहाज़ में माल लादने से पहिले निरीक्षण करायें ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस मामले में प्राक्कलन समिति की क्या सिफारिशें हैं ? क्या मंत्रणा समिति इस की भी जांच कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्राक्कलन समिति की सभी सिफारिशों की जांच की जा चुकी है । प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से अधिक अब हम जापानी ढंग, अमरीकी ढंग या रूसी ढंग जैसी किस्म नियंत्रण के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं ताकि निम्न स्तर या निर्यात की शर्तों के प्रतिकूल कोई भी वस्तु भारत से बाहर न जाये ।

अखबारी कागज के मूल्य

†*३३१. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात किये गये अखबारी कागज के लागत बीमा भाड़ा मूल्यों तथा देश में बनाये गये अखबारी कागज के मूल्यों में कितना अन्तर है ; और

(ख) मूल्यों में यदि कोई अन्तर है तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) आयात किये गये अखबारी कागज़ का लागत बीमा भाड़ा ७७० रु० प्रतिटन
देश में बने अखबारी कागज़ का मूल्य १०५० रु० प्रतिटन

(ख) देश में बने अखबारी कागज का मूल्य अधिक होने का यह कारण है कि देश में छोटे कारखाने (१०० टन दैनिक) हैं जबकि अखबारी कागज़ बनाने वाले मुख्य देशों में औसत रूप में ६०० से १००० टन की दैनिक क्षमता के कारखाने हैं । दूसरा कारण यह है कि कड़ी सलाई लकड़ी की लुग्दी बनाने पर देश में उन देशों की अपेक्षा फर, स्प्रूस और पाइन जैसे अधिक अनुकूल पदार्थों की लागत से अधिक व्यय आता है । फिर, अखबारी कागज के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत बढ़ गये हैं । परन्तु आजकल विश्व में अखबारी कागज़ की अधिक उपलब्धि होने के कारण, मूल्य गिर गये हैं और इसी कारण अन्तर भी अधिक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** विवरण में यह बताया गया है लागत, बीमा व्यय तथा भाड़ा देने के बाद यहां आयात किये जाने वाले अखबारी कागज की तुलना में भारत में बनाये जाने वाले अखबारी कागज का मूल्य ३०० रुपये अधिक है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निकट भविष्य में स्वदेश में निर्मित अखबारी कागज की निर्माण की लागत को आयात किये जाने वाले अखबारी कागज की लागत के स्तर तक कम करने की कोई सम्भावना है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सब से पहले तो मैं सदन को केवल सावधान करना चाहता हूं कि किसी भी वस्तु के संसार में बाजार के मूल्य को किसी एक देश के उत्पादन की लागत से तुलना करना अनुचित होगा। प्रत्येक देश अपनी आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य की (उन्हें उचित स्तर पर निर्धारित करके) सहायता करता है ताकि वह उन वस्तुओं को शेष संसार में प्रतियोगात्मक दरों पर उपलब्ध कर के अधिक धन उपार्जित कर सके। इस्पात का उदाहरण स्पष्ट है जिस के लिये हम किसी समय सब से सस्ते उत्पादन कर्ता समझ जाते थे। परन्तु अब हमारा मूल्य अधिक है। क्योंकि संसार के अन्य देशों में उन की आवश्यकताओं से अधिक इस्पात है जिसे वे बेचना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि नेपा एकक का विस्तार लागत को कम कर देगा। हाल ही में हमने उत्पादन क्षमता १०० टन से बढ़ा कर २०० टन प्रतिदिन कर दी है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** सरकार का उद्देश्य क्या है ? इस देशमें अख़बारी कागज़ की लागत को वे किस मूल्य तक कम करना चाहते हैं ? क्या वह कच्चा माल जोकि अन्तर्राष्ट्रीय निर्माणकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है हमारे निर्माणकर्ताओं को भी उपलब्ध कराया जाता है ? क्या इस देश में निर्माण के लिये उन का प्रयोग किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रश्न के अन्तिम भाग को पहले लेते हुए, मैं यह बता दूं कि, अखबारी कागज का कम लागत पर उत्पादन करने के लिये सब से अधिक उपयुक्त कच्चा माल इस देश में उपलब्ध नहीं है। हमारे पास चीड़ (पाइन), तालीसपत्र अथवा सनोबर[1] का पर्याप्त मात्रा में संभरण नहीं है, जिन्हें कि लम्बे रेश वाली लकड़ी कहा जाता है तथा जो अखबारी कागज के उत्पादन के लिये सब से अधिक उपयुक्त हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** देवदार के सम्बन्ध में क्या कहना है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** देवदार की लकड़ी नरम होती है जिस से अच्छी किस्म का वह लम्बा रेशा नहीं बनाया जा सकता जिसकी कि अखबारी कागज बनाने के लिये आवश्यकता होती है। यह केवल चीड़, तालीसपत्र अथवा सनोबर से ही बनाया जा सकता है। फिर भी यह देखने के लिये कि तलघट[1] या राब[2] और बांस की लुग्दी का अखबारी कागज बनाने के लिये किस अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा सकता है हम आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। अतएव, हमारे लिए यह कहना संभव नहीं होगा कि हम लागत को उसी हद तक कम कर सकते हैं जिस हद तक कि वह स्वीडन, कनाडा अथवा फ़िनलैंड में है, अथवा कुछ सीमा तक रूस में जहां कि यह वृक्ष होते हैं क्योंकि वहां की जलवायु उन के लिये अनकूल है।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय :** हमारे देश में जो स्वदेशी अखबारी कागज़ बनाया जाता है वह खुरदुरा तथा घटिया किस्म का है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम जो अखबारी कागज़ बनाते हैं वह घटिया किस्म का है तथा जो कागज़ आयात किया जाता है वह बढ़िया किस्म का है, मैं यह जानना चाहता हूं कि कागज की किस्म में इस अन्तर को दूर करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Fir or Spruce.

[2]Bagasse

†**श्री मनुभाई शाह** : किस्मों में अन्तर एक ऐसी चीज है जिस के लिये हम स्वयं ही शर्मिन्दा हैं। क्योंकि यह संयंत्र १५ वर्ष पूर्व एक गलत स्थान पर, एक गलत परिकल्पना के आधार पर, एक गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा लगाया गया था। इसके बाद का संयंत्र का इतिहास सभा को ज्ञात है। पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपने हाथों में लिया और फिर केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता के लिए आई। हम मूलभूत ढांचे को तो बदल नहीं सकते। परन्तु हम इस बात का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं कि आयात की गई लुगदी को मिला कर तथा क्षार-विरंजन[1] के नये तरीकों द्वारा रंग में सुधार हो तथा वह यथासम्भव आकर्षक बने। जहां तक लागत का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चका हूं कि यह उत्पादन के आर्थिक कारकों[2] पर निर्भर करती है।

श्री तुलशीदास जाधव : मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में काग़ज़ की कितनी आवश्यकता है, देश में कितना काग़ज़ पैदा होता है और कितना बाहर से मंगाया जाता है।

श्री मनुभाई शाह : एक ज़माना ऐसा था कि जब नेपा का हमारा न्यूज़प्रिंट सस्ता होता था। मैंने खुद तीन साल पहले यह देखा है। लेकिन वर्ल्ड में ओवर-प्राडक्शन हुआ और उन्होंने प्राइस गिरा दी। इस का मतलब यह नहीं है कि हम अपने देश में आर्टिफ़िशल मीन्ज़ से अपनी प्राइस को गिरा दें। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हमारी जो तीन नई फैक्टरीज़ बनें, उन में लेटस्ट प्रासेस को लिया जाय और बगास का जितना बढ़िया मैटीरियल मिले, उस को इस्तेमाल किया जाय।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : आयात किये जाने वाले कागज के मूल्य में तथा स्वदेशी कागज के मूल्य में लगभग १५० प्रतिशत का अन्तर है—स्वदेशी कागज का मूल्य ५० प्रतिशत अधिक है। सरकार को नये कारखानों को स्थापित करने में कितना समय लगेगा ताकि यह अन्तर कम होता चला जाये।

†**श्री मनुभाई शाह** : मुख्य उद्देश्य तो विदेशी मुद्रा का बचाना है ; दूसरी बात, वास्तव में, उत्पादन को कम व्यय पर करना है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : विवरण में दी गई बातों को देखते हुए क्या हम यह समझ लें कि हमारे स्वदेशी कागज के मूल्य संसार भर के बाजार भाव के अनुसार घटते बढ़ते हैं अथवा स्थिर रहते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां। यही तो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा था। उत्पादन की स्वदेशी लागत से अन्तर्राष्ट्रीय भावों का कोई सम्बन्ध नहीं है। अन्तर्देशीय मूल्य हमारे अपने ही हाथों में हैं तथा यह कच्चे माल की लागत, परिवहन की लागत, निर्माण की लागत तथा संयंत्र की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगा।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : हिमालय के प्रदेश में बहुत बहुत विस्तृत चीड़ के जंगल हैं। मूल्य के अधिक होने के जो कारण बताये गये हैं उन में से एक चीड़वृक्ष की कमी भी है। क्या हिमालय प्रदेश में चीड़वृक्ष की उपलब्धि को निश्चित रूप से जानने के लिये कोई नियमित सर्वेक्षण किये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : गत वर्षों में इस मंत्रालय और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय दोनों ही के द्वारा कुछ नियमित सर्वेक्षण किये गये हैं। गत वर्ष से पिछले वर्ष कनाडा के विकास निगम द्वारा समस्त पंजाब और उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में सर्वेक्षण किया गया था। हमारे जंगल इतने घने नहीं हैं जितने कि कम व्यय पर उत्पादन करने के लिये होने चाहियें। दूसरी बात यह है कि वहां भूप्रदेश इतना दुर्गम है कि वहां से लकड़ी निकालने की लागत लगभग इतनी होगी कि इस से आर्थिक लाभ नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Alkali bleaching

[2] Economic factors

†श्री हरि विष्णु कामत : भारत १५ वर्ष अथवा इस के लगभग से अखबारी कागज़ बनाने का प्रयत्न कर रहा है। विवरण में यह बताया गया है कि कागज़ की अधिक लागत छोटी उत्पादन यूनिट तथा भारत में कड़ी लकड़ी के मिलने के कारण है। क्या गत कुछ वर्षों में उत्पादन के तरीकों तथा परियोजना के अन्दर परिव्यय लेखा रखने के सम्बन्ध में कोई ठोस जांच पड़ताल अथवा पुर्ननिरीक्षण किया गया है ? क्या मंत्री महोदय को यह निश्चय है कि अधिक लागत वास्तव में परियोजना के अन्दर धन की बरबादी तथा अपव्यय के कारण नहीं है ?

†श्री मनुभाई शाह : मैंने यह सब बातें कई बार बताई हैं। पिछले महीने ही हमने इस कार्य के अत्यन्त निपुण एक विदेशी विशेषज्ञ को बुलाया था। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि हम ने कई बार जांच पड़ताल करवाई है। नेपा के विषय में यहां पर अनेक बार वाद विवाद हुआ है। यह तो सरकारी क्षेत्र में एक रुग्ण बालिका के समान था जिसे एक ऐसे गैर सरकारी महानुभाव से उत्तराधिकार में लिया गया था जिन्होंने कारखाने की गलत रूप में एक गलत स्थान पर स्थापना की थी जहां कि मूल कच्चा माल उपलब्ध ही नहीं है। फिर भी, इसको सरकारी क्षेत्र में लेने के बाद हम ने उत्पादन ७००० टन से बढ़ा कर २९,००० टन कर दिया है, ऋण चुका दिये गये हैं तथा लाभ हुए हैं।

†श्री कछवाय : क्या 'लिक' अखबार के लिये कोई नया क्वोटा दिया गया है ?

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति; यह प्रश्न संगत नहीं है। श्री बड़े।

†श्री बड़े : क्या यह सच है कि नेपा के कागज़ के लिये लुगदी आयात की जाती है और क्योंकि इसका मूल्य बहुत अधिक है अतः उत्पादन की लागत भी बहुत ऊंची है ? क्या नेपा कारखाने में सलाई की लकड़ी अथवा बांस से लुगदी तैयार करने का सरकार का विचार है ?

†श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य की सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि नेपा में कागज़ की लुगदी मध्य प्रदेश में उगने वाले सलाई वृक्ष की लकड़ी से ही बनाई जाती है; आयात नहीं की जाती।

कागज़ के मूल्यों में वृद्धि

*३३२. श्रीमती सावित्री निगम : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कागज़ के भावों में एक सप्ताह के भीतर लगभग २५ नये पैसे प्रति पौंड की तेज़ी आ गई है, और बाजार से कागज़ एकाएक गायब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सभा की मेज़ पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) सरकार को इस बात की शिकायतें मिली हैं कि कलकत्ता में कागज़ के कुछ व्यापारी सरकार द्वारा मिलों के लिये निश्चित ५ प्रतिशत से भी अधिक मूल्य ले रहे हैं।

(ख) सरकार ने एक अखबारी कागज़ (संशोधन) आदेश जारी किया है जिसके अनुसार पाठ्य पुस्तकों अथवा सामान्य रुचि की पुस्तकों के प्रकाशकों के अतिरिक्त अखबारी कागज़ का कोई भी

†मूल अंग्रेजी में

उपभोक्ता अखबारी कागज़ के नियंत्रक की लिखित अनुमति बिना अखबारी कागज़ के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कागज़ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सरकार ने इण्डियन पेपर मिल्स एसोसियेशन तथा इण्डियन पेपर मेकर्स एसोसियेशन द्वारा सम्मिलित रूप से बनाई गई संयुक्त वितरण उत्पादन समिति को भी लिख दिया है जिसमें समिति पर यह जोर डाला गया है कि वह व्यापारियों के जरिये कागज़ का समान वितरण करने की आवश्यकता तथा कुछ व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिये जाने के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच पड़ताल करे।

इस के साथ ही भारत रक्षा नियमों के अधीन १ मार्च, १९६३ को अत्यावश्यक वस्तु (मूल्य नियंत्रण) नाम का एक आदेश भी जारी किया गया है। इन नियमों में कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं जिनमें छपाई और लिखने का कागज़ भी शामिल है, के बिक्री मूल्य की वे सीमाय निर्धारित कर दी गई हैं जिनके भीतर १ फरवरी, १९६३ को या उससे पहले प्रचलित मूल्य बढ़ाये जा सकते हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : कागज़ के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में सरकार ने हाल ही में जो कदम उठाये हैं उनका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कुल मिलाकर तो इतनी शीघ्र मैं नहीं बता सकता, परन्तु इसका तुरन्त प्रभाव यह हुआ है कि मूल्यों में गिरावट आई है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मंत्री महोदय को कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि मूल्य केवल कलकत्ता में ही नहीं बढ़े हैं अपितु दिल्ली के बाज़ार में भी एक बड़ी सीमा तक बढ़े हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां; शिकायत सही है। यही कारण है कि हमने इस में जांच पड़ताल करवाई और, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही जोर देकर कहा है, हमने उन ऊंचे मूल्यों को गिराने के लिये ही यह उपाय किया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में यह बताया गया है कि सरकार को ये शिकायतें मिली हैं कि कलकत्ता में कुछ व्यापारी मिल मूल्यों पर सरकार द्वारा निर्धारित ५० प्रतिशत की सीमा से भी अधिक मूल्य ले रहे हैं। मैं उन व्यापारियों के नाम तथा उनकी सख्या जानना चाहता हूं। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह कोई नामों का मामला नहीं है। ऐसी शिकायत आती हैं कि सामान्यतया मूल्य अधिक हो गये हैं। यह देखने के लिये कि नये आयव्ययक के बाद तथा उत्पादन शुल्क के लगने के बाद मूल्यों में कोई वृद्धि न हो हम ने एक वैधानिक कदम उठाया है। इन में कागज़ भी एक वस्तु है और हम निरीक्षण रख रहे हैं। यदि इसका कहीं कोई गम्भीर उल्लंघन होगा, तो हम सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री भक्त दर्शन :

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रीमन्, मैं आप का संरक्षण चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री भक्त दर्शन।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि कागज़ की कीमत को घटाने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, मार्केट पर उन का असर क्या पड़ा है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं इत्मीनान के साथ कह सकता हूं कि उस का अच्छा असर पड़ा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्यागी : एक्साइज़ ड्यूटी लगा दी गई है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पश्चिम बगाल में कागज़ बनाने का सब से बड़ा कारखाना टीटागढ़ का कागज़ कारखाना है। क्या खुदरा व्यापारियों ने ही मूल्यों में वृद्धि की है अथवा फैक्टरी मूल्य में कोई वृद्धि हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : खुदरा व्यापारियों ने ही मूल्य बढ़ाये हैं। गत छः वर्षों से प्रशुल्क आयोग के सूत्र तथा सरकार द्वारा सहमत मूल्यों के अनुसार निर्माण मूल्यों पर पूर्व नियंत्रण रखा जा रहा है।

कच्चे पटसन के मूल्य

†*३३४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्रीमती विमला देवी :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेडा :
श्री फ० गो० सेन :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी १९६३ में पश्चिम बगाल के बाजार में कच्चा पटसन सरकार द्वारा निर्धारित दर से बहुत कम दर पर बिका था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक आद्यतन विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। मैंने इसी प्रकार का एक और विवरण भी २५ जनवरी, १९६३ को सभा पटल पर रखा था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ९२६/६३]**

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से मुझ पता लगा है कि बहुत से राज्यों को जूट ख़रीदने के लिये पेशगी धन दिया गया है। क्या यह सच है कि गत नवम्बर तथा दिसम्बर में जब कि जूट उत्पादक जूट बो चुके थे सरकार ने कम मूल्य पर जूट खरीदना प्रारम्भ कर दिया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** सरकार ने पिछले वर्ष से जूट खरीदना प्रारम्भ कर दिया था जब कि सभा ने मूल्य अवलम्ब नीति[1] और राज्य व्यापार निगम तथा जूट मिल संघ के लिये भी समीकरण भण्डार (बफर स्टाक) बनाने की कार्यवाहियों का अनुमोदन किया था। यह सत्य है कि जब आक्रमण दो अथवा तीन सप्ताहों के लिये अपने तीव्रतम रूप में था तो वस्त, बाज़ार में पूर्णतया मन्दी आ गई थी तथा जूट उन वस्तुओं में से एक था जिसको सब से अधिक हानि हुई थी। परन्तु हम ने तुरन्त ही उनकी सहायता की तथा सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज इन सब संस्थाओं ने संयुक्त रूप से ७६ लाख से अधिक गांठें खरीद ली हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जूट मिलों ने अपने लालों से बहुत निम्न मूल्य पर सौदे किये थे, अर्थात् लगभग २७ रुपये प्रति मन के हिसाब से ? क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है और क्या इससे उत्पादकों को भारी हानि उठानी पड़ी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कुछ जूट मिलों के सम्बन्ध में अनेक शिकायत आई हैं परन्तु मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जूट मिल संघ ने पूर्ण सहयोग दिया, चाहे उनके विरुद्ध आम भावनायें कुछ भी हों। पाकिस्तान की तुलना में जहां के मूल्य इसका आधा भी नहीं ह, आसाम बाटम्स के लिये ३० रुपये प्रति मन का मूल्य स्थिर रखना उनके सहयोग के कारण ही हुआ है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** विवरण में बताया गया है कि खराब किस्म का जूट बाजार पर एक बोझ है तथा सरकार जूट की किस्म को सुधारने के लिये प्रोत्सहान दे रही है तथा खराब किस्म के जूट के उत्पादन के लिये लोगों को हतोत्साहित कर रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस दिशा में किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम ठीक इसी दिशा में चल रहे हैं; आसाम पांच बाटम तथा आसाम क्रोस बाटम के नाम से पुकारी जाने वाली तथा जूट की निम्न किस्मों के मूल्य मुख्य जूट के मूल्यों से तीन अथवा पांच रुपये कम रखे गये हैं। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि भारतीय जूट के इतिहास में सुपीरियर हार्श (?) तथा बीच की किस्मों के मूल्य उच्चतम देखे गये हैं।

†**श्री ब० कु० दास :** जूट के मुल्यों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिये क्या सरकार जूट की विभिन्न किस्मों के मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक पग उठाने का विचार कर रही है?

†**श्री मनुभाई शाह :** यही तो मैंने अभी अभी उत्तर दिया था कि अच्छी किस्म के जूट के उत्पादन के लिये अधिक प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में आर्थिक स्तर पर जो कदम उठाये जा रहे हैं कुल मूल्य स्थैर्य नीति का ही एक अंग हैं।

†**श्री हेडा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मूल्य नियंत्रण के लिये ऐसे कदम जिनका कि कुछ ठोस प्रभाव होता है सरकार द्वारा सामान्यत: तभी उठाये जाते हैं जबकि बेचारे किसान अपने अपने जूट को कम मूल्य पर बेच चुके होते हैं, क्या सरकार जूट की फसल के बाजार में आने से बहुत पहिले ही मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। हमने केवल गत ो वर्षों में ही निर्धारित मूल्यों की घोषणा पहिले ही से नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Price support policy

की अपितु यह कार्यवाही निरन्तर जोर-शोर से चल रही है। वास्तविक समस्या तो यह है कि एकदम बाजार में ८० लाख अथवा ९० लाख गांठों की फसल आजाती है। कोई भी अभिकरण, चाहे वह सरकारी हो अथवा गैर-सरकारी, इस सबको एक ही दिन में अथवा दो या तीन सप्ताह में भी नहीं खपा सकता। अतएव, ऐसी परिस्थिति में विवशता में किये जाने वाले कम मूल्य पर के विक्रय को नहीं रोका जा सकता जब तक कि मूल उत्पादकों की सहकारी संस्थायें आदि न बन जायें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उन ७५ गांठों के अतिरिक्त जो आई० जे० एम० ए० ने खरीदी हैं क्रमशः अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में खरीदी गई मात्रा कितनी थी। मैं मासिक आंकड़े चाहता हूं।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं माननीय सदस्य को जानकारी भेज सकता हूं। सारी जानकारी मेरे पास है। यह ११ लाख गांठों से ७ लाख गांठों तक है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में इसे किस दर पर खरीदा गया था, उदाहरणतः उत्तर बंगाल में, जबकि बाजार में वास्तव में बड़ी मात्रा में बिक्री हुई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानकारी माननीय सदस्य को भेज दी जायेगी।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस वक्तव्य में कोई सच्चाई है कि जो मिल मालिक अपने गोदामों में लगभग एक-दो वर्ष की आवश्यकता के लिये पटसन की पूरी मात्रा रखे हुए हैं वे धमकी दे रहे हैं जिसके कारण वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय पटसन के उत्पादन पर किसानों द्वारा किये जाने वाले वास्तविक व्यय को देखने के बाद पटसन के न्यनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मूल्यों के प्रश्न पर इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। यहां के मूल्य पाकिस्तान के प्रतियोगात्मक मूल्यों से ७५ प्रतिशत अधिक हैं। पटसन की फसल एक अन्तर्राष्ट्रीय फसल है तथा इसलिए प्रतिद्वन्द्वियों तथा पटसन हेसियन, पटसन की बोरियों और दरियों के पीछे लगाने वाले कपड़े के पटसन और पटसन की वस्तुओं की अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता बाजारों के साथ सम्बन्ध अवश्य ही रहेगा।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह सच नहीं है कि पटसन की अधिकतर श्रेणियां जो सरकारी एजेन्सी ने खरीदी हैं वे वास्तविक कृषकों से, जिन्हें उनके द्वारा निर्धारित दरों से वंचित रखा गया था, न खरीद कर व्यापारियों से खरीदी गई थीं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : नहीं, हमारी हिदायतें बड़ी स्पष्ट हैं कि सबसे पहले वरीयता स्वयं उगाने वालों से ही खरीदने को दी जानी चाहिये। यदि माननीय सदस्य श्री चालिहा और श्री बिनोदानन्द झा के वक्तव्यों को पढ़ें तो उन्हें सन्तोष होगा कि दोनों सरकारों ने, जिनका इसके साथ महत्वपूर्ण सम्बन्ध था, महसूस किया कि मूल्यों पर ठीक समय पर नियंत्रण किया गया था और उससे किसानों को पर्याप्त सहायता मिली थी।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह ठीक है कि इस बार सरकार ने मूल्यों का समर्थन करने के लिये बहुत गंभीर प्रयास किया है। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि सरकार तथा सहकारी समितियों सहित विभिन्न अभिकरणों के प्रयत्नों के उपरान्त भी मुश्किल से ५० प्रतिशत किसानों को न्यूनतम मूल्य प्राप्त हुए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं प्रतिशतता और इस सबके बारे में बिना जाने-बूझे नहीं बता सकता। उसका हमने कोई मूल्यांकन नहीं किया है परन्तु ८० प्रतिशत फसलों का फसल के आरंभ होने के छः सप्ताह के अन्दर अन्दर काट लिया जाना एक बड़ा प्रश्न है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या यह सच नहीं है भारत के निकटतम पड़ौस पूर्व पाकिस्तान में प्रचलित असाधारण कम मूल्य मुख्यतः इसके लिये उत्तरदायी है और यदि हां, तो क्या सरकार ते इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये उपाय किए हैं?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह बड़ा संगत प्रश्न है और इसे सदन के सामने रखने के लिये मैं माननीय सदस्य के प्रति कृतज्ञ हूं। सच तो यह है कि यहां कीमतों को लगातार कम रखने के मुख्य कारणों में से यह एक है तथा, जैसा कि समाचारपत्रों में देखा गया होगा, पाकिस्तान सरकार को भी इतनी ही चिन्ता है और वह अब इस आशय का एक नियम या अध्यादेश या ऐसी ही कोई चीज जारी कर रही है कि भारत-पाक सीमा के साथ लगभग पांच मील के टकड़े में पाकिस्तान में पटसन नहीं उगाया जाएगा।

श्री विभूति मिश्र : स्टेटमेंट में कहा गया है कि ७१ लाख बेल्ज ली हैं। एक बेल में पांच मन होता है। इस तरह से ३ करोड़ ५५ लाख मन यह ज्यूट हुआ। सरकार ने १५५ करोड़ रुपया दिया जिस में छः लाख बेल खरीदी जा सकती थीं। यह रुपया भी सरकार ने जनवरी में दिया। सरकार ने जो इस तरह से किया यह ग्रोअर के हित में किया या अहित में किया? डा० राम सुभग सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। वह जानते हैं कि मेरे जिले में सवा लाख एकड़ जमीन में ज्यूट होता है। अभी तक एक छटांक ज्यूट भी सरकार ने वहां नहीं खरीदा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : एक बात का जवाब मिनिस्टर साहब दे दें।

श्री विभूति मिश्र : स्टेटमेंट में कई बातें हैं। उनके बारे में सवाल कैसे किये जायें? डा० राम सुभग सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, वह जानते हैं। मेरे जिले में सवा लाख एकड़ जमीन में ज्यूट होता है और आज तक एक छटांक भी सरकार की तरफ से ज्यूट खरीदा नहीं गया है। वहां लोगों ने ज्यूट बारह और चौदह रुपये मन बेचा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है?

श्री मनुभाई शाह : यही तो भागवत में अब तक पढ़ता रहा हूं। जो कुछ मैंने कहा है, उसको फिर कह देता हूं। हम भी समें इक्वली कंसर्न्ड हैं। हम चाहते है कि ग्रोअर्ज को और ज्यादा बैनीफिट मिले। उसका एक ही रास्ता है कि प्राइमरी सहकारी ग्रोअर्ज की सोसाइटियां जितनी ज्यादा बनेंगी, उतना ही ज्यादा फायदा ग्रोअर्ज को होगा।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

\+

†*३३५. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में स्विच गीयर, कंट्रोल गीयर, पुर्जे तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

ंसफार्मर बनाने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या भोपाल में बनी इन वस्तुओं की उचित मांग है ; और

(ग) क्या भोपाल में, टर्बाइन, जेनेरेटर तथा इंडस्ट्रियल मोटर बनाने की योजनायें भी तैयार कर ली गई हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) प्रगति की गति काफी सन्तोषजनक है। बिजली के भारी सामान की मदों के उत्पादन के मूल्य का, जिसमें हो रहा काम भी सम्मिलित है, अप्रैल १९६२–जनवरी १९६३ की अवधि में २३६·३० लाख रुपये होने का अनुमान है।

(ख) जी हां। ट्रांसफार्मरों और स्विचगीयरों की मांग भोपाल फैक्टरी की क्षमता से कहीं अधिक है।

(ग) जी हां।

†**श्री रा० गि० दुबे** : कौन से ऐसे देश हैं जिनमें भोपाल कारखाने के उत्पादों की मांग है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : हम आन्तरिक मांग को पूरा कर रहे हैं। इस समय निर्यात करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

†**श्री रा० गि० दुबे** : विभिन्न पुर्जों के उत्पादन के आंकड़ों को मैं ठीक से नहीं समझ सका।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : हो रहे काम सहित बिजली के भारी सामान की मदों की उत्पादन लागत अप्रैल १९६२—जनवरी १९६३ की अवधि के लिये अनुमानतः २३६·३० लाख रुपये है। इनमें ट्रांसफार्मर, स्विचगीयर और विविध दूसरी मदें सम्मिलित हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : आयात में कटौती को देखते हुए क्या भोपाल का कारखाना ऐसी अन्य मशीनें बनायेगा जिनका हम पहले निर्यात किया करते थे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : हां, इच्छा यही है। जो कुछ हम पहले ही बना रहे हैं उसके निर्माण के कार्यक्रम का हम विस्तार कर रहे हैं। निर्माण के लिये नई मदें भी ली जा रही हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : ३१ मार्च, १९६२ तक हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल में, विनियोजन क्या है, उत्पादन का लक्ष्य क्या है तथा गत वर्ष कितना उत्पादन हुआ है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : ३१ मार्च १९६२ तक अलग अलग आंकड़े तत्काल ही मेरे पास नहीं हैं। परन्तु अब तक इसमें लगभग ३७ करोड़ रुपये विनियोजित किये जा चुके हैं। सच तो यह है कि अब भी हम जितना उत्पादन कर रहे हैं परामर्शदाताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य उससे बहुत कम है। परन्तु हमने उत्पादन के लक्ष्य का पुनरीक्षण कर दिया है। पुनरीक्षित लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचे हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

†*३२७. श्री मुरारका :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना को परियोजनाओं सम्बन्धी समिति ने रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में उत्पादन तथा संभरण सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये अपना अध्ययन समाप्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां हैं ?

†*इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्). (क) योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति द्वारा किया गया अध्ययन रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में उत्पादन तथा संभरण सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने विषयक मामलों से ही विशेष रूप से सम्बद्ध न था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमेंट के व्यापारी

†*३३३. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री २५ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में तथा कुछ अन्य राज्यों में सीमेंट के निर्माता राज्य सरकार को बताये बिना अपने विक्रेता नियुक्त करते हैं ।

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारें केवल उन्हीं विक्रेताओं को लाइसेंस देती हैं जिनको निर्माता चुनते हैं ; और

(ग) क्या सरकार जानती है कि इसके परिणामस्वरूप कुछ स्थानों पर तो बहुत से विक्रेता हो जाते हैं तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उनकी कमी हो जाती है जिसके कारण काले बाजार को प्रोत्साहन मिलता है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सीमेंट के स्टाकिस्टों की उनके तत्सम्बन्धी विपणन खंडों में नियुक्त भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के बिक्री एजेंटों द्वारा की जाती है। क्योंकि बिक्री एजेंट और स्टाकिस्टों के बीच का सम्बन्ध परस्पर वित्तीय सहयोग और उत्तरदायित्व का है इस लिये भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के सामान्य प्राधिकार के अधीन बिक्री एजेंटों द्वारा स्टाकिस्टों की नियुक्ति किये जाने में सरकार साधारणतः हस्तक्षेप नहीं करती । तथापि, बहुत से राज्यों में स्टाकिस्टों से राज्य सीमेंट नियन्त्रण आदेश के अधीन राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है । इन आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार (१) लाइसेंस देने से इन्कार कर सकती है, (२) लाइसेंस को निलम्बित कर सकती है और/या (३) लाइसेंस को फिर से बनाने से इन्कार कर सकती है । तदनुसार, राज्य सरकार अपने विवेक से बिक्री एजेंट द्वारा नियुक्त स्टाकिस्टों को लाइसेंस दे से इन्कार कर सकती

†मूल अंग्रेजी में

है। राज्य सीमेंट नियंत्रण आदेश के अधीन स्टाकिस्टों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे सीमेंट की प्राप्ति और बिक्री का आलेख रखने के लिये रजिस्टर रखें और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित जानकारी दें।

सीमेंट की कमी तथा स्टाकिस्टों को किये जाने वाले सीमित आवंटन की वर्तमान स्थिति में प्रतिस्थापन के उद्देश्यों के अतिरिक्त अथवा जहां विवरण के दृष्टिकोण से या कुरीतियों को कम करने के हेतु पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिये वास्तविक आवश्यकता हो, स्टाकिस्टों की संख्या में वृद्धि होने को उत्साहित नहीं किया जा रहा है। भारत के राज्य व्यापार निगम ने बिक्री एजेंटों को राज्य व्यापार निगम की पूर्व सहमति के बिना स्टाकिस्टों की नई नियुक्ति न करने की हिदायत की है।

स्टाकिस्टों को भेजे जाने वाले सीमेंट की मात्रा राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक गन्तव्य स्थान के लिये आवंटन के अनुसार कड़ी तरह से विनियमित की जाती है और यह सम्बन्धित लक्ष्य स्थान पर स्टाकिस्टों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है।

सीमेंट में यदि कोई काला बाजार हो तो उसे रोकने के लिये राज्य सरकारों के पास संविहित शक्तियां हैं।

स्पात की उत्पादन लागत

†*३३६. श्री मुरारका :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री ब्रजराज सिंह कोटा :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन इस्पात कारखानों में उत्पादन लागत का अंतिम रूप से निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विश्व के मूल्यों तथा भारत के अन्य कारखानों में उत्पादन लागत की तुलना में यह कितनी है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के तीनों संयंत्रों की उत्पादन लागत का अनवरत पुनर्विलोकन होता है तथा लागत में कमी करने के विविध मार्गोपाय ढूंढे जा रहे हैं। प्रशुल्क आयोग के नवीनतम प्रतिवेदन से जैसा कि पता चलता है, लागत से ज्ञात होता है कि भिलाई कारखाने की निर्माण लागत, जो अप्रैल १९६२ तक पूरी क्षमता या उस के लगभग उत्पादन करने वाला एक मात्र संयंत्र था, गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की उत्पादन लागत के लगभग बराबर थी। दुर्गापुर और रूरकेला में हाल ही में उत्पादन में की गई वृद्धि से ऐसी संभावना है कि उनकी निर्माण लागत भी पर्याप्त रूप से तुलनात्मक होगी। विश्व की मार्केटों में विक्रय मूल्यों को देखते हुए भारतीय मूल्य अधिक हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अफगानिस्तान के व्यापार शिष्टमण्डल की भारत यात्रा

†*३३७. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बिशन चन्द्र से :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान का एक व्यापार शिष्टमंडल हाल में ही नई दिल्ली आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके साथ की गई व्यापार वार्ता के क्या परिणाम निकले?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत-अफगान व्यापार प्रबन्ध में इसकी क्रियान्वित के अनुकालिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है । पुनर्विलोकन के उद्देश्य से ही अफगान व्यापार शिष्टमंडल हमारे नियंत्रण पर हाल में नई देहली आया था ।

सीमेंट के कारखाने

†*३३८. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रा० शि० पाण्डेय :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में सीमेंट के कितने कारखानों को लाइसेंस देने अथवा चालू करने का विचार है ;

(ख) उनको स्थापित करने के स्थानों को किस आधार पर चुना जायेगा ; और

(ग) नये कारखानों को कहा पर स्थापित किया जायेगा तथा किन कारणों से ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) नये सीमेंट कारखानों की ३२ योजनाओं को, जिनकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता ६·३२२ मिलियन मीट्रिक टन होगी, लाइसेंस दिये गये हैं या स्वीकृति दी गई है । तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में चालू किये जाने वाले कारखानों की संख्या विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, संयंत्र और मशीनरी के देशीय निर्माताओं की क्षमता तथा लाइसेंसधारियों द्वारा अपने योजनाओं को पूरा करने की गति पर निर्भर करेगी ।

(ख) कच्चे माल, इंधन, बिजली, पानी और रेल यातायात की सुविधाओं की उपलब्धता, क्षेत्र में मांग और संभरण तथा योजना अवधि के लिये लक्ष्य संगत कसौटियां हैं । अन्य चीजों के रहते हुए, उद्योगों के क्षेत्रीय बटवारे की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रस्तावित नये कारखानों को जहां स्थापित किया जायेगा वे स्थान दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। इन स्थानों का अनुमोदन सामान्यतः उपयुक्त कसौटियों के आधार पर किया गया था।

विवरण

प्रस्तावित नये कारखानों को बनाने के स्थान

राज्य	स्थल
आंध्र प्रदेश	भोंगीर
	विजया नगरम्
	बोनाकूलू
	येरागुन्टला
आसाम	चेरापूंजी
गुजरात	बड़ौदा
	भावनगर
	पोर्ट एलबर्ट विक्टर
	पोरबीना
	वेरावल
जम्मू तथा काश्मीर	रियासी
	वूयान
केरल	अलवाय
मध्य प्रदेश	भानपुरा
	चम्पा
	जामूल
	रायपुर
मद्रास	करूर
	रामेश्वरम्
	शंकरीदुर्ग
महाराष्ट्र	हड़पसर
	राजूर
मैसूर	नगरगली
उड़ीसा	वीरमित्रापुर
	सम्बलपुर
पंजाब	पठानकोट के निकट
राजस्थान	आबू रोड
	चित्तौड़गढ़
	नीम का थाना
उत्तर प्रदेश	चोपान
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर
	भाल्दा

विशाखापटनम् और गोआ में इस्पात का कारखाना

*३३९. श्री यशपालसिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम् और गोआ में इस्पात के कारखाने खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) इन पर कुल कितना खर्च होगा; और

(घ) क्या इन कारखानों को विदेशी सहयोग की भी आवश्यकता होगी ?

इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (घ). भैलाडिला–विशाखापटनम अथवा गोआ–हौसपेट क्षेत्र में नया इस्पात कारखाना/कारखाने स्थापित करने के प्रश्न पर स्टीयरिंग ग्रुप विचार कर रहा है । यह ग्रुप लोहे और इस्पात के लिए चौथी पांच साला योजना तैयार करने के लिए बनाया गया है । स्टीयरिंग ग्रुप की सिफारिशों के १९६३ के अन्त तक प्राप्त होने की संभावना है । इस समय कारखाने के स्थल, चालू होने की तारीख तथा खर्च के अनुमानों के बारे में कुछ कहना मुश्किल है । यदि विदेशी सहयोग की आवश्यकता हुई तो इस बारे में उपयुक्त समय पर विचार किया जायगा ।

इस्पात वितरण सम्बन्धी समिति

†*३४०. श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री दाजी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात सम्बन्धी राज समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर, विशेष तया

---

†मूल अंग्रेजी में

लोहा तथा इस्पात के प्रतिधारण मूल्य तथा वितरण के सम्बन्ध में, विचार कर लिया है और कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). प्रतिवेदन का प्रारम्भिक परीक्षण हो रहा है परन्तु सरकार का निर्णय समिति का अन्तिम प्रतिवेदन मिलने पर ही किया जायेगा ।

एच० एम० टी० द्वारा निर्मित घड़ियों में खराबी

†*३४१. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर को बाजार में खराब घड़ियां बिकने के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की खराबियां बताई गई हैं; और

(ग) इन खराबियों को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा खराब घड़ियां नहीं बेची जातीं; लगभग ३६,००० बेची गई घड़ियों में से ४.२ प्रतिशत घड़ियां मरम्मत के लिये लौटाई गई थीं जिन में से आधी तो ऐसी थीं जो ग्राहकों द्वारा असावधानी से बरते जाने से टूट गई थीं और शेष केवल थोड़ा-बहुत परिवर्तन करने के लिये मिली थीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

इंजीनियरी के माल के लिये निर्यात प्रोत्साहन योजना

†६०१. श्री मुहम्मद इलियास : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी माल के लिये एक नवीन निर्यात प्रोत्साहन योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). इंजीनियरी माल के लिये एक नवीन प्रोत्साहन योजना बनाई गई है । इस काम के लिये एक योजना पिछले कुछ वर्षों से लागू है । तथापि, हाल में, कुछ मामलों में इसके उपबंधों को सरल और उदार किया गया है ।

कोटा में शुद्ध मापक यन्त्रों की फैक्टरी

†६०२. श्री ब्रजराज सिंह (कोटा) : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा

---

†मूल अंग्रेजी में

करेंगे कि :

(क) कोटा (राजस्थान) में रूसी सहायता से प्रस्तावित शुद्ध मापक यंत्र फैक्टरी लगाने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) काम कब आरम्भ होने की संभावना है; और

(ग) सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो) (क). से (ग). मास्को के 'मैसर्स प्रोमश ऐक्सपोर्ट' की विस्तारपूर्वक परियोजना रिपोर्ट अभी नहीं आई और फैक्टरी स्थल पर अग्रतर कार्य इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर शुरू होने की अपेक्षा है। रूस में फैक्टरियों में भारतीय शिल्पकों को प्रशिक्षण देने की योजना को अन्तिम रूप दिया गया है।

रूसी संघ, भारत सरकार तथा रूसी सरकार के बीच १२ फरवरी, १९६० को हुए करार के आधार पर फैक्टरी की स्थापना के लिये सब प्रकार की प्रविधिक सहायता देगा।

कांच उद्योग

†६०३. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांच निर्माण के लिये सोडा ऐश के आयात पर प्रतिबंध लगने के पश्चात् अनुभव होने वाली कठिनाइयों के बारे में कांच उद्योग की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो):(क) और (ख). बंगाल तथा उड़ीसा कांच निर्माता संघ ने अभ्यावेदन दिया है कि आयात किये गये सोडा ऐश का संभरण जारी रखा जाये क्योंकि देशी निर्माता कांच उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। सरकार ने इस मामले पर ध्यान दिया है और वह इस बात से संतुष्ट है कि उद्योग की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सोडा ऐश का पर्याप्त संभरण देशी उत्पादन से प्राप्त हो जायेगा, और आगामी छः महीनों के लिये केवल कांच की चादरों के लिये आयात किये गये सोडा ऐश का प्रयोग होगा।

भारी उद्योग

†६०४. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली और दूसरी पंच वर्षीय योजनाओं के अन्दर भारी उद्योगों के राज्यवार पृथक् पृथक् आंकड़े क्या हैं तथा उन में कितने कितने व्यक्ति काम करते हैं;

(ख) तीसरी योजना में अब तक स्थापित भारी उद्योगों का राज्यवार ब्योरा क्या है तथा उस में कितने लोग काम करते हैं; और

(ग) तीसरी योजना की बकाया अवधि में प्रस्तावित भारी उद्योगों का राज्यवार ब्योरा क्या है तथा उन में कितने व्यक्तियों को काम पर लगाये जाने की संभावना है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में कताई मिल

६०५. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से उस जिले में एक स्पिनिंग मिल स्थापित करने का प्रस्ताव आया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह). (क) जी, हां।

(ख) आवेदन-पत्र पर विचार किया जा रहा है।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

†६०६. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री सोनावाने :
श्री रा० शि० पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बासप्पा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम, १९६१ की जनगणना के आधार पर इस वर्ष आरम्भ किया जायेगा ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : परिसीमन आयोग अधिनियम, १९६२ की धारा ३ के अनुसार, एक परिसीमन आयोग स्थापित किया गया है और इस ने अधिनियम के अधीन अपना काम शुरू कर दिया है।

ढलाई तथा गढ़ाई परियोजना

†६०७ **श्री रा० शि० दुबे :** क्या **इस्पात तथा भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असैनिक कामों तथा संयंत्र प्राप्त करने के मामले में ढलाई तथा गढ़ाई परियोजना के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : सब फैक्टरी इमारतों के लिये ठेके दिये जा चुके हैं और कारखाने की वर्कशाप बनाने का काम पूरा हो चुका है; लकड़ी के काम की दुकान, ढांचा, संग्रहण तथा औजार गृह के निर्माण कार्य में प्रगति है तथा अन्य दुकानों अर्थात् ग्रे आयरन ऐंड स्टील फाउंडरियों, ढलाई और सफाई दुकानों में काम १९६२ में आरम्भ हो गया है। इन इमारतों को पूरा करने के लिये लगभग ३२,००० टन इस्पात की जरूरत होगी और संभरण की व्यवस्था होहा तथा इस्पात नियंत्रक के द्वारा की जा रही है।

८.२५ करोड़ रुपये की लागत का २५,३३१ मीट्रिक टन संयंत्र तथा अन्य सामान, ५३,२६२ मीट्रिक टन के कुल आर्डर में से विदेश से भेजा जा चुका है। कारखाने की वर्कशाप में उपकरण लगाने का काम प्रगति पर है तथा फैक्टरी खण्डों के पूर्ण हो जाने पर निर्माण कार्य जारी रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रगति अनसूची के अनुसार है और आशा है कि भूरा लोहा फाउन्डरी १९६४ तक चालू हो जायगी, तथा गढ़ाई दुकान मार्च १९६५ तक तथा इस्पात ढलाई फैक्टरी १९६५ के अन्त तक चालू हो जायगी ।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार

†६०८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ख) अफरीका के कौन कौन से देशों के व्यापार सम्बन्ध भारत के साथ हैं और १९६२ में दोनों देशों के बीच कितना व्यापार हुआ था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) वाणिज्य कार्यालय खोलने, निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि नियुक्त करने, भारतीय माल की प्रदर्शिनियां आयोजित करने, भारतीय माल के प्रदर्शन के हेतु स्थायी प्रदर्शन गृह स्थापित करने, प्रतिनिधि आना जाना, संयुक्त आन्दोलन आरम्भ करना, भारतीय फर्मों को विदेशी शाखाएं खोलने तथा व्यापार करार करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाये गये हैं । की गई कार्रवाइयों का एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ९२७/६३]**

(ख) भारत का (दक्षिण अफरीका संघ को छोड़ कर) अफरीका के सभी देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध है । इस समय मिश्र, मराको और ट्यूनीशिया के साथ ही हमारे देश के व्यापार करार हैं । १९६२ में अफरीकी देशों और भारत के बीच हुए व्यापार का विवरण संलग्न है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

अफ्रीका से कुल आयात	अफ्रीका को कुल निर्यात	व्यापार अन्तर
५६८० . . .	५२१५	(–)४६५

राजकीय व्यापार निगम द्वारा वस्तु विनिमय करार

†६०९. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों के साथ राजकीय व्यापार निगम ने वस्तु विनियम संबंधी करार किये हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन सौदों में प्रत्येक देश के साथ (देशवार) कितने तथा कितने मूल्यों की वस्तुओं का विनियम होगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राजकीय व्यापार निगम ने स्वीडन, स्विटजरलैंड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, फिनलैंड, आस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, जोर्डन और ट्यूनीशिया के व्यापार गृहों के साथ वस्तु विनियम करार किये हैं ?

(ख) उन विदेशों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण, प्रत्येक सौदे में आयात/निर्यात की वस्तुओं का विवरण तथा उन की लागत संलग्न विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ९२८/६३]

पश्चिम बंगाल में नमक फैक्टरियां

†६१०. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ से ले कर पश्चिम बंगाल में कितनी नई नमक फैक्टरियां खोली गई हैं ; और

(ख) कोंटई में एक बड़ी नमक फैक्टरी खोलने के प्रश्न की जांच कहां तक हो पाई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो) : (क) कोई नहीं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

कपड़ा उद्योग के लिये लाइसेंस जारी करना

†६११. श्री शिवमूर्ति स्वामी: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग के लिए लाइसेंस देने के सम्बन्ध में कोई नीति घोषित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहकारी समवायों के बारे में भी इसी नीति को अपनाया जाता है ;

(ग) मैसूर राज्य के कितने व्यक्तियों ने सहकारी कपड़ा उद्योगों के लिए प्रार्थना की है और अभी कितने लाइसेंस जारी करने बाकी हैं ; और

(घ) क्या ३० सितम्बर १९६० की निश्चित तिथि के पश्चात् सहकारी साथों को प्रोत्साहन देने के लिये नीति को उदार करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सरकार ने, पहले पहल, तीसरी योजना अवधि में ३० लाख तकुओं के लिए लाइसेंस देने का फैसला किया। इन में से २० लाख तकुवे विभिन्न राज्यों को आवंटित किये गये तथा शेष १०

---

†मूल अंग्रेजी में

लाख सहकारी रुई कताई मिलों तथा अन्य उद्योगों के लिये नियत करने के लिए पृथक रखे गये थे ।

(ग) तीन प्रार्थनाएं प्राप्त हुई थीं और उन सब को लाइसेंस दिये गये हैं ।

(घ) जी नहीं ।

रूरकेला इस्पात सन्यन्त्र

†६१२. **श्री त्यागी** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में रूरकेला के बहुत से कर्मचारी और वरिष्ठ कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिये हैं या उन को बरखास्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

राजभाषा (विधान) आयोग

†६१३. { **श्री त्यागी :**
श्री रघुनाथ सिंह ।

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राज भाषा (विधान) आयोग के कितने सदस्य तथा कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) आयोग के सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता किस दर पर दिया जाता है ?

†**विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बिमलेन्द्र मिश्र)** : (क) सभापति, उपसभापति, और सदस्य-सचिव, तीन पूर्ण-कालिक सदस्य और नौ अंश-कालिक सदस्य अभी तक नियुक्त किये गये हैं । अब तक नियुक्त कर्मचारियों की संख्या है :

(१) राजपत्रित	.	७
(२) अराजपत्रित	.	३० (इन में २२ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं)
योग	.	३७

(ख) आयोग के सदस्यों को आयोग के काम के सम्बन्ध में मिल सकने वाले दैनिक भत्ते तथा यात्रा भत्ते की दरें सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ६२६/६३]

†मूल अंग्रेजी में ।

आयात लाइसेंस

†६१४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) पूंजी माल और (२) उपभोक्ता माल के सम्बन्ध में १९६२ में कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किये गये थे ; और

(ख) दोनों श्रेणियों के माल के सम्बन्ध में अनुपयुक्त बकाया आयात लाइसेंसों का अनुमान क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). आयात व्यापार नियंत्रण संगठन में, लाइसेंस संबंधी आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर नहीं रख जाते । अप्रैल १९६२—मार्च १९६३ लाइसेंस देने की अवधि (३१ दिसंबर १९६२ तक) संबंधी अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिजली के पंखे

†६१५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९६२ में भारत में कितने बिजली के पंखों का निर्माण किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में कितने मूल्य के बिजली के पंखों का निर्यात किया गया ; और

(ग) ये पंखे किन किन देशों को भेजे गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो):** (क) भारत में बड़े पैमाने की इकाइयों में १९६२ तक तैयार पंखों की कुल संख्या ११,२९,३०० है ।

(ख) जनवरी से नवम्बर १९६२ तक की अवधि में निर्यात किये गये पंखों की कीमत ७२,७९,२६५ रुपये है ।

(ग) पंखे इन देशों को भेजे गए :—

अदन, आस्ट्रेलिया, मिश्र, इराक, इथियोपिया, कुवैत, मलाया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, सीरालिओन, सिंगापुर, सूडान, थाइलैंड ।

सिलाई की मशीनें

†६१६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में भारत में सिलाई की कितनी मशीनें बनाई गईं ;

(ख) उक्त अवधि में कितने मूल्य की सिलाई मशीनों का निर्यात किया गया ; और

(ग) वे किन देशों को भेजी गईं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) (क) ३,८६,३१६।

(ख) लगभग ३७ लाख रुपये।

(ग) इंगलैंड, कुवैत, पूर्वी पाकिस्तान, सिंगापुर, मलाया, इराक, अफगानिस्तान, थाइलैंड, टांगानिका, संयुक्त अरब गणराज्य, सूडान, कांगो, मडगास्कर, कनाडा, ब्रिटिशगियाना, फिजी द्वीपों सोलोन, नीदरलैंड, कीनिया अमरीका, दक्षिण वियतनाम, नाइजीरिया, कम्बोदिया, पश्चिम जर्मनी ईरान।

"लगातार ढलाई तरीका"

†६१७. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूरकेला में इस्पात बनाने में "लगातार ढलाई तरीका" लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब इस को लिये लागू किये जाने की संभावना है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :(क) और (ख) "लगातार ढलाई तरीका" जारी करना उन संभाव्यताओं में से एक है, जिन के बारे में चौथी योजना में रूरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन के संभावित विस्तार के संबंध में विचार किया जा रहा है।

आसाम में चाय नीलामी बाजार

†६१८. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेड :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रवेशकर को हटाने के प्रस्ताव के विकल्प के रूप में आसाम में चाय नीलामी बाजार खोजने का प्रश्न कुछ दिनों से विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या निर्णय लिया गया ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह):(क) और (ख) आसाम के चाय नीलामी बाजार को स्थापना की संभावना की जांच करने के लिये आसाम सरकार द्वारा ४ अक्टूबर, १९६१ को स्थापित समिति ने अपना प्रतिवेदन २६ जून १९६२ को पेश कर दिया है। इसके साथ साथ समिति ने आसाम की चाय का पश्चिम बंगाल प्रवेश शुल्क के प्रभाव की भी जांच की है। परन्तु उनकी सिफारिशें करके हटाने तथा न हटाने के संबंध में नहीं थीं ; संभवतः आसाम सरकार ने सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लंका चाय बोर्ड

†६१९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका चाय बोर्ड ने पश्चिम देशों में संयुक्त 'चाय पान' आन्दोलन में भारत सरकार द्वारा भाग लिये जाने के बारे में कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) हाल में ही लंका चाय बोर्ड तथा भारतीय चाय बोर्ड के विदेशों में चाय का विस्तार करने के बारे में बातचीत हुई थी। सरकार को बातचीत का ब्यौरा कुछ समय पहले ही मिला है।

पंजाब को लोहे का आवंटन

†६२०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में पंजाब को कितना लोहा आवंटित किया गया था ; और

(ख) इसी अवधि में पंजाब को वास्तव में कितना आवंटन हुआ था ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) क्योंकि १ जुलाई, १९५९ से कच्चे लोहे के लिये कोई कोटा पद्धति नहीं थी इसलिये कोई आवंटन नहीं किया गया था। उपभोगताओं से सीधे ही इंडैंट मिलते हैं तथा पहले की खपत तथा निर्धारित क्षमता से आधार पर जांच के बाद उत्पादकों को आवंटन होता है। ढलाई के कच्चे लोहे की मांग बहुत बढ़ गई है क्योंकि ढलाई के कारखाने तथा निर्धारित क्षमता बहुत बढ़ाई है क्योंकि उपलब्धता उसी के अनुसार नहीं बढ़ी है इसलिये सभी उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं की जा सकती है। इसलिये उपलब्ध मात्रा का करीब करीब वितरण निर्धारित क्षमता तथा बकाया आर्डरों के आधार पर होता है। पंजाब के मामले में केन्द्रीय सूची के ढलाई के कारखानों के लिए १२,३८८ टन लगाया गया है तथा राज्यसूची के ढलाई के कारखानों के लिए १४,४८० टन लगाया गया है।

(ख) १९६२-६३ (अप्रैल ६२—जनवरी ६३) में ४९,५८९ टन कच्चा लोहा भेजा गया था। दूसरे गत वर्ष के बचे हुए लदान तथा नवीन आवंटन भी शामिल है।

मद्रास राज्य में हथकरघों का कपड़ा

†६२१. **श्री धर्मलिंगम् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा विदेशों में मांग कम होने के कारण मद्रास राज्य में हथकरघे के कपड़े का भारी स्टाक इकट्ठा हो गया है ;

(ख) क्या हथकरघे के कपड़े पर १० नये पैसे छूट देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या मद्रास सरकार ने इस कार्य के लिये केन्द्र से कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसको क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) भारत सरकार को रिपोर्ट मिली है कि हथकरघों का कपड़ा बिना बिके इकट्ठा हो गया है तथा मद्रास राज्य समेत विभिन्न राज्यों के जुलाहों की हालत बड़ी नाजुक है। मामले पर ध्यान से अध्ययन किया गया तथा यह समझा गया कि यह अस्थाई है और हालत शीघ्र सुधर जावेगी, परन्तु हथकरघे के कपड़े का भंडार समाप्त करने के लिए तथा उद्योग को सहायता देने के लिए यह निर्णय किया गया है कि हथकरघे के सभी कपड़ों पर उसके अतिरिक्त छूट जो अब तक दी जाती है और निम्न प्रकार है :—

(१) खुदरा बिक्री पर ५ नये पैसे रुपये पर ;

(२) और थोक बिक्री पर तीन नये पैसे रुपये पर।

यह विशेष छूट १ मार्च से १५ मार्च १९६३ के १५ दिन के लिए दी जायेगी। यह विशेष छूट खुदरा बिक्री पर ५ नये पैसे प्रति रुपया तथा थोक बिक्री पर तीन नये पैसे प्रति रुपये के अतिरिक्त है।

चाय उत्पादन लागत

†६२३. श्री प्र० चं० ब आ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित कारणों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के चाय उत्पादन की लागत को क्या प्रभाव पड़ा : (१) मजूरी बोर्ड द्वारा स्वीकृत मजूरी में वृद्धि तथा (२) कोयले के सांघे रेल भदान को रोकने के कारण कोयले के मूल्य में वृद्धि तथा (३) आपात जोखिम बीमा लगाना ; और

(ख) इस वृद्धि को उत्पादन लागत पर न पड़ने देने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं जिस से भारतीय चाय विशेषत: साधारण चाय, विदेशी बाजार में प्रतिद्वन्दी मूल्य पर बिक सके क्योंकि विश्व चाय बाजार में प्रतिद्वन्दिता बढ़ रही है।

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। चाय बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों में चाय उत्पादन के व्यय का सर्वेक्षण कर रहा है। निर्णय करने से पूर्व बोर्ड इन बातों पर विचार करेगा।

(ख) भारतीय चाय की विदेशी बाजार में प्रतिद्वन्दिता पर लगातार विचार किया जा रहा है। १ मार्च १९६३ से चाय पर निर्यात शुल्क हटाना इसी दिशा में एक कदम है।

नारियल के गोले का आयात

†६२४. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोले के आयात के लिये गत १२ महीनों में कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या यह लाइसेंस केवल उन लोगों के लिये जारी किए गए हैं जो गोले का उपयोग केवल तेल बनाने के लिए करते हैं ;

(ग) क्या सरकार को केरल में तेल के कारखानों के मालिकों की संस्था से नारियल तेल के कारखानों के मालिकों को गोला आयात लाइसेंस न देने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार केरल के नारियल के तेल के कारखानों के मालिकों की शिकायतों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अक्तूबर ६१--सितम्बर ६२ की लाइसेंस वाली अवधि के लिए २,४१८ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) अप्रैल ६२--मार्च १९६३ की चालू लाइसेंस की अवधि को आधे वर्ष में गोले का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा कर दिया गया है । यह उन गोला तेल निकालने वाले एककों को तथा साबुन निर्माताओं में वितरित होगा जिन्होंने वार्षिक अभ्यावेदन दिये हैं तथा पहले अर्द्ध वर्ष के लिए जिनके पास लाइसेंस हैं ।

आयात तथा निर्यात लाइसेंस

†६२५. श्री द्वारकादास मन्त्री :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में आयात तथा निर्यात लाइसेंसों को बेइमानी से हासिल करने के कारण कितने सार्थों को रोक दिया गया है; और

(ख) इस अवधि में कितनों को काली सूची में रख दिया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) ९७ (१-४-६२ से १६-२-६३ तक) ।

(ख) ६७ (उपरोक्त १९ फर्मों समेत तथा १-४-६२ से १६-२-६३ तक) ।

पोर्टेबल टाइपराइटर फैक्टरी

†६२६. श्री प० कुन्हन् : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम जर्मन सहयोग से पोर्टेबल टायपराइटर बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करने की योजना स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) फैक्टरी में कब तक उत्पादन होने की आशा है; और

(घ) फैक्टरी का स्थापना स्थान कहां पर है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). उपरोक्त (क) के उत्तर के आधार पर प्रश्न नहीं उठता है ।

उर्वरक कारखाना, रूरकेला

†६२७. श्री प० कुन्हन : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील ने भारत के उर्वरक निगम से रूरकेला के उर्वरक संयंत्र को चलाने के लिये कहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उर्वरक कारखाना संयंत्र को कब तक ले लेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). रूरकेला उर्वरक कारखाने का प्रबन्ध भारत के उर्वरक निगम को, दे देने का प्रस्ताव विचाराधीन है क्योंकि उनको उर्वरक के निर्माण का अधिक अनुभव है । इसका अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि कारखाने का प्रबन्ध किस तिथि को ले लिया जायेगा ।

निर्यात होने वाले नारियल जटा उत्पादों का किस्म नियन्त्रण

†६२८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट अथवा जूट उत्पादों को समस्त निर्यात होने वाली वस्तुओं पर किस्म नियंत्रण लगाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस नियंत्रण के कब लगाये जाने की आशा है; **और**

(ग) क्या यह नियंत्रण अनिवार्य होगा अथवा स्वैच्छिक ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जूट अथवा जूट उत्पादों की निर्यात होने वाली उन वस्तुओं पर किस्म नियंत्रण लगाने का विचार है जिनके लिये वस्तु स्तर भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किये गये हैं ।

(ख) १ अप्रैल, १९६३ को ।

(ग) शुरू में स्वैच्छिक ।

हथकरघा उद्योगों में निर्यात

†६२९. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का हथकरघा उद्योगों में होने वाले समस्त निर्यात को अपने हाथ में लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारी उद्योग

†६३०. **श्री अब्दुल गनी गोनी :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **स्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य मे केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक स्थापित किये गये भारी

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों के क्या क्या नाम हैं; और

(ख) तृतीय योजना की शेष अवधि में जिन जिन उद्योगों के स्थापित किये जाने की सम्भावना है उनके क्या नाम हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). जम्मू तथा काश्मीर राज्य में अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी भारी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है । तृतीय योजना की शेष अवधि में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में किसी भी भारी उद्योग को स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव इस समय नहीं है ।

ऑटो रिक्शा गाड़ियों का आयात

†६३१. श्री याज्ञिक : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आयात किये गये ऑटो-रिक्शा के रूप में प्रयोग किये जाने वाले तीन पहियों के स्कूटरों की संख्या कितनी है;

(ख) १९६३–६४ में कितनी ऑटो-रिक्शा गाड़ियों को आयात करने के लिये अनुज्ञप्तियां दे दी गई हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ऑटो-रिक्शाओं को उनके ख़रीदे जाने के एक वर्ष के अन्दर अन्दर ही बेचने पर प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय किया है, जैसा कि दो पहियों वाले स्कूटर्स के सम्बन्ध में लगा हुआ है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्): (क) और (ख). वाणिज्यिक आधार पर बनी बनाई दशा में स्कूटर ऑटो रिक्शाओं को आयात करने पर अक्टूबर, १९५७ से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । तथापि, स्कटर्स, के सी० के० डी० पैक्स (खुली हुई हालत में) आयात करने के लिये समय समय पर उनको दी गई अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध स्कूटर्स के मान्यता प्राप्त निर्माणकर्ताओं में से दो को स्कूटर ऑटो रिक्शाओं का निर्माण करने के लिये पुर्जों को आयात करने की अनुमति दे दी गई है । गत तीन वर्षों में उनके द्वारा निर्मित स्कूटर ऑटो रिक्शाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	निर्माण
	संख्या
१९६०	४६६
१९६१	१,२४५
१९६२	१,४०२

(ग) ऑटो रिक्शाओं के वितरण तथा विक्रय का किनियमन करने के लिये एक नियंत्रण आदेश जारी करने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

कांगड़ा में चाय परिष्करण सन्यन्त्र

†६३२. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन बढ़ाने तथा चाय उद्योग का सुव्यवस्थाकरण

---

†मूल अंग्रेजी में

करने की दृष्टि से उस घाटी में एक चाय परिष्करण संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने योजना मजूर कर ली है और यदि हां, तो उसके मुख्य मुख्य ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) परियोजना को पूरा तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इस बात के लिये सहमत हो गई है कि चाय बोर्ड कांगड़ा में बीर नामक स्थान पर एक सहकारी चाय कारखाना स्थापित करने के लिये पंजाब सरकार को तीन लाख रुपया ऋण देगा । कारखाने की पूंजी की अनुमानित लागत ५ लाख रुपये है तथा इसमें प्रति वर्ष २ लाख पौंड, काली अथवा हरी, चाय का परिष्करण किया जायेगा और इसकी क्षमता को शनैः शनैः बढ़ाकर ५ से ७.५० लाख पौंड तक कर देने की भी व्यवस्था होगी । समिति में अंशों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	रुपये
(१) सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा अंशदान . . .	५०,०००
(२) समिति में (अंश खरीदने के लिये) पंजाब सरकार द्वारा दी जाने वाली अंश पूंजी	५०,०००
(३) चाय बोर्ड द्वारा समिति को पंजाब सरकार के माध्यम द्वारा दिया जाने वाला ऋण	३,००,०००
(४) पंजाब सरकार द्वारा समिति को दिया जाने वाला ऋण . .	१,००,०००
योग	५,००,०००

सरकारी कारखाना स्थापित करने के लिये अनुमानित वित्तीय आवश्यकतायें नीचे दी गई हैं :

(१) कुल स्थिर पूंजी

१. भूमि के परिव्यय के लिये . . .	५,००० रुपये
२. भवन के परिव्यय के लिये . .	१,४०,००० रुपये
३. यंत्रों के परिव्यय के लिये .	२,४२,००० रुपये
योग . . .	३,८७,००० रुपये

(२) कर्म-वाहक पूंजी :

तीन महीने की आवश्यकताय . . .	७०,००० रुपये
योजना का कुल परिव्यय . . .	४,५७,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

चाय कारखाना सहकारी समिति के सदस्यों की चाय का परिष्करण करने के अतिरिक्त उस क्षेत्र के गैर-सदस्य चाय उत्पादकों के आवश्यक निर्माण व्यय का भुगतान कर देने पर उनकी चाय का भी परिष्करण करेगा ।

(ग) यह आशा की जाती है कि कारखाना अगले वर्ष के निर्माण काल तक तैयार हो जायेगा ।

दुर्गापुर में रसायन निर्माण परियोजना

†६३३. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) में रसायन निर्माण की परियोजना स्वीकार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण आरम्भ हो गया है और क्या इस परियोजना के लिए आवश्यक मशीनें देश में ही प्राप्त की जायेंगी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका आयात होगा; और

(घ) व किस देश से आयात की जायेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). दुर्गापुर रसायन परियोजना, कलकत्ता पश्चिमी बंगाल सरकार का एक उपक्रम है जिसको मिश्रित फिनौल, थालिक एन्टीड्राइड, पेन्टाक्लोरो, फिनौल, कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन बनाने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनितम १९५१ के अन्तर्गत लाइसेन्स दिया गया है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस परियोजना के शीघ्र निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही की है। जो मशीन और सामग्री देश में उपलब्ध न होगी वह फ्रांस तथा पश्चिमी देशों से आयात कर ली जायेगी।

औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

†६३४. **श्री दाजी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६०-६१ और १९६१-६२ में नये उद्योगों के लिए कितने लाइसेन्स दिये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितनों का प्रयोग किया गया है; और

(ग) इस अवधि में प्रयोग न किये जाने से कितने लाइसेन्स वापस ले लिये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). समय समय पर दिये जाने वाले लाइसेन्सों का विवरण "औद्योगिक लाइसेन्सों, आपात लाइसेन्सों तथा निर्यात लाइसेन्सों के समाचार" में तथा "भारतीय व्यापार पत्रिका" में प्रकाशित होता है। ये दोनों पत्रिकायें साप्ताहिक हैं। इनके अतिरिक्त, "उद्योग तथा व्यापार पत्रिका" में भी, जो मासिक पत्रिका है, यह विवरण प्रकाशित होता है। लाइसेन्सों की कार्यान्विति की प्रगति भी मासिक पत्रिका "उद्योग तथा व्यापार पत्रिका" में भी प्रकाशित होती है। तीनों प्रकाशनों की प्रतियां सभा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में १२३ लाइसेन्स रद्द किये गये।

छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग

†६३५. श्री गोपाल दत्त मैनी :
श्री अब्दुल गनी गोनी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ की कुल राष्ट्रीय आय में छोटे पैमाने के उद्योगों तथा बड़े पैमाने के उद्योगों का कितना प्रतिशत था ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो) : औद्योगिक उद्भव द्वारा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत विभाजन "राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन—१९४८–४९ से १९६१–६२ तक" नामक वार्षिक प्रकाशन की तालिका २१ में दिया है। यह रचना सांख्यकी विभाग केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा निकाली गई हैं और २५ फरवरी, १९६३ को सभा सदस्यों में परिचारित की गई थी। इस रचना के अनुसार, छोटे उपक्रमों तथा कारखानों का १९५९–६० से १९६१–६२ तक राष्ट्रीय आय में प्रतिशत भाग निम्न है :—

राष्ट्रीय आय में प्रतिशत अंश

	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
छोटे पैमाने के उपक्रम . .	८.२	७.९	८.०
कारखाने . . .	८.६	९.३	१०.०

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में इस्पात संयंत्र

†६३६. श्री अब्दुल गनी गोनी :
श्री गोपाल दत्त मैनी :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में विस्तृत भूतत्वीय अध्ययनों को ध्यान में रखकर वहां कोई इस्पात या कच्चा लोहा संयंत्र बनाना संभव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार यह कार्यवाही कब करेगी ?

†इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जम्मू तथा काश्मीर में उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर वहां इस्पात या कच्चा लोहा संयंत्र बनाने की संभावना निर्धारित करने के लिए गहन टेक्निकल अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार से कहा है कि वह राष्ट्रीय धातुकम प्रयोगशाला की सहायता से ये अध्ययन करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

६ मार्च, १९६३ को पुलिस के टाउन हाल तक पहुंचने में विलम्ब

†अध्यक्ष महोदय : यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे इस संबंध में एक अनुरोध करना है। इसी विषय के एक लोक महत्व के विषय की सूचना हमने दी थी जब ८७ परिवारों को अधि-निष्कासित किया गया था, और यह घटना उसके परिणामस्वरूप ही हुई। हमारी सूचना को अस्वीकार कर दिया गया था और इसे विभिन्न रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें इस पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

†अध्यक्ष महोदय : यह वही विषय नहीं है। इस का विषय अधिनिष्कासन न होकर, पुलिस द्वारा हस्तक्षेप और आक्रमण किये जाने पर परिषदों का भाग जाना है। यदि आप को कोई शिायत है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं कागजात मंगवा लूंगा। कागजात का ज्ञान पूर्व सूचना के बगैर मुझे नहीं हो सकता, आपको भले ही हो।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कि मैं इस कालिंग अटेन्सन को ले नहीं सकता ?

श्री सरजू पाण्डेय : मैं इसी सिलसिले में आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। नियम १९७ के बारे में, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि पब्लिक इम्पार्टेन्स के जो प्रश्न हों उन पर मिनिस्टरों से बयान दिलाये जायें, मेरा निवेदन यह है कि आज देश में जैसी संकट की स्थिति है उस में यदि किसी बात से देश की एकता के भंग होने की सम्भावना हो या देश की सुरक्षा को बाधा उपस्थित हो उसके सम्बन्ध में भी इस नियम में आप व्यवस्था कर दें। अभी लखनऊ में एक प्रदर्शनी हुई थी उसके सम्बन्ध में मैंने एक कालिंग अटेन्शन नोटिस दिया था लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया गया।

†श्री बड़े : औचित्य का प्रश्न उठा कर वह उसी बात को भिन्न तरीके से कहना चाहते हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : मेरा निवेदन यह है कि उस प्रदर्शनी में इस प्रकार की किताबें और इश्तहार आदि रक्खे गये जिनसे देश की एकता के भंग होने की सम्भावना.....

†श्री बड़े : वह इसका प्रयोग इस मामले पर बोलने के लिए नहीं कर सकते। यह राज्य का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी बात सुन लेने दीजिये।

श्री सरजू पाण्डेय : मेरा निवेदन है कि यहां पर कई बार ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं जिन से देश की एकता के भंग होने की सम्भावना होती है या कुछ लोग इस प्रकार की चीजों का प्रदर्शन करते हैं जिन से देश की मूल नीतियों पर आघात होता है किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में। इसलिये आप नियम १९७ पर दुबारा विचार करें और माननीय मंत्रियों से इस बात का आग्रह करें कि वे ऐसे प्रश्नों पर अपनी राय दें। अभी लखनऊ....

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको और चीजों को इस समय नहीं कहने दे सकता।

श्री सरजू पाण्डेय : मेरा प्वाइंट आफ आडर है।

अध्यक्ष महोदय : अब यह फैसला कौन करेगा। माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बड़े : मैं प्वाइंट आफ आडर रेज करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या आप चाहते हैं कि पहले प्वाइंट आफ आर्डर को बन्द कर दूं और आपके प्वाइंट आफ आडर को पहले सुन लूं? पहले आप एक को खत्म होने दीजिये। पहले मैं उनसे बात कर लूं फिर दूसरे को अलाऊ कर सकता हूं।

†**श्री बड़े** : मुझे औचित्य के प्रश्न पर कुछ कहने की आज्ञा दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका निर्णय मुझे करना है।

†**श्री त्यागी** : पहले उन्हें कहने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यह कौन फैसला करे कि कालिंग अटेन्शन नोटिस कहां पर होनी चाहिये और कहां नहीं होनी चाहिये?

श्री सरजू पाण्डेय : मैं नियम १९७ के बारे में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप को कोई शिकायत हो तो आप मेरे पास आइये। यह नहीं कि इस चीज के कवर में आप अपनी बात कहें।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : (केन्द्रपाड़ा) : यह चर्चा नियम १९७ पर नहीं हो रही है। यह तो एक विशेष मामले के संबंध में हैं।

अध्यक्ष महोदय : नियम १९७ के अन्तगत जो चीं हमारे सामने है उस की बाबत ही कहें।

श्री सरजू पाण्डेय : नियम १९७ के बारे में मेरा कहना है कि आप इन प्रश्न के ऊपर मुख्य रूप से ध्यान दें कि बाहर ऐसी बातें होती हैं जिन से देश की सुरक्षा सम्बन्धी बातों पर और देश की एकता को आघात पहुंचता है. . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते हैं कि नियम १९७ में और भी सब्जेक्टस आ जायें तो उस के लिये आप रूल्स के अमेंडमेंट का नोटिस दें। अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि मैंने कोई गलत फैसला दे दिया तो वह मेरे सामने ले कर उस को आयें और उस पर मुझ से बहस करें। इस समय एक चीज पर बहस हो रही है, उस पर कोई और प्वाइंट आफ आर्डर कैसे उठ सकता है?

श्री बड़े : मेरा कहना है कि लखनऊ में कोई ऐसी बात नहीं हुई है . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब मैं माननीय सदस्यों को बोलने से रोक रहा हूं फिर भी वह मेरी बात की परवाह न कर के बोलते जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री बड़े : यह गलत है ऐसा मेरा कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० आर० चक्रवर्ती ।

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** (धनबाद) : मैं गृह मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस के बारे में वक्तव्य दें :

"६ मार्च, १९६२, को जब कुछ व्यक्तियों ने दिल्ली के टाउन हाल पर हमला कर दिया उस समय पुलिस के टाऊन हाल तक पहुंचने में विलम्ब किया ।"

गृह-कार्यमन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हजरनवीस): ५ मार्च, १९६३ को लगभग ग्यारह बजे, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७, के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत नोटिसेज़ देने के पश्चात् दिल्ली नगर-निगम के उस सेविवर्ग ने, जिन्हें अनधिकृत रूप से निर्मित स्थानों पर नज़र रखने के लिये रखा गया है, निमरी गांव, जो कि पुलिस स्टेशन सब्जी मंड़ी के इलाके भारत नगर के निकट है, की कुछ अनधिकृत जगहों को गिराने का कार्य आरम्भ किया ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं औचित्य के प्रश्न पर यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय उसी लोक महत्व के वि य के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह लोक महत्व का विषय केवल ६ मार्च, १९६३ को पुलिस के दिल्ली के टाउन हाल में पहुंचने में विलम्ब पर ही है । यह आपत्ति की गयी थी कि एक और लोक महत्व का विषय था जिस को मैंने अनुमति नहीं दी थी । वह विषय कुछ लोगों के अधिनिष्कासन के बा रे में था । यह श्न केवल पुलिस के पहुंचने में विलम्ब का है ।

†**श्री हजरनवीस :** मैंने तो यह सब यह बताने के लिये कहा था कि घटना किस प्रकार हुई ।

६ मार्च, १९६३, को लगभग ३ बजे ६० व्यक्तियों का एक समूह, जिस में कुछ स्त्रियां भी थीं, टाउन हाल पर पहुंचा और उन्होंने निमरी गांव में अनधिकृत रूप से निर्मित इमारतो के गिराये जाने के विरोध में ऊंचे ऊंचे शोर मचाना आरम्भ किया ऐसे प्रदर्शन सम्बन्धी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी । कुछ समय पश्चात प्रदर्शनकर्ता अधिक हिंसक हो गये और मुख्य भवन, जिस म उस समय निगम की स्थायी समिति का अधिवेशन हो रहा था, में बलपूर्वक घुसने के प्रयोजनार्थ वह टाउन हाल के बरांडे में चले गये । अनियंत्रित भीड़ ने हिंसक होकर कार्यालय के दरवाजों पर ईंटे फेंकनी आरम्भ कर दी और दरवाजों के बहुत से शीशे तोड़ डाले । भीड़ ने झंडों की छड़ियों से निगम संविवर्ग पर प्रहार भी किया । निगम के बहुत से अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त, ९ व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं जिन में ५ प्रदर्शनकर्ता भी थे । सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और ९ स्त्रियों सहित १९ प्रदर्शकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफल हुई । पुलिस स्टेशन कोतवाली में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं १४७, ४५२, ३२३ और ४२६ के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया जो कि जांचाधीन है ।

घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने में विलम्ब के सम्बन्ध में मुख्यायुक्त के पास एक शिकायत की गई । जिला दण्डाधिकारी ारा मामले की तुरन्त जांच की गई जिस से यह विदित होता है कि प्रदर्शन संबंधी सूचना टाउन हाल पुलिस पोस्ट में ३.२० बजे शाम को दी गई । दो हवालदार तुरन्त ही घटनास्थल की ओर भेज दिये गये जो वहां ३.३० बजे शाम को पहुंच गये । टाउन हाल पुलिस

†मूल अंग्रेजी में ।

स्टेशन की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल भेजने के लिये पुलिस स्टेशन कोतवाली को सूचना भी तुरन्त ही भेज दी गई। कोतवाली से पुलिस दल को ३.४५ बजे शाम भेज दिया गया। कोतवाली पुलिस स्टेशन के कर्तव्य अधिकारी ने, जिसे सूचना दी गई थी, पुलिस बल को भेजने में २५ मिनट लगा दिये उसे अपने कर्तव्य पालन में उपेक्षा के आधार पर मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत इस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच का आदेश दे दिया गया है।

†**श्री अ० रं० चक्रवर्ती** : क्या मैं जान सकता हूं कि टाउन हाल से पुलिस स्टेशन कितने फासले पर है ?

†**श्री हजरनवीस** : ठीक फासला तो मैं नहीं बता सकता परन्तु यह उसी सड़क पर स्थित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई अन्य माननीय सदस्य जिस ने सूचना दी हुई है और जो प्रश्न पूछना चाहता हो ? कोई नहीं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

समवाय अधियिम के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रारूप

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : श्री कानूनगो की ओर से, मैं समवाय अधिनियम, १९५६, की धारा ६२० की उपधारा (२) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा ६२० की उपधारा (१) निकाली जाने वाली प्रस्तावित अधिसूचना के प्रारूप को एक प्रति उस पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ९२३/६३]

विधेयक पर राय

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं राज्यों की विधान परिषदों की रचना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, जिसे ८ जून, १९६२ को सभा के आदेशानुसार उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, पत्र संख्या १ सभा पटल पर रखता

संविधान (पन्द्रहवां संशाधन) विधेयक

संयुक्त समिति की प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं, भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

श्री त्यागी (देहरादून) : इस विधेयक को कब लिया जायेगा ? पिछली बार सरकारी सदस्यों द्वारा यह वादा किया गया था कि इसे शीघ्र ही लिया जायगा ताकि १२ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो कि सेवानि त्ति होने वाले हैं, सेवानिवत्त होने न पाये। पहले ही इस में काफी विलम्ब हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक किसी विषय को चर्चा के लिये लिये जाने का संबंध है, हमने निश्चय किया है, कि जब शुक्रवार के दिन संसद्-कार्य मंत्री वक्तव्य देते हैं इसे उसी समय लिया जा सकता है, और तभी यह जांच भी की जा सकती है कि कोई विशेष मामला चर्चा के लिये तुरन्त ही लिया जाना है अथवा कुछ समय पश्चात्, आदि आदि ।

विधेयक पर साक्ष्य

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** : मैं भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति

सातवां प्रतिवेदन

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं संविदित निगमों, सरकारी "सलवायों, 'सरकारी वाणिज्यक तथा अर्धवाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के बारे में लोक लेखा समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं, आप की अ ुमति से, १२ मार्च, १९६३ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य के बारे में घोषणा करता हूं, जो कि स प्रकार होगा :

(१) १९६२–६३ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान ।

(२) संघ राज्य क्षेत्रों का शासन विधेयक, १९६३, को एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर विचार ।

(३) केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६३, पर विचार और उसे पारित करना ।

(४) सामान्य आयव्ययक पर सामान्य चर्चा जो बुधवार, १३ मार्च, १९६३, को आरम्भ होगी ।

सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों संबंधी अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान निम्नलिखित क्रम में होगा :—

वैदेशिक-कार्य

खाद्य तथा कृषि

सूचना और प्रसारण

शिक्षा

---

†मूल अंग्रेजी में ।

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य

अणु शक्ति

स्वास्थ्य

सिंचाई और बिद्युत्

श्रम और रोजगार

गृह-कार्य

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास

बिधि

सामुदायिक विकास तथा सहकार

प्रतिरक्षा

वाणिज्य तथा उद्योग

परिवहन तथा संचार

खान और इंधन

इस्पात और भारी उद्योग

आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय

संसद्-कार्य विभाग

वित्त (योजना सहित)

†**श्री त्यागी** (देहरादून): पिछली बार विधि मंत्री ने वादा किया था कि इस संविधान (संशोधन) विधेयक को शीघ्र ही लिया जायगा और यह बताया गया था कि १२ वरिष्ठ न्यायाधीश चूंकि इस बीच में सेवानिवत्त होने वाले हैं इस लिये इस विधेयक पर शीघ्र विचार करना आवश्यक है ताकि इन न्यायाधीशों को हानि न पहुंचे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने स्वयं कोई कार्यक्रम बनाया है जिस के अनुसार इस विधेयक सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह इसी विधेयक की चर्चा कर रहे हैं ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जी हां, इसी विधेयक के बारे में । सार्वजनिक उपक्रमों पर स्थायी समिति का मामला बहुत समय से योंहि पड़ा है । मंत्री द्वारा सभा में निश्चित आश्वासन दिया गया था कि इस को गत सत्र में लिया जायगा । आपात काल के कारण हमने स्वयं इस पर चर्चा के विषय को लाना उचित नहीं समझा । परन्तु अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों में विकास करने की दृष्टि से इस की विशेष महत्ता हो गई है । इस लिये मैं चाहता हूं कि संसद्-कार्य मंत्री सभा में आश्वासन दें कि इसे शीघ्र ही लिया जायगा ताकि इसी अधिवेशन के दौरान चुनाव किये जा सकें ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं इस सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप में एक या दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं । मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई कि मंत्री महोदय ने मेरे अनुरोध

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

के अनुसार ही विभिन्न मंत्रालयों की मांगों का क्रम निश्चित किया है परन्तु गत वर्ष विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों सम्बन्धी प्रतिवेदन हमें जिस दिन किसी मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होनी थी उससे केवल २४ घंटे पूर्व मिले थे । इस वर्ष ऐसा नहीं होना चाहिए ।

सत्र के कार्य सम्बन्धी योजना उचित रीति से तैयार किये जाने के बारे में, मैं जब से इस सभा में आया हूं, तभी से ध्यान आकर्षित करता रहा हूं । इस सत्र के आरम्भ में हमें एक समाचार प्राप्त हुआ था और यह बताया गया था कि उस में दिखाये गये कार्य को विस्तृत न समझा जाय । उस की एक मद सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी है । दो अधिवेशनों से इस पर कार्यवाही नहीं की गई है ।

इस सम्बन्ध में मुख्य बात आयव्ययक, वित्त विधेयक और विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों सम्बन्धी है । नियम २०८ के अन्तर्ग, अनुदानों की मांगों के लिये नियत अंतिम दिन ५ बजे आप मुखबन्द प्रयोग करते हैं जिस में आप का अधिकार सर्वोपरि है । परन्तु सामान्य आयव्ययक पर चर्चा बहुत तीव्र गति से चलती है, अतः चर्चा के लिए बहुत थोड़ा समय मिलता है । संसद् के साथ सरकार का इस प्रकार का बर्ताव उत्तरदायित्व की अवहेलना मात्र है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप ने यह बात कार्य मंत्रणा समिति में भी उठाई थी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कार्य मंत्रणा समिति केवल इस सभा की छोटी सी समिति है । इस लिये मेरा आप से अनरोध है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आप अब भी अधिवेशन के कार्य की सूची में परिवर्तन लायें । पहली सूची के अनुसार आयव्ययक पर चर्चा आज आरम्भ होनी थी, परन्तु भूतपूर्व राष्ट्रपति के निधन के कारण सभा इस चर्चा को उस दिन आरम्भ नहीं कर सकी । अब संसद्-कार्य मंत्री के अनुसार इस चर्चा को १३ तारीख को आरम्भ किया जायगा । इस का अर्थ यह निकलता है कि राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रण जारी करने से पूर्व आप को विश्वास में नहीं लिया जाता । यह बात संसदीय लोकतंत्र के भविष्य के लिये बहुत अनुचित है । सभा में कार्य-संचालन आप को करना होता है, और सब प्रकार का कार्य निबटाना होता है । इसलिये आप को अवश्य विश्वास में लेना चाहिए । यदि आप को सारे कार्य की पूर्व सूचना दी जाय तो मुझे विश्वास है कि आप कहेंगे कि अधिवेशन कुछ समय पहले ही समवेत हो । इस अधिवेशन में प्रारम्भ में बहुत सा विधान सम्बन्धी कार्य किया जाना था, और यदि अधिवेशन एक सप्ताह पूर्व बुलाया जाता तो समस्त विधान सम्बन्धी कार्य समाप्त कर के सामान्य बजट पर चर्चा २ मार्च को आरम्भ कर सकते थे; और बजट २८ फरवरी को पेश भी किया जा सकता था ।

सामान्य आयव्ययक और वित्तीय मामलों को सामान्य चर्चा की अपेक्षा प्राथमिकता देने के प्रश्न पर आप ने कहा था कि आप संसद्-कार्य मंत्री से परामर्श के पश्चात् अपना निर्णय देंगे । इस के बावजूद भी इस कार्य को राज्य सभा में आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए था . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को यहां उठा दिया है, शायद कल फिर इसे दूसरी सभा में उठाया जायगा, और यह निरन्तर ऐसे ही चलता रहेगा । यदि आप इस की चर्चा न करते तो यह मामला यहीं समाप्त हो जाता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मैं श्री कामत द्वारा अभिव्यक्त विचारों से पूर्णतया सहमत हूं । कुछ विधान कार्यों के कारण आयव्ययक पर सामान्य चर्चा विलम्बित की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गत कई अधिवेशनों में भी ऐसा ही होता रहा है। आयव्ययक पर चर्चा के लिए अन्य विधान-कार्यों को अतिशीघ्रता से निबटाया जाता है। यह सर्वथा अनुचित बात है। अन्य विधान कार्यों को आयव्ययक पर चर्चा के पश्चात् लिया जाना चाहिए। इस के साथ साथ सभा सम्बन्धी कार्य की जो सूची एक बार बना ली जाय उसी के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : जब श्री के० सी० रेड्डी ने प्रस्ताव रखा था, तभी से मैं सरकारी उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध में हर सत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करता रहा हूं किन्तु उस पर इस कारण विचार नहीं किया गया कि सरकार स्वयं ऐसा प्रस्ताव ला रही है। इस प्रकार सभा की इच्छा को विफल बनाया जा रहा है।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कन्नारा) : पहले हमें मंत्रालयों के प्रतिवेदन काफी पहले दे दिये जाते थे अब केवल सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रतिवेदन मिला है और वह भी २४ घंटे पूर्व ।

†**श्री रंगा** : यदि माननीय मंत्री इस चर्चा में विलम्ब पैदा न करते तो हमें विभिन्न मांगों पर चर्चा का अधिक अवसर मिलता अतः कार्यक्रम तैयार करने की दिशा में सुधार की आवश्यकता है ।

दूसरे सरकारी उपक्रमों के लिए एक स्थायी समिति होनी चाहिये ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : यह ठीक है कि मैं ने कहा था कि सामान्य आय-व्ययक पर ८ तारीख को चर्चा आरम्भ की जायेगी किन्तु दुर्भाग्यवश डा० राजेन्द्र प्रसाद की मृत्य के कारण एक दिन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और फिर कुछ मदों की चर्चा में सभा की अनुमति से अधिक समय दिया गया। फिर बीच में तीन छुट्टियां थीं। अतः अब १२ की अपेक्षा १३ को इस पर चर्चा की जायेगी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : जब हम सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा के लिये अधिक समय मांगते हैं तो आप कहते हैं कि उस के लिए समय निश्चित है। अब आप स्वयं अन्य चर्चा के लिए तीन दिन ले रहे हैं।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : तीन दिन तो छुट्टियां हैं अतः अन्तर केवल एक दिन का है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : तब आप हमें छै घंटे और दें।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : अनुपूरक मांगें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम उन में विलम्ब नहीं कर सकते। इसी लिए हम ने कहा था कि यदि २० अप्रैल तक विधेयक पारित नहीं किया जाता तो अन्य आवश्यक विधान पर चर्चा नहीं हो सकती।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : आज का सारा दिन था। आज अनुपूरक मांगें क्यों पेश नहीं की गईं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आज तो रेलवे आय-व्ययक ही कठिनाई से पूरा होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : तब चर्चा के लिए १२ तारीख रहने दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे । यदि यह संभव हुआ तो यह अच्छा होगा कि यह चर्चा १२ से आरम्भ की जाय ।

यह तर्क नहीं देना चाहिये कि क्योंकि हमें सारी चर्चा अमुक तिथि को खत्म करनी है अतः किसी मद के लिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता । कार्य मंत्रणा समिति और सभा को स्वतंत्र रूप से विचार कर के समय निर्धारित करना चाहिये । यदि सरकार यह तर्क रखती है कि अमुक तिथि तक यह पारित होना चाहिये तो सदस्यों का इस पर क्षोभ उचित है ।

जब सरकार को किसी दबाव के कारण कोई महत्वपूर्ण विधान लाना पड़े और कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़े तो ऐसे परिवतन की गुंजाइश होनी चाहिये किन्तु सदस्यों को पहले से पता लगना चाहिये कि अमुक कार्य को लिया जा रहा है ।

सदस्यों को प्रतिवेदन काफी पहले दिये जाने चाहिये ताकि वे पढ़ सकें ।

सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में सरकार को निश्चय करना चाहिये कि वह कब प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ।

ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक

संयुक्त समिति के लिये सदस्य की नियुक्ति

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (बैरकपुर): मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि इसाइयों के विवाह तथा वैवाहिक वादों संबंधी विधि को संशोधित तथा संहिताबद्ध करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में स्वर्गीय श्री मूलचन्द दुबे के स्थान पर श्री मन्नूलाल द्विवेदी को नियुक्त किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ईसाइयों के विवाह तथा वैवाहिक वादों संबंधी विधि को संशोधित तथा संहिताबद्ध करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में स्वर्गीय श्री मूलचन्द दुबे के स्थान पर श्री मन्नूलाल द्विवेदी को नियुक्त किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें (रेलवे)—जारी

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मैं सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि १२ तारीख को अनुपूरक मांगों की चर्चा समाप्त होने पर सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा आरम्भ करेंगे ।

†**श्री सुब्बारायन** (मदुरै): यात्रा करने वालों की भीड़ इतनी अधिक रहने लगी है कि २० दिन पहले आवेदनपत्र देने पर भी जगह नहीं मिलती अतः यह विचार करना चाहिये कि क्या यात्री अभिकरणों का कोई लाभ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सभी गाड़ियों में तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने की व्यवस्था होनी चाहिये और दूसरी श्रेणी के डिब्बे समाप्त कर देने चाहियें।

प्रोत्साहन योजना अच्छी है। इसे शीघ्रातिशीघ्र सभी कर्मचारियों पर लागू कर देना चाहिए।

यदि आजकल जब सीमेंट का अभाव है, कोयले की राख भवन निर्माण में प्रयोग की जाय तो बहुत अच्छा हो।

शाखा लाइनों पर घाटा क्यों होता है इसकी समझ नहीं आती। उन के कार्य की जांच होनी चाहिये।

जंजीर खींचने और बगैर टिकट यात्रा की घटनाओं में वृद्धि हुई है अतः रेलवे को अधिक सतर्क होना चाहिये। इन मामलों से पता चलता है कि यह रेलवे कर्मचारियों की मदद से होता है। रेलवे के गुप्तचर विभाग को सतर्कता से काम करना चाहिये।

†**श्री कोया** (कोझीकोड) : मैं एम० मुहम्मद इस्माइल के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिस में विनेवेली–नागरकोमल-त्रिवेन्द्रम और नागरकोमल-रास कुमारी लाइनों के निर्माण में विलम्ब का विरोध किया गया है।

नई लाइनें बनाने की दृष्टि से केरल राज्य के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया गया है। सरकार को मेथाटूट-फरोके रेलवे लाइन बनाने पर विचार करना चाहिये।

कालीकट के स्टेशन को नया रुप देने का काम अधिक तेजी से करना चाहिये।

कालीकट के लोकोशेड को वहां से नहीं हटाना चाहिये बल्कि उचित तो यह है कि वहां पर एक और लोकोशेड बनना चाहिये।

तिरुर के रेलवे फाटक पर ऊपरि पुल की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि यह फाटक दिन में बहुत देर तक बन्द रहता है।

मैंने रेलवे विभाग से बहुत अनुरोध किया है कि प्रपन्नगुडी में सभी एक्सप्रेस और डाक गाड़ियां रुका करें किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। वहां से बहुत से यात्री मद्रास आदि दूसरे भागों के साथ व्यापार कर रहे हैं।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि डाक गाड़ी से मछली भेजनी होती है। परपन्नगडी के क्षेत्र में मछली पकड़ी जाती है। अतः प्रयोगात्मक में ३ महीनों के लिए ही वहां गाड़ियों को रोक कर देखा जाय।

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : पूर्व वक्ता की कुछ बातों का उत्तर देते हुए मैं कहूंगा कि कालीकट स्टेशन में ९ लाख रुपये की लागत से सुधार किया जा रहा है और उसके लिए लोकोशेड को वहां से हटाना ज़रुरी है क्योंकि वहां जगह नहीं है और अन्य कारण भी हैं।

शोरनपुर में एक शेड है। हम इस लाइन पर अधिक इंजन डाल रहे हैं अतः शोरनपुर का शेड ही इस कार्य के लिए उपयुक्त रहेगा। वास्तविक कठिनाई यह है कि कालीकट में काम करने वाले कर्मचारी वहां नहीं जाना चाहते। हम उन के आवास के लिए व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उन्हें कम से कम असुविधा हो। अतः मेरे मित्रों को उन से अनुरोध करना चाहिये कि वे शोरनपुर चले जायें ताकि कालीकट स्टेशन के नवीकरण में विलम्ब न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सें वें रामस्वामी]

तिरूर का रेलवे फाटक निस्संदेह खराब है। हम उसे प्लेटफार्म के पास की जगह से दूर ले जाने के लिए तैयार हैं यदि राज्य सरकार वहां सड़क बनाने के लिए तैयार हो जाय। इसके लिए मेरे मित्र राज्य सरकार से अनुरोध कर सकते हैं।

मछली के व्यापार के लिए हम ने यह व्यवस्था की है कि वहां से एक सवारी गाड़ी चलाई है जो शोरनपुर में एक्सप्रेस गाड़ी से जा मिलती है अब मछली उस में भेजी जा सकती है। यदि इस में कुछ असुविधा हो तो मेरे मित्र मुझे लिख सकते हैं।

जहां तक माल डिब्बों का प्रश्न है हमने इस का संभरण १६५ लाख टन तक बढ़ा दिया है। १९५०–५१ में १० लाख टन किलोमीटर काम ३४ इंजनों द्वारा होता था अब २३ इंजनों द्वारा हो जाता है। १९५०–५१ में हमें १४०८ डिब्बों की आवश्यकता होती थी अब केवल १०२८ डिब्बे जरूरी हैं।

पंजीबद्ध बकाया डिब्बों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है अतः अब डिब्बों की कमी नहीं है। विरोधाभास कुछ कठिनाइयों के कारण है। कुछ मांगों पर जैसे द्रोणाचलम, वाल्टयर, बेजवाड़ा के दक्षिण में यह कठिनाई है कि वहां क्षमता सीमित है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बेजवाड़ा डिवीजन में एक ही दिशा के लिए चावल भेजने के कारण कठिनाई है। अतः कोटा निश्चित कर दिया गया है।

लाइन की क्षमता बढ़ाने, मार्शलिंग फंड आदि के लिए हमारे पास विस्तृत कार्यक्रम है किन्तु इस में समय लगेगा।

भारत की रेलों पर नवम्बर से अप्रैल तक यातायात अधिक होता है और फिर अक्तूबर तक कम। यदि सारी स्थिति को देखा जाये तो अधिक काम के दिनों में ही डिब्बों की कुछ कमी पायी जाती है।

बड़ी लाइन पर ६०,००० डिब्बों और छोटी लाइन पर ४०,००० डिब्बों का संभरण न हो पाना कोई अधिक नहीं है। यह तो केवल दो दिन का यातायात है।

नागपुर के संतरों, अनकापल्ली के गुड़ और विजयवाड़ा के आम के लिए ऋतु में बहुत डिब्बे देने पड़ते हैं क्योंकि यह वस्तुएं नष्ट हो जाने वाली हैं। जिन वस्तुओं के लिए डिब्बों का संभरण नहीं हो सका है वे हैं इमारती लकड़ी, अनाज दालें आदि। कठिनाई यह है कि कुछ वस्तुओं को प्राथमिकता देनी पड़ती है। हम हर छै मास में प्राथमिकता का कार्यक्रम जारी करते हैं। इस की व्यवस्था भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा २७(क) के अन्तर्गत की जाती है ताकि रेलवे का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

पहली प्राथमिकता प्रतिरक्षा वस्तुओं की दूसरी अनाज की। (ख) मद में डिब्बों के निर्माण के लिए लोहा इस्पात और (ग) मद में चीनी का यातायात है। इस प्रकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परामर्श से १८ वस्तुओं की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है।

मद (घ) के अन्तर्गत कच्चा माल मिल का सामान, कपास का यातायात आदि आता है। खाद्यान्न के मामले में भी एक अन्तर रहता है। यदि वह केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अन्तर्गत होता है तो वह (ख) के अन्दर आता है और यदि गैर सरकारी होता है तो (घ) के अन्तर्गत आता है। कई वस्तुओं को इस कारण ऊंची पूर्ववर्तिता दी जाती है कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिये उनका निर्यात किया जाता है

अतः इस सम्बन्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, आयोग का नाम ही पूर्ववर्तितायें निश्चित करना है, और पूर्ववर्तितायें निश्चित करने में कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से ऊंची पूर्ववर्तिता दी जायेगी ।

कोयले, लकड़ी और पत्थरों को कम पूर्ववर्तिता दी जाती है इसमें संदेह नहीं है कि आदिवासी क्षत्रों के लिये कोयले के निर्यात की ओर टंडू के पत्तों के निर्यात की बड़ी महत्ता है तथापि समाज की व्यापक मांग को दृष्टि में रखते हुए हमें इनका स्थान निश्चित करना होता है।

आंध्र प्रदेश के कुछ माननीय सदस्यों ने चावल के परिवहन के विषय में कहा है। २०-२-६३ को छोटी लाइन में केवल ८० डिब्बों की मांग बकाया थी। बड़ी लाइन में १,३४५ अतिरिक्त डिब्बों के लिये पंजीयन किया गया था। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना होता है कि कई सौ डिब्बों की मांग रद्द भी कर दी जाती है। कई बार तो झूठा पंजीयन किया जाता है। वस्तुतः रेलवे का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि विजयवाड़ा खंड से चावल व धान की शीघ्रताशीघ्र निकासी की जाये।

जहां तक अनकपल्ले से गुड़ के लदान का प्रश्न है १ दिसम्बर, १९६२ से १५ फरवरी, १९६३ तक १,३९० डिब्बे गुड़ की लदान के लिये उपलब्ध किये गये जिस में से केवल ३६९ डिब्बों का लदान किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि पंजीयन से मांग की वास्तविक जानकारी नहीं होती है। जहां तक आंध्र प्रदेश को कोयले के लिये दिये गये डिब्बों का प्रश्न है,यद्यपि कोयला नियंत्रक ने केवल ४,५८७ डिब्बों की मांग रखी थी तथापि रेलवे ने ४,६३१ माल डिब्बे उपलब्ध किये।

उत्तरी भारत में भी जहां ईंटों के भट्टों के लिये कोयले की मांग है वहां कोयला नियंत्रक, खान तथा इंधन मंत्रालय, योजना आयोग के परामर्श से कोल निश्चित करता है। जुलाई, १९६२ से फरवरी १९६३ तक, रेलवे ने न केवल इस्पात संयंत्रों और वाशरियों की मांग पूरी करी अपितु दूसरे उपभोक्ताओं के लिये लक्ष्य से अधिक कोयला संभरित किया।

दिसम्बर, १९६२ तक यद्यपि माल डिब्बों के परिवहन का लक्ष्य ३,७६६ था तथापि ३,८१७ डिब्बों का प्रति दिन परिवहन किया गया।

अतः यह शिकायत कि डिब्बों की सामान्यतः कमी है ठीक नहीं है अपितु इसका कारण कुछ वस्तुओं के लिये नीचे दर्जे की पूर्ववर्तिता है। स्थिति सामान्य होने पर इनकी स्थिति में सुधार हो जायेगा।

ताम्बरम् विलूपुरम् लाइन में बिजली से रेल चलाने के कार्यक्रम में कोई विलम्ब नहीं हुआ है, इसके लिये यदि हम विदेशों को बिजली के उपकरणों के लिये आदेश देते तो शायद उपकरण पहिले आ सकते थे लेकिन विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हमें हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल और आई० सी० आई० बंगलौर को आर्डर देने पड़े। मैं आशा करता हूं सभा इससे सहमत होगी।

१·०४ करोड़ के बिजली से चलने वाले इंजिनों के लिये जापान को आर्डर दे दिया गया है। बिजली के संभरण के लिये मद्रास बिजली बोर्ड ने आश्वसान दिया है। डाक तथा तार विभाग ने अपना सहयोगी कार्य समय पर समाप्त करने का आश्वासन दिया है। हमें आशा है कि दिसम्बर १९६४ तक हमें ये इंजिन उपलब्ध हो जायेंगे तथा १९६४ के अन्त तक या जनवरी १९६५ के आरम्भ में इस लाइन में बिजली से गाड़ियां चलने लगेंगी।

जहां तक मद्रास ताम्बरम लाइन की डी० सी० बिजली को ए० सी० में बदलना है, यह कठिन है। वहां यातायात बहुत है। जब एक दो घंटे के लिये यातायात बन्द होता है तभी वहां आवश्यक कार्य किया जाता है। इसके लिये हमें आवश्यक डिब्बे भी चाहियें। मद्रास जैसे नगर में इस कार्य को

[श्री सें वें रामस्वामी]

इस प्रकार करना है कि इससे जनता को असुविधा न हो। इस कार्य के लिये आवश्यक उपकरण न होने के कारण विश्व के अन्य देशों से हमें टेंडर मंगाने पड़ेंगे।

जैसा कि मैंने बताया है यह कठिन प्रक्रिया है और आशा है कि परिवर्तन करने का कार्य १९६५ तक समाप्त हो जायेगा।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : 'लोडिंग' के बारे में "सामान भरिये या छोड़िये" ("लोड और लीव") की नीति का कड़े रुप में अनुसरण भी किया जाना चाहिये।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जब भी कोई कठिनाई हो, तो आप हमें पत्र लिखिये।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : यह तो अब चिरकालिक है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम चिरकालिक औषधि ढूंढेंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : यह तो बीमारी से भी खराब होगा।

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : हम प्रभावपूर्ण औषधि ढूंढेंगे।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : रेलों में मितव्ययता के बारे में लोक लेखा समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। मितव्ययता के कारण आंकड़ों वाला अंक नहीं प्रकाशित किया गया है। हम ने आवश्यक जानकारी संक्षिप्त अंक में दे दी है। पूरे वार्षिक प्रतिवेदन की २०० प्रतियां लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई हैं और वार्षिक प्रतिवदन की ३० प्रतियां और आंकड़ों वाले अनुपूरक की १५ प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

जहां तक बंगलौर में निचले पुल का सम्बन्ध है रेलवे निगम के सहयोग से यह देखने के लिए कदम उठा रहा है कि यातायात में बाधा न पड़े और यह इस्तेमाल करने वालों के लिए खतरनाक न बने। आशा है कि यह निगम के सहयोग से ठीक कर दिया जायगा।

डा० सिंघवी ने सुझाव दिया कि छतों पर यात्रा करने से यात्रियों को रोकने के लिए छतों पर तारें लगा दी जाएं। इस पर लागत के अतिरिक्त गाड़ी को साफ करने वाले कर्मचारियों को कठिनाई होगी। हम ने यह आदेश दे दिए हैं कि यदि सभी लोग न उतरें तो गाड़ी रोक दी जाय। हम ३०,००० डिब्बों पर तारें नहीं लगा सकते केवल इसीलिए कि एक दो स्थानों पर दुर्घटनाएं हुईं। इस पर लोग आदेशों का उल्लंघन कर सकते हैं। इस तरह से शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं रखी जा सकती। हमें लोगों को अनुशासन में रहने के लिये शिक्षा देनी चाहिये ताकि वे ऐसे खतरे मोल न लें।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** (आनन्द) : रेलवे का बहुत बड़ा विभाग है। उस में काफी मितव्ययता हो सकती है। रेलवे को अपनी आवश्यकताओं में स्वावलम्बता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

मूल्य ह्रास की मद के अन्तर्गत जो १० करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था को गई है वह कम है। अधिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम रेलवे में प्रबन्ध बहुत अच्छा है । कम दुर्घटनाएं होती हैं । मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कालिज के बारे में मुझे बहुत खुशी है ।

महिला यात्रियों के डिब्बे आम तौर पर इसलिए खाली जाते हैं कि औरतें अकेले यात्रा करते डरती हैं । भीड़ को कम करने के विचार से पुरुष यात्रियों को महिला यात्रियों के डिब्बों में, यदि वे खाली हों तथा यदि महिलाओं को कोई आपत्ति न हो, यात्रा की अनुमति होनी चाहिए ।

भीड़ को काबू में रखने के लिये नई दिल्ली के सामान के 'काउंटर' पर अधिक संख्या में क्लर्क रखे जायें ।

तीन सीटों वाले डिब्बों के स्थान पर 'दो सीटों' वाले डिब्बे बनाये जायें, क्योंकि 'तीन सीटों' वाले डिब्बे सुविधायुक्त नहीं हैं ।

विदेशी पर्यटकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए नहीं तो पर्यटन को हानि पहुंचेगी ।

भीड़ को कम करने के लिए स्थानीय स्टेशनों के बीच अतिरिक्त 'शटल' गाड़ियां चलाई जाएं । भीड़ को कम करने के लिए मालगाड़ियों में भी बैठने के लिए बैंच लगा दिए जायें ताकि यात्री मालगाड़ियों में भी सफर कर सकें । भीड़ की समस्या की समाधान के लिए मंत्री महोदय को पूरी कोशिश करनी चाहिए ।

रेलवे सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । रेलवे अधिकारी इसे प्रोत्साहन नहीं देते हैं । इन को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए ।

रेलवे कुलियों की दशा की ओर भी ध्यान देना चाहिए । उन को लगभग नियमित कर्मचारी समझा जाय । उन्हें संघों में संगठित किया जाय ।

पुनः सामान्य परिस्थिति हो जाने पर विद्यार्थियों तथा अन्य संस्थाओं को पुरानी रियायतें फिर दे दी जाएं ।

आपातकाल में रेलवे ने जो अच्छा काम किया उस के लिए मैं रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं । आसाम में रेलवे कर्मचारियों ने जो प्रशंसनीय काम किया है, उस के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

श्री बड़े : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने डिमांड नम्बर ६ पर कट-मोशन नम्बर २० मूव किया है । रेलवेज में इस कारण बहुत असन्तोष है कि रेलवे बोर्ड के निर्णय कर्मचारियों के एक वर्ग के बारे में एक प्रकार के होते हैं और दूसरे वर्ग के बारे में दूसरी प्रकार के होते हैं । नार्दर्न रेलवे में दिल्ली और उस के आस-पास जूनियर आउटडोर क्लार्क्स हैं, जिन को कि टिकट-कलेक्टर की जगहों पर लिया गया है । लेकिन उन को जो एब्जार्प्शन ग्रेड दिया जाता है वह एब्जार्प्शन की डेट से दिया जाता है । उन लोगों ने रेलवे मंत्रालय और माननीय मंत्री जी के पास बहुत दफा रिप्रेजेंट किया है । यह एक, दो या चार व्यक्तियों का केस नहीं है, बल्कि यह तो एक पूरे वर्ग का केस है । जब उन लोगों को एब्जार्ब किया जाता है, तब से उन को ग्रेड दिया जाता है और जब उन की एप्वायंटमेंट हुई थी, तब से ग्रेड नहीं दिया जाता है । इस प्रकार जो लोग उन के ऊपर रहते हैं, वे सीनियर हो जाते हैं । एब्जार्प्शन के दिन से ग्रेड देने का अर्थ तो यह हो जाता है कि मानो वे उस दिन एप्वायंट किए गए थे । इसलिए पूरे जितने टिकट कलैक्टर्ज हैं, उन में असन्तोष फैला हुआ है । उन्होंने बहुत

[श्री बड़े]

बार रेलवे बोर्ड के दरवाजे खटखटाये हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। रेलवे बोर्ड ने जहांगीर बादशाह या मुगल बादशाहों जैसा ही फैसला कर दिया है। उनकी तरफ तुरन्त . . . .

डा० मा० श्री अणे : (नागपुर) : क्या जहांगीर बादशाह ऐसा आर्डर पास किया करता था ?

श्री बड़े : मैं रेलवे बोर्ड की बात कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी मुगल बादशाह या जहांगीर बादशाह नहीं हैं, वह तो पापुलर मिनिस्टर हैं।

जहां तक सिक्योरिटी आन दि रेलवेज़ का ताल्लुक है, उस के बारे में जो एक घटना मेरे नोटिस में आयी थी, उस को मैं ने माननीय मंत्री जी को लिख कर भेज दिया था, लेकिन अभी तक उस का कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है। घटना इस प्रकार थी कि गंगापुर स्टेशन से एक सी० आई० डी० का अफर बैठ गया। वह रेलवे पुलिस का एक ऊंचा आफिसर था। उस के पास टिकिट नहीं था। रामेश गुप्ता नाम के कंडक्टर ने जब उस से टिकिट मांगा तो उस ने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया। उस ने पूरे तरीके से पी हुई थी। उस की रामेश गुप्ता के साथ कहा सुनी हुई। वे दोनों मेरे पास आए। तब उस ने कहा मैं कम्पलीटली सरेंडर करता हूं। मैं ने पंचनामा कराना चाहा। उस ने पंचनामा फाड़ दिया। वहां एक महिला बैठी हुई थी। उस के साथ भी उस ने अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की . . . . . .

श्री कछवाय : (देवास) : उस का नाम क्या है ?

श्री बड़े : मैं नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन अब चूंकि आप ने पूछ लिया है, इस वास्ते मैं बता देता हूं। उस का नाम स्वर्ण सिंह था। इस के बारे में मैं ने मंत्री जी को भी पत्र भेजा है। इस की चर्चा अखबारों में भी हुई है। उस के बाद मैं ने रतलाम को जो यह रामेश गुप्ता नामक कंडक्टर था, उस से पूछा कि क्या उस ने रिपोर्ट की है और अगर नहीं की है तो मैं करूंगा। मैं ने की भी। मैं चाहता हूं कि इस तरह की बातें जो होती हैं, ये नहीं होनी चाहियें और इस तरफ माननीय मंत्री जी का तुरन्त ध्यान जाना चाहिये। जब आफिसर ही इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो पैसेंजर्ज की सिक्योरिटी कैसे होगी।

ये जो नए रेलवे कम्पार्टमेंट्स हैं, इन में कारीडोर बाहर रहता है। ये कम्पार्टमेंट गर्मियों में इस प्रकार तपते हैं, जैसे ईंट का भट्टा तपता है। गर्मी की वजह से जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं या बड़े बड़े अफसर होते हैं, वे बर्फ के ढेले मंगा कर रख देते हैं जिस का नतीजा यह होता है कि इधर से उधर चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। मैं चाहाता हूं कि ये जो डिब्बे हैं, कोई आप ऐसा प्रबन्ध करें, जिस से ये गर्मियों में तपे नहीं।

मैं ग्वालियर गया था। रास्ते में एक स्टेशन पर जब मैं ने पानी मांगा तो मुझे बताया गया कि गिलास नहीं है। जब मैं ने इस का कारण पूछा तो मुझे बताया गया कि गिलास चोरी हो गए हैं। जब मैं ने पूछा कि दूसरे क्यों नहीं रखते तो मुझे उस आदमी ने बताया कि पैसे तो मेरी तनख्वाह में से काट लिए गए हैं, लेकिन दूसरे गिलास अभी तक मंगाये नहीं गए हैं। दोनों गिलासों के पैसे काट लिये गये थे। तीन चार स्टेशन छोड़ कर जब फिर मैं ने पूछा कि गिलास कहां हैं तो बताया गया कि स्टेशन मास्टर के यहां चले गए हैं, प्राइवेट यूज़ में आते हैं। उस ने मुझे यह भी कहा कि उस का नाम न लिया जाय क्योंकि उस की नौकरी चली जायगी। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत तकलीफदेह साबित होती हैं। इन की तरफ खास तौर से आप का ध्यान जाना चाहिये।

अब मैं भीड़-भाड़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक जगह पर मैं ने टिकट कलैक्टर और कंडक्टर से कहा कि यदि तीसरे दर्जे के डिब्बे में इतनी भीड़ हो गई है कि अन्दर खड़े भी नहीं हुआ जा सकता है तो फर्स्ट क्लास का डिब्बा खाली पड़ा है, इन को उस डिब्बे में बिठा दो और जब नैक्स्ट स्टेशन आए और भीड़ कम हो जाय तो वहां से निकाल कर इन को तीसरे दर्जे के डिब्बे में भेजा देना। उस ने मुझे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मैं कानून से बंधा हुआ हूं। मैं चाहता हु कि इस तरह की जो चीजें हैं, इन की तरफ भी आप का ध्यान जाना चाहिए।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस तरह टिकट इकट्ठे करने वाले कुछ यात्रियों से रियायत किया करेंगे।

श्री बड़े : यह बात ठीक है। लेकिन पैसेंजर्ज़ की तकलीफ को भी देखा जाना चाहिये। वहां बहुत भारी मुश्किल होती है। हम को तो फर्स्ट क्लास का पास मिला हुआ है। लेकिन मैं ने थर्ड क्लास में सफर किया है और मुझे मालूम है कि कैसी मुश्किल होती है। पेशाब और टट्टी तक जाना मुश्किल हो जाता है। औरतों का चढ़ना मुश्किल हो जाता है। और जब लगेज साथ होता है तब तो जो मुसीबत हो सकती है उस का आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं।

अब मैं सुवर्बन ट्रेनज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बम्बई में मेंने देखा है कि वहां इतनी भीड़ होती है कि कुछ ठिकाना नहीं। वहां पर मैंने देखा है कि जो रबड़ रहता है जिस को पकड़ कर खड़े लोग होते हैं, वह एक प्रकार से पनिशमेंट आफ हैं गिग ोती है। ो तीन चार सौ ैसजर्ज उसको पकड़ कर खड़े रहते है और लेडी इत्यादि को दोनों हाथ ऊपर करके तब तक खड़े रहना पड़ता है जब तक दूसरा स्टेशन नहीं आ जाता है और भीड़ कम नहीं हो जाती है। इसका एक इलाज हो सकता है जिसको आजमाया जाये तो भीड़ कम हो सकती है : बम्बई और उसके आस पास जो आफिसस हैं, उनके आफिसस आवर्ज अगर चैंज कर दिये जाय तो सुबह दस से बारह बजे तक और शाम को पांच बजे तक जो बहुत भारी भीड़ रहती है, वह कम ो सकती है। उन पर चढ़ने और उतरने में ही आदमी का भुरता बन जाता है। जिन के पांव कमजोर होते हैं, उनको जब रबड़ को पकड़ कर खड़े होना पड़ता है, तो यह उनके लिये फांसी की सजा होता है। मुझ जैसा व्यक्ति जो जवान नहीं है, उसको तो और भी ज्यादा तकलीफ ोती है। अगर मेरी सजेशन मान ली जाये तो उससे बम्बई की भीड़ भाड़ की समस्या बहुत हद तक हल हो जायेगी।

कल मेंने कहा था कि हमारे मध्य प्रदेश में रेलें नहीं हैं। माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि इस वक्त वहां रेलवे लाइन नहीं हो सकती है। मैं मानता हूं कि इस वक्त संकट काल है और नई रेलवे लाइने नहीं खुल सकती हैं। लेकिन डिफेंस प्वाइंट आफ व्यू से भी ईस्ट से वेस्ट सांदेश तक जाने के लिये दोहद खंडवा लाइन की सख्त जरूरत है। इसको तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। वहां पर माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी आये थे, उन्होंने सर्वे करने का हुक्म भी दे दिया था। लेकिन अभी तक सर्वे हुआ है या नहीं, मैं नहीं जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पुरानी रट न लगाते जांय और स लाइन के बारे में गम्भीरता से विचार करे। अगर इसको आप ीसरे प्लान में नहीं कर सकते हैं ो कम से कम चौथे प्लान में ो सको रख लीजिये।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सीनियारिटी का जो झगड़ा है, टिकिट कलेक्टर्ज की, उसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। रेलवे बोर्ड ने १९६१ में एक आर्डर पास किया और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

१९६२ में दूसरा पास कर दिया। उसको आप रिवाइज करें और जो असन्तोष उसमें फैला हुआ है, इसको दूर करें।

†श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : आपात काल में रेलवे मंत्रालय और रेल कर्मचारियों ने जो भारी काम किया उस के लिये प्रशंसा और बधाई के पात्र है।

जो भार व भार बढ़ाया गया है वह वर्तमान परिस्थितियों में उचित है। कोयले के परिवहन की स्थिति में काफी सुधार आ है। व्यक्तियों और माल को ले जाने के काम में रेलों ने संकट काल में काफी अच्छा काम किया है।

आसाम में रेल के विकास को प्राथमिकता देने के लिये सभी सहमत हैं।

कुंजरू समिति ने यह बताया है कि अधिकांश रेल दुर्घटनाएं कर्मचारियों की गलतियों के कारण होती है। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि अर्द्धरात्रि और प्रातः काल पांच बजे के बीच चलने वाली गाड़ियों को स्टेशन के बाह्य सिगनल पर कुछ समय रोकना वांछनीय नहीं होगा। इस से ड्राइवरों को आगे गाड़ी ले जाते समय सावधान रहने में सहायता मिलेगी। 'स्पीड रीकार्डर्स' की व्यवस्था भी दुर्घटनाओं की कमी करने में सहायता देगे।

आंध्र के सदस्यो ने सदैव यह मांग की है कि एक नया 'जोन' बनाया जाये। मेरा सुझाव है कि एक नया 'जोन' बनाया जाए जिस का "हैडक्वार्टर्स' हैदराबाद में हो।

कोत्रागुदम से विशाखापटनम तक रेल मार्ग का निर्माण करना चाहिये। ओंगोल से हैदराबाद तक बरास्ता नागार्जुनसागर-रेल मार्ग के निर्माण पर विचार करना चाहिये।

नन्दयाल से कनपदी लाइन पर भी सरकार को विचार करना चाहिये।

गुण्टकाल में एक रेलवे वर्कशाप स्थापित करना चाहिये। हैदराबाद से अन्य शहरों को अधिक गाड़ियां चलाई जानी चाहिये।

ऊपर के खों को अच्छी तरह से ढके होना चाहिये।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : पिछले वर्ष में तो रेलवे ने अच्छा काम किया उस के लिये रेलवे मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी रेलवे में काफी सुधार होना चाहिये। अधिक समन्वय और मितव्ययता की आवश्यकता हैं।

रेलवे मंत्री महोदय समूचे रेलवे प्रशासन को इस को विभागीय उपक्रम के रूप में बनाने की अपेक्षा स्वायत्तशासी सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम के रूप में बदलते की संभावनाओं पर विचार करे। इस से कार्य कुशलता बढ़ेगी।

शांति के समय और संकट काल की परिवहन की आवश्यकताओं का सूक्ष्म रूप से पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये। रेलवे मंत्री बताएं कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये है।

रेलवे प्रशासन में सहयोग की आवश्यकता पर बहुत बल देना चाहिये। इस के बिना संचालन-कुशलता चर्म सीमा तक भी पहुंचेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

चूंकि रेलवे सार्वजनिक प्रयोग की चीज है, अतः इस में अमीराना प्रवृत्ति को समाप्त कर देना चाहिये। रेल गाड़ियों की रफ्तार अधिक हो और उनमें यात्रा की सुरक्षा अधिक होनी चाहिये। मंत्री महोदय यह बतायें कि इस सम्बन्ध में क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

गनों का सुचारू प्रयोग नहीं हो रहा है। कुंजरू समिति की भी यही राय है।

व्यय में मितव्ययता बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे इसे साधारण न समझे। मितव्ययता के लिये नये उपाय निकालने चाहिये।

रोजगार ीति के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को रोजगार के समान अवसर दिये जाय।

घटिया किस्म का कोयला भी गाड़ियों के देर से पहुंचने के कारणों में एक है। श्रमिकों के कल्याण के लिये जो तरीके अपनाये गये हैं वे अपर्याप्त हैं।

वैगनों को आवंटन के मामले में कई क्षेत्रों की आवश्यकता की गई है जोधपुर क्षेत्र के लिये वैगनों के लदान में सुधार किया जाये।

नई लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों की वास्तविक मांग को पूरा किया जाना चाहिये।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष जी, रेलवे के अनुदानों पर चर्चा तीन चार दिनों से चल रही है और बजट भी पास हो गया है। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि रेलवे ने कुछ नहीं किया, रेलवे डिपार्टमेंट ने कोई तरक्की नहीं की। रेलवे ने जो तीसरी योजना में तरक्की की है वह बहुत अच्छी है। मद्रास में सवारी के डिब्बे अच्छे बनने लगे है और उनकी तरक्की १६ डिब्बों से १८९ तक पहुंच गयी है। इसी तरह से डीजल गाड़ियों की तरक्की हुई है जिससे बहुत ईंधन बचा है। उतना ही डीजल आइल खर्च करके ट्रकों से जितना माल ढोया जाता उसकी अपेक्षा डीजल गाड़ियों ने बहुत ज्यादा माल ढोया है। दस लाख टन माल ढोया गया है। तो यह काफी तरक्की है।

लेकिन कोयले की कमी को रेलवे पूरा नहीं कर सकी। कोयला दिन प्रतिदिन मंहगा होता जा रहा है। उसका कारण यह नहीं है कि खानों में से कोयला नहीं निकलता बल्कि उसका कारण यह है कि रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई में कमी है। जितने वैगन कोयला के लिये चाहिये उतने नहीं मिल पाते, इसलिये कोयले की कमी की वजह से बहुत से कारखाने बन्द हो रहे है। मेरा निवेदन है कि रेलवे द्वारा अधिक कोयला ोने का प्रयत्न किया जाये ताकि राष्ट्र की आय के स्रोत कारखानों का उत्पादन कम न होने पाये।

सिंगरौली कोयला लाइन जो ३६ मील सिंगरौली से बनायी गयी है, वह लाइन मेरे ख्याल में कुछ उचित ढंग से नहीं बनी। सिंगरौली में ९०० वर्गमील में अधिक कोयला निकलने वाला है और उसका सर्वे हो गया है और निकला भी है। उस कोयले को ढोने के लिये अगर रेलवे लाइन सिंगरौली से रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर और ललितपुर स्टेशन पर मिलायी जाती तो मैं समझता हूं कि सौ मील रेलवे को फासले की बचत हो जाती लम्बाई में और माल भी जल्द पहुंचता। लेकिन यह जो वाया कटनी लाइन बनाने का प्रपोजल है वह ीक नहीं है। इससे एक तो गति तेज नहीं होगी, दूसरे पैसा भी इसमें ज्यादा लगेगा। अगर नई लाइन बनाने का विचार है तो उस एरिया को भी कवर करना चाहिये जहां रेल नहीं है। यह बुन्देल खंड व छो छोटे राज्यों का एरिया है जहां पहले इन राज्यों की वजह से रेलवे नहीं बन पायी और आज भी वहां रेलवे बनाने का प्रपोजल धीमा

[श्री रा० स० तिवारी]

मालूम होता है । जो सर्वे हुआ है वह इस तरफ का हुआ है और उधर का भी हुआ है । मैं चाहता हूं कि इस ओर से लाइन डालने का प्रपोजल मंजूर किया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्रीमान, मानिकपुर-झांसी के बीच में एक ऐसी लाइन है जिसको कि कंगाल लाइन कहते है । इस पर कभी कोई तवज्जह नहीं दी जाती है । लेकिन अब इस लाइन की तरफ तवज्जह देना इस लिये जरूरी हो गया है कि एक तो उधर भूपाल राजधानी होगयी है और इधर दिल्ली के लिये काफी आवागमन में वृद्धि होगयी है । वहां पर वही पुराने ढंग की रेलवे लाइन बनी हुई है पुलों की आयु भी पूरी हो गयी है जिसमें बड़े इंजन चल नहीं सकते, कनडियन इंजन उस में जा नहीं सकते है । जिसमें मेल ऐक्सप्रेस गाड़ियां चलाई नहीं जा सकती है ।

बेतवा और घसानी नदी के ऊपर जो ब्रिज बने हुये हैं वे बहुत पुराने हो चुके है । उन्हें बने सौ साल से ज्यादा हो गये हैं । उन पुलों की मरम्मत करने की मंजूरी हुए चार साल हो गये हैं लेकिन वह अभी तक बन नहीं पा रहे है । इस लिये मेरा निवेदन है कि उन पर मरम्मत आदि का काम पूरा किया जायें । इस के अतिरिक्त इस पर एक स्पेशल गाड़ी इलाहाबाद टू झांसी तथा भोपाल कर दी जाय ताकि इस ३००–४०० मील के ऐरिया के यात्री लोग जल्दी से और आसानी से अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच जाया करें ।

यह सुझाव मैंने गतवर्ष भी दिया था और मैं पुनः उसे दुहराता हूं कि रेलवे लाइनों के बनाये जाने या बढ़ाये जाने पर जब भी विचार किया जाय, तो उन स्थानों में रेलों का ज्यादा प्रसार किया जाये जहां पर कि आजकल रेलवे लाइन्स बनी नहीं हुई हैं । और राष्ट्र की अपार सम्पत्ति भूगर्भ में छिपी पड़ी हो ।

उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाऊं कि खजूराहो एक ऐसा टैम्पुल है जो कि इण्डिया में ही नहीं वरन् संसार में प्रसिद्ध है । वहां हवाई जहाज़ से यातायात की व्यवस्था आप करते हैं, वहां पर स्थानीय बहुत से उपाय करते हैं । वहां से आपको फौरन एक्सचेंज की आमदनी भी काफ़ी होने लगी है लेकिन उस मन्दिर तक पहुंचने के लिए कोई रेलवे लाइन नहीं बन रही है । यह वह एरिया है जहां अबरक तथा अन्य बहुत सारे खनिज पदार्थ मौजूद हैं । पन्ना में हीरा पैदा होता है । वहां लोहा, पत्थर और लकड़ी के जंगल भी बहुत हैं । खनिज पदार्थों का वहां भण्डार भरा पड़ा है । वहां उत्पादन अधिक होने के अतिरिक्त हिन्दुस्तान की वह एक मशहूर जगह भी है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां एक छोटी सी ही सही लेकिन एक रेलवे लाइन बनानी चाहिए । मानिकपुर, झांसी लाइन के बीच महोबा और हरपालपुर के स्टेशन पड़ते हैं । इन स्टेशनों से खजूराहो तक रेलवे लाइन बनाने में ज्यादा से ज्यादा ३५–३६ तथा ६० मील लाइन डालनी पड़ेगी । इससे अधिक फासला वहां से नहीं है । वह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थान है और वहां पर यदि आप लाइन बिछा सकें और रेल चला सकें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित बात होगी ।

दूसरी चीज़ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी दो महीने हुए मैं रेलगाड़ी से जबलपुर से कटनी आ रहा था । रास्ते में रेल में काफी गड़बड़ियां होने लगी हैं । कुछ लोग टॉर्च आदि चीजें डिब्बे में आकर यात्रियों को बेचते और नीलाम करते हैं और वे सीधे सादे ग्रामीण लोगों को ठगते है और जबर्दस्ती उन्हें डरा धमका कर उनसे रुपया ऐंठ लेते हैं । इस सम्बन्ध में मैं आपको एक घटना बतलाना चाहता हूं कि एक जगह मैंने चूंकि रिज़र्वेशन नहीं किया था इसलिए मैं भी थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठा हुआ था । उस अवसर पर डिब्बे में चार, पांच आदमी आये, कुछ गांधी टोपी लगाये थे और कुछ पुलिस की बरदी पहने थे । आते ही वे सीधे सादे यात्रियों को धमका कर पूछने लगे कि वे बतलायें कि

किस किस के पास कितना कितना रुपया मौजूद है और जो बतलाता गया उसके रुपये लेकर वह अपनी जेबों में डालते गये। इस तरह से उन्होंने १५–२० आदमियों से कोई २००–२५० रुपये वसूल किये। इस पर जब मैंने हल्ला किया और चिल्ला कर कहा कि आप लोग यह क्या डकैती कर रहे हैं और मैंने जंजीर खींची, वैसे ही गाड़ी खड़ी भी हो पायी थी कि वे सब डिब्बे में से निकल कर भाग गये। गाड़ी खड़ी होते ही कण्डक्टर भी वहां आ गया। पुलिसमैन कोई वहां रहता नहीं है मैंने कण्डक्टर से सब क़िस्सा बतलाया तो वह कहने लगा कि साहब हम क्या करें, मुश्किल है, अगर हम कुछ कहते हैं तो अपनी जान ख़तरे में पड़ती है।

श्री यशपाल सिंह : गांधी टोपी वालों का काम होगा।

श्री रा० स० तिवारी : इसलिये मेरा निवेदन है कि जब रेल चले तो उसमें ४–५ बन्दूक धारी पुलिस के सिपाही अवश्य रहने चाहिएं ताकि इस तरह की ठगी और शरारत करने वाले बदमाशों को मौके पर ही पकड़ा जा सके और यह जो सामान बेचने के बहाने गी और लोगों को डरा धमका कर पैसा ले लिया जाता है, यह बदमाशी ख़त्म हो जाय।

एक और प्रार्थना मेरी यह है कि ऐसे स्थान जिनकी कि लेकर नवीन प्रदेश बनाये गये हैं, जैसे कि पहले जो विन्ध्य प्रदेश था अब वह प्रदेश मध्य प्रदेश में शामिल हो गया है लेकिन उस पुराने विन्ध्य प्रदेश का जो उत्थान होना चाहिए वह अभी तक नहीं हो सका है। वहां रेलवे लाइन नहीं बन सकी है। सतना-रीवां की रेलवे लाइन बनायी जाने की मंजूरी भी पहले हो गई थी लेकिन उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस प्रदेश की ओर रेलवे मन्त्रालय सहानुभूतिपूर्वक विचार करे ताकि वहां की उन्नति हो सके। धन्यवाद।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** (राजनन्दगांव) : पिछले वर्ष जो रेलवे ने अच्छा काम किया है उसके लिये रेलवे बोर्ड और रेलवे मन्त्री बधाई के पात्र हैं।

डूंगरगढ़ स्थित लोको शेड वहां से हटाए जाने के बारे में कई अफवाहें फैल रही हैं। इस प्रकार की अफवाहों से स्थानीय जनता में चिंता फैल रही है। प्रशासन को इस आशय की स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये कि डूंगरगढ़ स्थित लोकोशेड वहां से नहीं हटाया जाएगा।

तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिये मध्यम और छोटे दर्जे के स्टेशनों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। बड़े स्टेशनों पर तो तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए काफी सुविधाएं हैं।

रेलों में अपराधों की रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल और राज्य पुलिस में समन्वय होना चाहिए।

रेलवे प्लेटफार्मों पर विशेषकर नई देहली प्लेटफार्म पर निम्न कोटि की विज्ञापनों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

जरसुगुडा-नागपुर पैसेंजर जरसुगुडा से जल्दी छूटना चाहिये ताकि मुसाफिरों को नागपुर में ग्रांट ट्रंक एक्सप्रेस मिल सके।

दिल्ली से बंगलौर, सत्यमंगलम, और वामराजनगर बरास्ता अजमेर और खंडवा एक मीटर गेज गाड़ी चलाना चाहिये। इससे न केवल यातायात की समस्या हल हो जाएगी, परन्तु माल के परिवहन में भी सुविधा मिलेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह]

दुग-गोंडिया मार्ग को दोहरा बनाने के लिये जिन व्यक्तियों की भूमि ली गई थी उन्हें प्रतिकर दिया जाना चाहिये । माननीय मन्त्री इस ओर ध्यान देंगे ।

†डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़—उत्तर): भाड़े की दरों में वृद्धि की जा रही है । इससे सामान्य मूल्य स्तर बढ़ गए । विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए निर्यात का प्रोत्साहन आवश्यक है । अतः रेलवे प्रशासन इस पहलू की ओर ध्यान देगा ।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : निर्यात के लिए नई रियायतें दी गई हैं ।

†डा० सरोजिनी महिषी : पिछले वर्ष में १३२ लाख टन माल का परिवहन मन्त्रालय ने किया। १५० लाख टन की लक्ष्य पूर्ति अब आसान है ।

सीमान्त क्षेत्रों में रेलवे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है ।

श्रमिक कल्याण योजनाओं और निर्यात का प्रोत्साहन की ओर प्रशासन को अधिक ध्यान देना चाहिए : निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये गुण्टक्कल से होसपत तक एक बड़ी लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये । होसपत से उबली तथा उबली से करवाड़ तक रेलमार्ग का निर्माण किया जाय । करवाड़ पत्तन होकर लौह अयस्क का निर्यात कम खर्चीला होगा ।

माननीय मन्त्री जी को दक्षिणवर्ती मार्गों पर यात्री सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। उबली-शोलापुर रेल मार्ग पर गाड़ियों के आवागमन में पानी की कमी और अच्छे किस्म का कोयला समुचित मात्रा में उपलब्ध न होने से पर्याप्त विलम्ब हो जाता है । यदि गडग में पर्याप्त पानी का व्यवस्था कर दी जाए तो रेलों के समय के अनुसार चलने में काफी सहायता मिलेगी । इससे उस क्षे में काम करने वाले लोगों को अधिक सुविधाएं भी मिल सकेंगी ।

उस क्षेत्र के कर्मचारियों की सवेतन साप्ताहिक छुटी दी गयी है । यह सराहनीय है । किन्तु २२–६–५६ से पूर्व कार्य करने वाले कर्मचारियों को, विशेष तथा इंजीनियरों को सेवा में नहीं लिया गया है; यद्यपि यह सिद्ध हो चुका है कि वे निर्दोष हैं । मैं आशा करती हूं कि प्रशासन इन बातों पर और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के मामले पर विचार करेगा ।

वर्दी समिति ने यह सिफारिश की थी कि इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों विशेषतया चतुर्थश्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी दी जाये । इस पर भी विचार करना चाहिये ।

रेलवे मन्त्रालय ने कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य आरम्भ किया था और उसे मान्यता दी थी । इसी के अनुसार मद्रास के पैराम्बूर स्थान पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया था । किन्तु बाद को उसे मान्यता नहीं दी गई । इन पर विचार किया जाना चाहिये ।

उन राज्यों में जहां कम आय वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, रेलवे के स्कूलों में ऐसी सुविधा नहीं दी जाती । उन स्कलों में केवल प्राथमिक शिक्षा ही निःशुल्क दी जाती है । दूसरी बात यह है कि वर्ष के हर समय उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता जो कि रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये बहुत आवश्यक है ।

जिन रेलवे कर्मचारियों को १००० रुपये से कम मिलते हैं उन्हें मकान किराये की एक निश्चित राशि देनी होती है। ऐसा अनुभव किया गया था कि इन कर्मचारियों का किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिये । किन्तु पिछले कुछ वर्षों में उनका किराया ७० प्रतिशत से शत प्रतिशत बढ़ा दिया गया है । मैं आशा करती हूं कि इस कठिनाई को दूर कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, रेल में सफर करते समय मेरे अनुभव में जो चार-चार घटनायें आई हैं उनको मैं माननीय मं ी जी के ोटिस में लाना चाहता हुं। इस तरह की घटनायें आम तौर पर तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के साथ होती हैं और उन्हीं को सब प्रकार की कटिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इनकी पुनरावृत्ति न हो, इस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

मैं पंजाब मेल में बैठ कर विदिशा गया था। रास्ते में एक व्यक्ति तीसरे क्लास के दिब्बे में घुसा और उसने एक व्यक्ति का बिस्तर उठा लिया और चलती गाड़ी में लेकर भागा। कुछ लोगों ने जंजीर खोचीं और बिस्तर उस व्यक्ति से छीन लिया और उसके साथ मारपीट की। वहां कुछ पुलिस के अधिकारी आए और उन्होंने बजाय इसके कि उसको ेगिरफ्तार करते, छोड़ दिया। जब हमने पता लगाया तो मालूम हुआ कि इस व्यक्ति का तो धंधा ही यह है और इस प्रकार के दो चार कांड पहले भी हो चुके है। यह व्यक्ति तो पुलिस अधिकारियों से मिला हुआ है और जब पकड़ा जाता है तो छूट जाता है।

दूसरा किस्सा मैं आपको बताता हूं। मैं धूलिया गया था। जब में वहां से लौटा तो जिस तीसरे क्लास के डिब्बे में में बै ा हुआ था उस में एक बुजुर्ग आदमी भी आ कर बैठ गया। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक जवान लड़की थी। हरदा से दो व्यक्ति उस डिब्बे में सवार हुए। उन्होंने उस बुजुर्ग से कहा कि पांच सौ रूपये दे दो। चूंकि में पास बैठा था, में उनकी सारी बात सुन रहा था। मेंने दखल देना उचित नहीं समझा क्योंकि मैंने सोचा कि इनकी कोई पुरानी आपसी बात होगी। मुझे इससे क्या लेना देना। इसके जवाब में उस बुजुर्ग आदमी ते कहा कि कैसे दे दूं, में तो तुम्हें जानता भी नहीं कि तुम कौन लोग हो। जब उसने इस प्रकार की बात कही मैंने भी उसमें थोड़ी रुचि लेनी शुरू की। जब बुजुर्ग ने देने से इन्कार कर दिया तो उन गुण्डों ने कहा कि अगर रूपये नहीं दे सकते हो तो अपनी लड़की हमारे हवाले कर दो। ये शब्द सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ और मेंने उन गुण्डों से पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, यह हमारा घरेलू मामला है। बुजुर्ग आदमी ने इस पर कहा कि उसका उनके साथ कोई संबंध नहीं है, वह उनको जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है और उसको मालूम भी नहीं है कि वे कौन लोग हैं। ये मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। इसके बाद इटारसी के पास उन व्यक्तियों ने चाकू निकाल लिये। स पर लोग इक ेहुए और कुछ हाथापाई करके उनको बाहर कर दिया। मेंने कंडक्टर को बुलाया और रिपोर्ट की और उससे पूछा कि वास्तव में यह क्या चीज है? बाद में मुझे पता चाल कि ये दोनों पुलिस द्वारा छोड़े गये व्यक्ति हैं। इस प्रकार की घटनाएं जो थर्ड क्लास के पैसेंजर्ज के साथ होती हैं, नसे वे बहुत परेशान है। नको रोका जाना चाहिये। ग ीब लो ों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार से उनकी इज्जत पर हमला बोलना, मारपीट करना, कहां तक उचित है, इसको आप भी समझते है। मैं चाहता ं कि सरकार का स ओर तुरन्त ध्यान जाना चाहिये।

एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं भोपाल से बैठा। उसी दिब्बे में उज्जैन से एक मिल मजदूर भी बै ा। जैसे ही वह बैठा उसकी जेब से ३५० रूपये जो कि उसने मिल से कर्ज लिए थे अपनी बच्ची की शादी करने के लिए, निकाल लिये गये, उसकी जेब काट दी गई। इसकी रिपोर्ट भी कराई गई लेकिन कुछ न हुआ। बेचारा हाथ मलता रह गया और अपने घर वापिस आ गया। इस तरह की घटनाओं से जो असन्तोष फैलता है, स प्रकार से गरीबों के साथ जो अत्याचार होते हैं जिनको हमारी सरकार ने थर्ड क्लास करार दिया है, जो मजदूर मजदूरी करते हैं उनके साथ जब एसी हरकतें होती हैं तो दुःख होता है। सरकार का ध्यान तुरन्त इस ओर जाना चाहिये। अभी तक सरकार ने कोई विशेष ध्यान इस तरह की चीजों की ओर नहीं दिया है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि वह फर्स्ट क्लास के जो पैंसजर्ज है, उनको और सहूलियतें देंगे ! फर्स्ट क्लास के

[श्री कछवाय]

सैंजर्ज को तो और सहूलियतें देने का आपका रादा है, लेकिन थर्ड क्लास के पैसेंजर्स के साथ क्या बीतती है, इसकी ओर भी क्या आपका ध्यान गया है ?

में एक और घटना आपके सामने रखना चाहता हूं । में ४-३-६३ को भोपाल गया । आगरा से एक सज्जन बै । उनको छोड़ने के लिये दो चार व्यक्ति आये । वहां पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर पहले से ही बैठा हुआ था । उसके साथ मारपीट करके और उसको हटा कर अपने मेहमान को उसकी जगह उन्होंने बिठा दिया । यह कहां तक उचित है, इसको आप देखें । इस प्रकार की घटनाओं की जब शिकायत की जाती है तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है । इसका क्या मतलब है ? इनकी सुनवाई होनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति इस प्रकार का गाड़ियों के साथ जाना चाहिये कि जो, पैसेंजर जब ज्यादा हो जाएं, तो उनको व्यवस्थित रूप से बिठाये । ऐसा भी देखा गया है कि कई पैसेंजर बहुत ज्यादा जगह घेर कर बैठ जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि दूसरे जो पैसेंजर होते है, उनको असुविधा होती है । यह व्यक्ति जो गाड़ी के साथ होगा, उनको व्यवस्थित ढंग से बिठा सकता है । इससे जो कई प्रकार के झगड़े जनता में होते हैं, वे बन्द हो सकते हैं ।

भोपाल से गाड़ी अहमदाबाद जाती है या भोपाल से नागदा जाती है । उज्जैन और भोपाल के बीच जो नये स्टेशन होते हैं, उनमें टिकट की व्यवस्था नहीं है । मैंने कल भी बताया था कि लोग स्टेशन पर आते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिलती है । गाड़ी बड़ी धीमी रफ्तार से चलती है, बड़ी मद्धम गति से चलती है और चलती गाड़ी में पैसेंजर ठ जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि अनेकों को चोटें लग जाती हैं ।

हमारी सरकार को रेलवे विभाग से जितनी इनकम होती है, मैं समझता हूं कि शायद ही कोई विभाग होगा जिस से इतनी इनकम होती होगी । जब उन की इतनी इनकम है तो रेलवे में खास कर तीसरे दर्जे के लोगों को जो कठिनाइयों हैं उन की ओर उस का ध्यान जाना चाहिये ।

गाड़ियों में जब भीड़ होती है और जब लोग अन्धाधुन्ध घुसते हैं, और जिस प्रकार उन में झगड़े होते है, चोटें लगती हैं, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है । डिब्बों के अन्दर ीक से व्यवस्था न होने के कारण लोगों को नुकसान पहुंचता है, भीड़ के अन्दर गरीब लोगों की चोरियां होती है, वे जो कुछ भी पास ले कर चलते हैं वह सब कुछ चोरी हो जाता है, उन को धौंस दी जाती है । इस प्रकार की जो हरकतें हैं उन्हें बन्द किया जाना चाहिये । मेरा विश्वास है कि हमारे रेलवे मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे ।

आज रेलवे गोदामों के अन्दर अनेक प्रकार की चोरियां होती हैं, पार्सलों के अन्दर से माल की चोरी हो जाती है । जब पिछली बार मैंने एक प्रश्न पूछा इस संबंध में कि क्या इस प्रकार की चोरियां अधिकांश वेस्टर्न रेलवे पर होती है, तो रेलवे मंत्री जी ने कहा कि हां, होती हैं । जब मैंने पूछा कि इन चोरियों के अन्दर क्या रेलवे कर्मचारियों का भी हाथ होता है तो उन्होंने कहा कि गोदामों में जो चोरियां होती हैं उन में उन लोगों का भी हाथ हो और रेलवे विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है । में मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको इतना कड़ा दंड देना चाहिये जिस से कि उस दंड को देख कर भविष्य में किसी कर्मचारी का साहस न हो कि जो जनता का माल है, जो उस की रकम है, उस की चोरी न करें ।

आज हमारे यहां वैगन्स की भी कमी है जिस के कारण व्यापारियों को बड़ी तकलीफ होती है जिन का माल बाहर से आता है । इस संबंध में मैंने कल भी प्रकाश डाला था, और आज पुनः उसको दोहराना चाहता हूं, कि जब तक व्यापारी लोग रिश्वत का पैसा नहीं देते है तब तक उन को बहुत तंग किया जाता है । उन से कहा जाता है कि तुम शाम को पांच बजे के बाद वैगन को खाली करना ।

यह ऐसे समय के लिये कहा जाता है जिस समय कि सारे मजदूरों की छु ी हो जाती है, वे अपने घर चले जाते है। व्यापारी जबआते है तो उनसे कहा जाता है कि खाली करो। मेंने उन व्यापारियों को अपनी आंखों से वैगनों को खाली करते देखा है। उन को आर्डर दिया जाता है कि एक घंटे के अन्दर खाली करो। अगर उस समय कोई उन लोगों को रिश्वत दे दे तो उस को एक घंटे के बजाय दो घंटे का और कभी कभी पांच घंटे का भी समय दे दिया जाता है। यहां पर सवाल यह है कि इसके लिये कुछ किया जाना चाहिये। यह में किसी कानूनी किताब में पढ़ कर नहीं बतला रहा हूं। मेंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है उस अनुभव को बतला रहा हूं। हमारे रेलवे मंत्री महोदय को इन हरकतों की ओर से विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

†श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज): में कलकत्ता के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसकी बहुत दिनों से योजना थी। हाल ही में यह कार्य मेट्रोपोलिटिन योजना संग न ने अपने हाथ में ले लिया है किन्तु मंत्रालय की सहमति के बिना इस पर कार्य नहीं किया जा सकेगा। कलकत्ता में जनसंख्या अधिक है। विशे तया पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के आने से जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। परिवहन के वर्तमान साधन पर्याप्त नहीं है। परिवहन की इस समस्या को सुलझाने के लिये वृत्ताकार रेलवे की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। कलकत्ता के चारों ओर पहले से ी रेल मार्ग बना हुआ है जिस पर माल के ढोने का कार्य किया जाता है। केवल सवारी गाड़ियों और स्टेशनों की ही व्यवस्था करनी है। मेरा अ ुरोध है कि मन्त्रालय इस ओर ध्यान दे।

दूसरी बात रेलवे के सहका ी समितियों के प्रति व्यवहार के बारे में है। व्यक्तिगत व्यापारियों, व्यापारियों के समुदाय आदि को वेगन मिल जाते हैं किन्तु सहकारी समितियों को नहीं मिलते। हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक सहकारी समिति में कलकत्ता की एक फर्म से जूट पहुंचाने का वायदा किया था। किन्तु उसे ेगन उपलब्ध नहीं हो सका। इसके बाद उस समिति ने यहां मुझसे रेलवे, कृषि और सहकार मंत्रालयों से पत्र-व्यवहार किया। तब कहीं उसे ेगन मिल सका। मेरा अनुरोध है कि सहकारी समितियों के साथ अन्य व्यापारियों तथा व्यापारी समुदायों के समान ही व्यवहार किया जाये।

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : जो पहले आता है उसे पहले मिल जाता है।

†श्री च० का० भट्टाचार्य : यही तो मेरी शिकायत है कि सहकारी समितियों के सम्बन्ध में ऐसा भी नहीं किया जाता। वह पहले आते है फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती।

माननीय रेल मंत्री की बहुत सराहना की गई है। में समझता हूं कि वह इस योग्य है।

†श्री पें० वेंटासुब्बय्या (अडोनी) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्री की इस घोषणा से कि क्षेत्रों के विभाजन के सम्बन्ध में उनका मस्तिष्क पूर्वाग्रह-रहित है हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। सभा में से सबने रेलवे मं ी की, उपमंत्रियों की और रेलवे बोर्ड की, कार्य-कुशलता के लिये, सराहना की है।

रेलवे प्रशासन देश की सबसे बड़ी लोकोप ोगी व्यवस्था है। इसे लाखों व्यक्तियों और कारखानों का कुशलता से प्रबन्ध करना पड़ता है जिससे माल के परिवहन और यात्रिकों को सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पं० वेंकटासुब्बया]

हमें प्रसन्नता है कि यात्री भाड़े में वृद्धि नहीं हुई है। किन्तु वस्तुभाड़ा बढ़ा दिया गया है। स सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे को माल-परिवहन के विषय में सड़क परिवहन का मुकाबला करना होगा। कई राज्यों में मोटर परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और अब उनके मालिक अपनी गाड़ियों को माल ढोने के काम में लाने लगे हैं। रेलवे प्रशासन को इस चुनौती का सामना करना चाहिये और प्रशासन के प्रति पर्याप्त विश्वास और दक्षता की भावना उत्पन्न करनी चाहिये; जिससे लोग यह अनुभव करें कि उनका माल समय पर और बिना टूट फूट के निश्चित स्थान पर पहुंच जायेगा।

मैंने कई बार अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रेलवे पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। यहां पर यात्रियों का यातायात बहुतायत से होता है क्योंकि यह इसी प्रदेश का नहीं अपितु सारे आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा वाणिज्य केन्द्र है। किन्तु पुल न होने के कारण यातायात में असुविधा होती है। रेलवे मंत्री ने कहा था कि इसके विषय में सर्वेक्षण किया जा चुका है। किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य को उप-सड़क आदि का खर्च वहन करना पड़ेगा। किन्तु मेरा यह सुझाव है कि स विषय में विवेक अथवा प्राथमिकता निश्चित करने का कार्य रेलवे प्रशासन द्वारा ही किया जाना चाहिये; क्योंकि राज्यों का वस्तुतः रेलवे प्रशासन अथवा उसकी कठिनाइयों से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

नई रेलवे लाइन अपेक्षाकृत अधिक अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों में बिछाई जानी चाहिये। नई रेलवे लाइनों से यात्री और माल परिवहन में ही सुविधा नहीं होती, अपितु ससे समृद्धि और औद्योगिक विकास में भी वृद्धि होती है।

रायलासीमा में जहां खनिज और वन-उत्पादों की बहुतायत है नई रेलवे लाइन बनाने के विषय में कई बार सरकार से अनुरोध किया जा चुका है। में यह नहीं कहता कि इस आपातकाल में ही यह कार्य किया जाये। मेरा तो यह अनुरोध है कि समय आने पर इस बात का ध्यान रखा जाये कि जहां पर खनिज और वन-उत्पाद उपलब्ध हों वहां भी नई रेलवे लाइनें बिछाई जायें।

एक कल्याणकारी राज्य में केवल इसी बात को ध्यान में रख कर कार्य नहीं किया जाना चाहिये कि इसका वित्तीय प्रभाव होगा अपितु लोगों के कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिये। इसलिये जिन क्षेत्रों की अब तक उपेक्षा की गई है वहां पर नई रेलवे लगायी जायें।

गैर-सरकारी भोजन-व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये। मध्य रेलवे पर महबूब नगर स्टेशन पर खान-पान का प्रबन्ध एक गैर-सरकारी व्यक्ति के पास है। कई वर्षों से यह कार्य वही कर रहा है। किन्तु जो भोजन वहां मिलता है वह बहुत बुरा है। में समझता हूं कि या तो यह कार्य किसी और को दे दिया जाये अथवा विभाग इसे अपने हाथ में ले ले।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों की नियुक्ति प्रादेशिक आधार पर की जाये जिससे लोगों में यह भावना न हो कि किसी प्रदेश का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया।

†श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : में भारतीय रेलवे के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात मैं रेलवे क्रोसिंग के बारे में कहना चाहता हूं। बम्बई–आगरा सड़क

†मूल अंग्रेजी में

पर, नासिक और बम्बई के बीच में, लगभग २५०० मोटर गाड़ियां रोज गुजरती है। वहां २ या ३ रेलवे क्रासिंग हैं जहां इनको लगभग आध घंटा प्रतीक्षा करनी होती है। इसलिये यह आवश्यक है कि न क्रासिंग के ऊपर पुल बना दिया जाये। रेलवे मंत्रालय को चाहिये कि राज्य सरकार की सहायता से इन ऊपरी पुलों के निर्माण का कार्य आरम्भ करने का प्रयास करे।

मेरी दूसरी बात बम्बई उपनगर की स्थानीय रेल गाड़ियों में भीड़-भाड़ के विषय में है। बम्बई की जनसंख्या लगभग ४२ लाख है। मेरा सुझाव है कि यहां एक भूमिगत रेलवे की व्यवस्था कर दी जाये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोयले की राख उन सहकारी समितियों को बेची जाये जो ईंटें बनाती हैं। क्योंकि ईंटें बनाने वालों को पर्याप्त मात्रा में यह राख नहीं मिल पाती।

तत्पश्चात मैं मध्य रेलवे के उगांव रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। वहां से प्याज, सब्जी, अनाज, इत्यादि बम्बई भेजने होते है। इस स्टेशन पर कोई प्लेटफार्म नहीं है। मैं निवेदन करता कि वहां एक प्लेटफार्म और एक शेड बना दिया जाये।

मैं रेलवे मंत्रालय को इसके कार्य सम्पादन पर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, अब वह लंबा वाद-विवाद, जिसमें इस सभा के माननीय सदस्यों ने अत्याधिक रुचि ली थी, समाप्ति पर है। वस्तुतः यह विषय हमारे देश के बहुत से लोगों के लिये दिलचस्पी का विषय है क्योंकि इस सुविधा का आवश्यक रूप से उपयोग करने वाले बहुत से लोगों द्वारा काफी मात्रा में रेलवे सेवाओं का उपयोग किया जाता है। वास्तव में रेलवे से संबंधित कुछ आंकड़े आश्चर्यजनक रूप से बड़े है। मोटे तौर पर कुल जनसंख्या का सौवां भाग यात्रियों के रूप में रेलवे का प्रयोग करता है। हम तिदिनि ४५ से ५० लाख यात्रियों को इधर उधर ले जाते हैं। गाड़ियों की भी संख्या काफी बड़ी है। हम प्रतिदिन औसतन ९००० गाड़ियां चला रहे है जिसमें ५००० यात्री और ४००० मालगाड़ियां है। देश भर में कुल ६,६०० रेलवे स्टेशन हैं। रेलवे कर्मचारियों की संख्या कई बार बताई जा चुकी है। यह ११½ लाख है। इसलिये स्वाभाविक ही है कि इस विषय के सम्बन्ध में इतनी व्यापक चिंता हो।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने सराहना के शब्द कहने की कृपा की; यद्यपि जो सुधार किये गये वह इतने आश्चर्यजनक नहीं थे। यह केवल प्रजातंत्र की इस शक्ति को ही इंगित करता है कि किस प्रकार यह समुदाय की सेवा करने जैसे दुष्कर कार्य में लगे हुये लोगों का उत्साह बढ़ाती है। में माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके द्वारा कहे गये अनुकम्पा भरे शब्द मैंने उसी रूप में स्वीकार किये है जैसे उन्हें उन ११½ लाख रेलवे कर्मचारियों के प्रति कहा गया है जिनके सामूहिक प्रयास और स्वैच्छिक और सतत सहयोग से परिवहन प्रयासों में वृद्धि हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्वर्ण सिंह]

मैं इस वि य के एक पहलू को सभा के सम्मुख रखना चाहता हूं। यह सच है कि इस परिवहन कार्य का अधिकतर भार प्रशासन और ११½ लाख रेलवे कर्मचारियों पर है; किन्तु इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी स्वयं प्रयोक्ता ही है। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि यदि प्रयोक्ता का अधिक सहयोग मिलने से परिवहन के कार्य में काफी सुधार हो सकेगा। चाहे वह यात्री हो अथवा माल भेजने वाला, उसका सक्रिय सहयोग एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है और रेलवे प्रशासन इसके महत्व को कम नहीं समझता।

उदाहरणार्थ माल यातायात को लीजिये। छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी सहायता मिल जाती है। माल को उतारने चढ़ाने में जल्दी करने से काफ़ी समय बच जाता है। यदि साईडिंग अथवा यार्ड में खड़े हुये वैगन पर सामान उतारने चढ़ाने के कार्य में जल्दी की जाय तो इसके फेरे बढ़ सकते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने सामान लादने में जल्दी करने के विषय में प्रयोक्ताओं की असुविधाओं का उल्लेख किया है। हमने कुछ भागों में ऐसी कार्यप्रणाली चालू की थी। आरंभ में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि स्वाभाविक ही था। हम किसी विशेष प्रकार के जीवन-यापन के अभ्यस्त हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वह भले ही के लिये हो साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाता। किन्तु हमने देखा कि उसके तुरन्त पश्चात उस परिवहन व्यवस्था का प्रयोग करने वाले व्यापारी और दूसरे प्रयोक्ताओं ने प्रशासन के साथ सहयोग किया और कुल परिवहन कार्य में उन्नति हुई। मैं प्रयोक्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह विलम्ब-शुल्क प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं किया गया था जैसा कि कुछ आलोचकों ने अनुदार रूप में प्रकट किया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि विलम्ब-शुल्क प्राप्त करने से रेलवे को सख्त घृणा है। यदि विलम्ब-शुल्क वसूल करने का नियम है तो इसी लिये है कि माल को उतारने चढ़ाने में शीघ्रता की जाये, इसलिये नहीं कि उससे धन कमाया जाये। यह केवल प्रयोक्ताओं में अवलम्बनीयता की भावना उत्पन्न करने के लिये है। और मैं अत्यन्त प्रसन्न होऊंगा यदि मुझे सभा से ऐसा कहने का अवसर मिले कि विलम्ब-शुल्क से आय कुछ भी नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त यह भी देखना है कि रेलवे यात्री और माल गाड़ियां २४ घंटे चलती हैं। इस सेवा में कोई क्रमभंग नही होता और न ही छुट्टी आदि ही होती है। लोग क्रम से कार्य करते हैं। कभी-कभी व्यक्तिगत कठिनाइयां भी हो जाती हैं जैसे कि स्टेशन मास्टर और सहायक असिस्टेंट मास्टर का देरी तक कार्य करना जिसके बारे में कि सभा में कहा गया है। अब भी गाड़ियां २४ घंटे ही चलती रहती है। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि हमारे प्रतिपोषक, प्रयोक्ता भी भारत जैसे विकासोन्मुख देश की रेलवे की परिवहन-पद्धति का प्रयोग करते समय यह अनुभव करें कि रेलवे का भार हल्का करने के लिये वह जो कुछ कर सकते हों, करें।

इस सम्बन्ध में मैं रविवार को लादे जाने वाले माल के विषय में कुछ कहूंगा। रविवार को कोयले और अन्य पदार्थों का लादा जाना बहुत महत्व का विषय है। मैं जानता हूं कि जिस सामान्य व्यवस्था में हम कार्य कर रहे हैं उसमें लोगों को साप्ताहिक, अथवा पारिश्रमिक, और अन्यथा जैसा भी प्रबन्ध किया जावे उस प्रकार, आराम करने का अधिकार है। किन्तु मुझे विश्वास है कि छुट्टियों को इधर उधर करके ऐसा प्रबन्ध सुनिश्चित किया जा सकता है कि रविवार अथवा अन्य छुट्टियों के दिन माल उतारने या चढ़ाने का कार्य न रुके न धीमा हो। इसका महत्व इसलिये है कि छुट्टियों के दिन वैगनों में माल उतारने व चढ़ाने के कार्य में जो कमी होती है उसका अनुपात इस कारण बढ़ जाता है कि वर्ष में छुट्टियों की संख्या बहुत अधिक है।

इसलिये यह आवश्यक है कि रेलवे प्रयोक्ताओं को भी यह तथ्य समझना चाहिये कि यदि वह माल उतारने व चढ़ाने में शीघ्रता करने की व्यवस्था कर लें तो यह उनके तथा देश के दोनों के हित में होगा । वह रेलवे के सामने यह कठिनाई उत्पन्न न करें जिसका उन्हें आजकल सामना करना पड़ रहा है कि सामान भरने के स्थान पर और उस स्थान पर जहां से उसे उतार कर निश्चित स्थान पर ले जाया जाता है, वैगन बहुत देर तक वैसे ही खड़े रहते हैं ।

माननीय सदस्यों ने इस विषय पर जो अप्रसन्नता प्रकट की थी कि सफ़ाई रखने का स्तर इतना ऊंचा नहीं है, वह उचित ही थी । मैं इस बात से सहमत हूं कि इस बात के लिये यथासम्भव प्रयास किया जाये कि प्रयोक्ता अपनी आदतों के बावजूद चाहे आप उन्हें त्रुटि ही कहें, एक निश्चित रूप में व्यवहार करें। हमारे देश की जलवायु इस प्रकार की है कि कुछ भागों में धूल इत्यादि का व्यवधान होता ही है । यही कारण है कि रेलवे सफ़ाई करने वालों का उपयोग करने के लिये जोर देती रही है जो प्रत्येक स्टेशन पर उपलब्ध हैं । रेलवे प्रशासक का यह अनुभव है कि बहुधा उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जाता । वस्तुतः उन्हें विश्रामवकाश में सफ़ाई करने के लिये प्रोत्साहित नहीं किया जाता । गाड़ी चलने के स्थान पर, बीच के स्टेशनों पर और दूसरे स्थानों पर धूल आदि झाड़कर और जो कुछ अन्य सामान फेंका गया हो उसे हटा कर गाड़ी की सफ़ाई करना आवश्यक है, किन्तु अन्ततः सफाई का स्तर काफ़ी मात्रा तक प्रयोक्ताओं पर ही निर्भर करता है । इस बात में अब प्रगति हो रही है और रेलवे प्रयोक्ताओं में देश के अन्य भागों के लोगों के समान ही इस बात के प्रति सचेतता बढ़ती जा रही है और यह बात बहुत महत्व की है ।

मैं जब एक विदेशी रेलवे में यात्रा कर रहा था तब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुन कर आपको हंसी आयेगी । मैंने कुछ खाया और जो कुछ बचा उसे उसी कागज में लपेट दिया जिस में खाने का सामान आया था । जब मैं ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो इतनी सफ़ाई वहां पर थी कि मेरी उसे वहां डिब्बे में कहीं रखने की हिम्मत नहीं हुई । मैंने बाहर देखा और वहां भी सड़क पर और इधर उधर सफाई का स्तर इतना ऊंचा था कि मैं इसे, इस डर से कि यह उस स्थान को गंदा कर देगा बाहर नहीं फेंक सका । इसलिये सफ़ाई रखने की व्यक्तिगत इच्छा भी कुछ होती है । और मामलों में सुधार के लिये सामान्य ष्टिकोण भी काफ़ी सहायक सिद्ध होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने हमें यह नहीं बतलाया कि फिर उन्होंने क्या किया ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैंने इसे जेब में रख लिया और रेलवे स्टेशन पर कूड़े के डिब्बे में डाल दिया । मैं अपने देश के यात्रियों से यह आशा नहीं कर सकता कि वह इतनी अधिक सतर्कता बरतें क्योंकि आसपास के स्थान ऐसे हैं कि यदि हम एक ऐसा बोर्ड लगा दें जिस पर यह लिखा हो कि लोग अनिष्टकर कार्य न करें तो यह उन लोगों के लिये ऐसा कार्य करने की प्रेरणा ही देगा । मेरा ऐसा ही अनुभव है । वह यह समझते हैं कि सम्भवतः यह स्थान सामान्य रूप से इसी कार्य के लिये प्रयुक्त किया जाता है और वह बिना दण्ड के भय के ही ऐसा कार्य कर सकते हैं ।

यह जीवन के सत्य हैं । हमें व्यावहारिक ष्टिकोण अपनाना है । हम उच्च आधार पर वार्ता नहीं कर सकते । हमें इन समस्याओं के साथ व्यवहार करना है. उनसे उलझना है; रहना है और आवश्यक हल खोजना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्वर्ण सिंह]

आप को याद होगा, जैसा कि मुझे है, कि १५ या २० वर्ष पहले कोई भी इस बात का अनुमान नहीं कर सकता था कि रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदने के लिये लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा । जब मैं युवक था तब मैं ने स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया था और जो स्त्री य पुरुष यात्री बूढ़े थे उनके टिकट खरीदने के लिये भीड़ में घुस कर खिड़की तक पहुंचने का प्रयत्न करता था । उस समय हममें से कोई भी इस बात का अनुमान नहीं करता था कि लोग स्वयं ही इस सामान्य अनुशासन के अनुसार कार्य करेंगे और सिनेमा घरों या स्टेशन पर टिकट खरीदने के लिये लाइन लगा कर खड़े होंगे । किन्तु अब ऐसी ही बात हो रही है और धीरे धीरे ऐसी भावना बढ़ती जा रही है ।

सर्वत्र अन्य कई परिवर्तन हो रहे हैं । यह हमारे मन में इस आशा को जन्म देता है कि प्रशासन को सशक्त करने और कसने से, प्रयोक्ताओं के स्वैच्छिक सहयोग से और स्वयं को सुधारने की बढ़ती हुई भावना से, जो देश के प्रगति करने के साथ ही बढ़ती रहेगी, अवस्था अधिक अच्छी हो जायेगी ।

मैं रेलवे के एक अन्य पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिसे सम्भवतः कई लोग जानते हैं किन्तु हमेशा याद नहीं रखते । रेलवे पद्धति की दो मुख्य बातें हैं । एक यह कि हमारी रेलवे दुनियां के उन कुछ रेलवे में से हैं —मैं इस प्रकार की अभिव्यक्ति अभिप्रायपूर्वक कर रहा हूं—जो लाभदायक हैं । दुनियां में बहुत से रेलवे लाभदायक होने का दावा नहीं कर सकते । हमारे प्रशुल्क की दरें भी चाहे यात्रियों के सम्बन्ध में हों, अथवा माल के सम्बन्ध में, काफी नीची हैं । ऐसा नहीं है कि हम अपने राजस्व में वृद्धि कर के दुनियां के सामने कोई महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं । दूसरी बात यह है कि रेलवे एक ऐसा संगठन है जिस का निरन्तर विस्तार हो रहा है । दुनियां के बहुत से रेलवे संगठन अवनति की ओर अग्रसर हैं ; क्योंकि वह देश बहुत अधिक विकसित हो चुके हैं । वहां पर परिवहन के अन्य कई साधन हैं, जैसे भूमिगत जलमार्ग, सड़क पद्धति आदि और यह पद्धतियां भी पूर्णरूपेण विकसित हैं ।

†श्री कोया : सुविधाओं के बारे में क्या है ?

†श्री स्वर्ण सिंह : मैं जानता हूं कि उस विषय में मेरा रिकार्ड अधिक अच्छा नहीं है ।

मैं ने यह दो पहलू सभा के सम्मुख यह दिखाने के लिये रखे हैं कि रेलवे व्यवस्था को अपने प्रति विश्वास है और अपने भविष्य में भी विश्वास है । अर्थात् यह लाभदायक भी है और इस का विस्तार भी हो रहा है । जैसाकि डा० सिंघवी ने ठीक ही कहा था कि आने वाले कई वर्षों में भी हम परिवहन के लिये रेलवे पर ही निर्भर करेंगे क्योंकि हमारे देश में स्थान बहुत दूरी पर हैं और क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं कुछ विशेष भागों में हीं मिलती हैं । प्रकट रूप से कोयला ऐसी वस्तु है । हमारा सारा कोयला, अथवा एक बहुत बड़ा भाग, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के चार राज्यों के किनारे के २०० × २०० मील के भाग में ही मिलता है । इसे पंजाब, गुजरात और दक्षिण के अन्य राज्यों के दूर दूर के स्थानों को ले जाना होता है । आंध्र प्रदेश और मद्रास में कुछ कोयला और लिगनाइट पाया जाता है जिसे दृष्टिगत रखते हुए कोयला सदा दूर दूर तक ले जाना पड़ेगा । इस के अतिरिक्त उर्वरक कारखानें सीमेंट के कारखानों को अन्य कच्चा सामान भेजना भी रेलवे पर निर्भर करेगा । उसी दृष्टि से रेलवे की वर्तमान व्यवस्था पर विचार करना होगा कि यह व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए । इसे सुदृढ़ बनाने के लिए काफी विचार किया जा रहा है । रेलवे का

†मूल अंग्रेजी में

यह प्रयत्न रहा है कि देश आत्मनिर्भर हो। रेलवे व्यवस्था की सुदृढ़ता देश की उद्योग व्यवस्था पर निर्भर करती है। रेल की पटरियों की अत्यधिक आवश्यकता है किन्तु रेलवे इस्पात का कारखाना स्थापित नहीं कर सकता। अतः रेलवे इस्पात कारखानों और उद्योग धंधों पर निर्भर करती है। अब हम माल के डिब्बे बाहर से नहीं मंगवाते बल्कि स्वयं निर्यात कर सकते हैं। थोड़े से पुर्जे अवश्य विदेश से मंगवाये जाते हैं किन्तु यह कहा जा सकता है कि इन का निर्माण हमारे ही उद्योग का कार्य है।

रेल के डिब्बों का पैरम्बूर का कारखाना विश्व के सर्वोच्च कारखानों में से है। मैंने ज्यूरिच पैरम्बूर की सहायक कम्पनी का कारखाना देखा था। उन का कथन था कि तैयार हो जाने पर पैरम्बूर का कारखाना उन के कारखाने से भी अधिक अच्छा होगा। मैं ने अब देखा है कि निश्चित रूप से हमारे कारखाने का नक्शा कहीं अच्छा है। हम कोई इंजन भी आयात नहीं कर रहे। चितरंजन में बिजली के इंजन भी बनने शुरू हो गए हैं। वाराणसी में डीजल इंजन का कारखाना तैयार हो रहा है।

जनशक्ति की दृष्टि से भी यह बहुत बड़ा संगठन है। मैं अनुभव करता हूं कि ऐसी व्यवस्था स्थापित हो चुकी है जिस से इस जनशक्ति में विश्वास की भावना पैदा होगी।

†श्री बड़े : क्या रेलवे की कोयले की खानें भी स्थापित कर रहे हैं ?

†श्री स्वर्ण सिंह : हमारी कोई विशेष खानें नहीं हैं। कुछ वर्ष पूर्व रेलवे की खानें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को सौंप दी गयी थीं। कोयला नियंत्रण हमारे संसाधनों का नाम निदेशन करता है और उन्हें प्राप्त करता है।

भर्ती को अधिकाधिक निष्पक्षतापूर्ण बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयोजन के हेतु श्रेणी ३ के कर्मचारियों की भरती के हेतु तीन रेलवे सेना आयोग हैं। निम्न वर्ग की भर्ती के लिए भी विज्ञापन दिये जाते हैं। उच्च वर्ग की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग है। हम भर्ती में प्रवेशों का भी ध्यान रखते हैं। अतः प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को इस प्राथमिकता में विकल्प देना होता है कि क्या वह जोधपुर, बीकानेर या गंटाकल आदि प्रभागों में नौकरी चाहता है। हमारी अनेक संस्थाएं हैं और हर स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

इस्पात के कारखानों में कोयला ताप के अलावा कच्चे सामान के रूप में प्रयुक्त होता है अतः रेलवे और तापीय कारखानों की बजाय इस्पात के कारखानों को प्राथमिकता दी जाती है। अतः रेलवे को इतना अच्छा कोयला नहीं मिल रहा जितना अच्छा मिलना चाहिये।

सरकार का विचार है कि बिहार और मध्य प्रदेश में कोयला धोने के कारखाने स्थापित किये जायें ताकि रेलवे को राखरहित कोयला मिल सके।

डीजल और बिजली की उपलब्धि पर डीजल और बिजली की अधिकाधिक रेलें चलायी जायेंगी।

गुजरात के तेल शोधक कारखाने चालू हो जाने पर भले ही तेल की वस्तुओं का आयात कम हो जाय किन्तु विकासशील अर्थ-व्यवस्था में कांडला पत्तन के क्षेत्र का यातायात बढ़ जायगा। इसलिए मांड से कांडला तक बड़ी लाइन बनाई जा रही है। वास्तविक निर्माण संसाधनों की प्राप्ति और पत्तन के यातायात की स्थिति पर निर्भर करता है। चालू बजट में इसके लिए स्वीकृति मांगी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्वर्ण सिंह]

कुछ सदस्यों ने दूसरी श्रेणी के डिब्बे खत्म कर देने के लिए कहा है किन्तु कुछ ऐसे हैं जो प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते किन्तु थोड़ी अधिक अच्छी श्रेणी में यात्रा करना चाहते हैं। अतः इसे जारी रखने का निश्चय किया गया है और इस में सुधार भी किया जायेगा।

आज की दूसरी श्रेणी पहली इंटर श्रेणी है और आज की प्रथम श्रेणी पहली दूसरी श्रेणी है। इस में प्राचीन प्रथम श्रेणी की सुख सुविधाएं भी नहीं और न ही किराया उतना है। तो भी हम यात्रियों को अपने साधनों के अनुसार अधिकाधिक सुविधाएं देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उपरि पुलों और फाटकों का प्रश्न उठाया गया है। पुल तो रेलवे को बनाना चाहिये किन्तु वहां तक की सड़क राज्य निगम आदि को बनानी चाहिये। रेलवे उन कार्यों को नहीं कर सकती जो उस के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। रेलवे के सहयोग का जहां उपयोग किया गया है वहां पुल बनाये जा रहे हैं।

रेल के फाटकों के संबंध में कुछ सुधार हो गया अर्थात् मैं ने राज्य सरकारों को लिखा था। उन में से कुछ ५०-५० प्रतिशत के आधार पर खर्च वहन करने के लिए तैयार हो गई हैं। फाटकों पर आदमी रखने की व्यवस्था की जा रही है। जिन राज्यों ने स्वीकृति नहीं भेजी उन्हें मनाने का प्रयत्न कर रहा हूं।

†**श्री विश्मल राव**: कुछ पुलों की मंजूरी १९६३ की थी जैसे कि सयालकोटे के पुल की किन्तु आपातकाल के कारण पुल का निर्माण रोक दिया गया है।

†**श्री स्वर्ण सिंह**: मूल रूप में मेरी प्रतिक्रिया यही है कि यह कार्य बंद नहीं होना चाहिये।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्हों ने रेलवे की सराहना की है। इस से मैं और अधिक विनम्र भाव से अधिक प्रयत्न में लग सकूंगा और रेलवे के ११ १/२ लाख कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलेगी।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी**: माननीय मंत्री की मेरे सुझाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है कि रेलवे को विभागीय तौर पर चलाने की बजाय सरकारी उपक्रम के रूप में चलाना चाहिये।

†**श्री स्वर्ण सिंह**: मैं इस का संक्षेप में उत्तर दूंगा। रेलवे संविहित निकाय है। दूसरे सरकारी उपक्रमों के संचालन में भी संभवतः सामान्य समवाय अधिनियम लागू नहीं होता। दामोदर घाटी निगम और राज्य बैंक आदि के लिए अलग संविधियां हैं। इसी प्रकार रेलवे अधिनियम और रेलवे बोर्ड अधिनियम है। यदि उस में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो उस की जांच की जा सकती है।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद): हाल ही के एक नियम के अनुसार प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदने पर यदि यात्री सफर न करे तो उस के सारे पैसे जब्त कर लिए जाते हैं।

†**श्री स्वर्ण सिंह**: मेरा विचार है कि सारे पैसे जब्त नहीं किये जाते। यदि यात्री समय रहते यात्रा न करने की सूचना दे दे तो केवल कुछ पैसे काट कर लौटा दिये जाते हैं। यह इसलिए करना पड़ा कि सभा में भी शिकायतें की गई थीं कि झूठी रिजर्वेशन कर ली जाती है और ठीक गाड़ी के चलने के समय टिकट किसी को दे दी जाती है। इसलिए यह नियम बनाना पड़ा।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी**: मैं कटौती प्रस्ताव वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की अनुमति है ?

सभा की अनुमति से कटौती प्रस्ताव वापस लिये गये ।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष सब कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय	२,९०,१२,०००
३	चालू तथा अन्य लाइनों के लिए भुगतान	३१,०१,०००
४	कार्यवहन व्यय—प्रशासन	४२,७९,४३,०००
५	कार्यवहन व्यय—मरम्मत और संधारण	१३७,८१,८१,०००
६	कार्यवहन व्यय—संचालक कर्मचारी	८५,३७,१४,०००
७	कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन)	९२,१०,३८,०००
८	कार्यवहन व्यय—कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त संचालन	२८,२८७,९५,०००
९	कार्यवहन व्यय—विविध व्यय	३२,०२,५९,०००
१०	कार्यवहन व्यय—श्रम कल्याण	१३,६५,९८,०००
११	कार्यवहन व्यय—अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग	८०,००,००,०००
१२	सामान्य राजस्व को भुगतान	९३,१०,८६,०००
१३	चालू लाइन के काम (राजस्व)	१२,४९,५०,०००
१४	नई लाइनों का निर्माण	६५,६३,४४,०००
१५	चालू लाइन निर्माण—विस्तार तथा प्रतिस्थापन	४३३,१२,९४,०००
१६	चालू लाइन निर्माण कार्य—विकास निधि	२५,९८,००,०००
१८	विकास निधि में विनियोग	३१,००,४२,०००

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

†अध्यक्ष महोदय : श्री हेमराज प्रस्ताव रखें ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम राज : (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से, जो ७ मार्च, १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिदवेन से, जो ७ मार्च, १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रतिवेदन के पैरा ५ का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि प्रक्रिया नियमों के नियम २९४ के अन्तर्गत जो अधिकार इस समिति को दिये हैं उनका इस पैरे में अतिक्रमण किया गया है। नियम ६५ के अन्तर्गत सदस्यों को अधिकार दिया गया है कि वह विधेयक पुर:स्थापित करने के बारे में सूचना दे सकता है और उसे विधेयक की एक प्रति देनी होगी आदि। समिति इन अधिकारों का भी अतिक्रमण कर रही है। समिति सदस्यों के विधेयक की सूचना देने के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती। वह सूचना मिलने पर अलग से उस पर विचार कर सकती है। इस सत्र में जब कि गैर-सरकारी कार्य के लिए प्राय: छ: दिन मिलेंगे सदस्यों के अधिकारों को इस प्रकार कम करना ठीक नहीं है।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या नियम २९४ के अन्तर्गत यह काम आप ने समिति को सौंपा था जिससे समिति ने सदस्यों के अधिकार कम कर देने की सिफारिश कर दी है ?

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : समिति में मैं भी उपस्थित था और वहां सभापति ने यह प्रश्न उठाया था। किन्तु संकल्पों के सम्बन्ध में भी तो बैलट द्वारा प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार यदि मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं तो बैलेट द्वारा प्राथमिकता निर्धारित होने पर मुझे एक ही अवसर मिलेगा। इसलिए इस प्रतिबंध की बात सोची गई थी।

†श्री च० क० भट्टाचार्य (रायगंज) : समिति का अभिप्राय सदस्यों के अधिकार कम करने का नहीं था प्रत्युत सभा के समय की बचत करने का था। मेरा विचार है कि यदि एक सदस्य को चार विधेयक पेश करने की अनुमति हो तो पर्याप्त है।

†श्री हेम राज : समिति का विचार सदस्यों के अधिकार कम करने का नहीं था। वर्ष में तीन सत्र होते हैं। यदि हर सत्र में एक सदस्य को ४ विधेयक पेश करने की अनुमति हो तो वह १७ विधेयक पेश कर सकता है।

†श्री बड़े (खारगोन) : समिति को सदस्यों के अधिकार कम करने का अधिकार नहीं चाहे उद्देश्य कुछ भी हो।

†अध्यक्ष महोदय : मेरा अथवा समिति का यह उद्देश्य नहीं था कि सदस्यों के अधिकारों को कम किया जाय प्रत्युत सुविधा के लिए यह सुझाव रखा गया था ताकि सचिवालय का समय व्यर्थ नष्ट न हो। यहां हम शब्द बदल कर सदस्यों से संयम का अनुरोध कर सकते हैं। तब सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन के संशोधित रूप से, जो ७ मार्च, १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—जारी

(धारा २ और ३ का संशोधन)

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री दी० चं० शर्मा के २२ फरवरी के निम्न प्रस्ताव पर आग विचार करेगी :

"कि बाल-विवाह रोक अधिनियम, १९२९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये उसे ३१ अक्टूबर, १९६३ तक परिचालित किया जाये ।"

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं माननीय सदस्यों से बिल्कुल हानि रहित मांग कर रहा हूं कि इस विधेयक पर जनता की राय ली जाय ।

बाल-विवाह रोक अधिनियम १९२९ में पारित किया गया जिसे आज ३४ वर्ष हो गये हैं । इस बीच युग बीत गया है । नये युग की नयी आवश्यकतायें हैं । उस अधिनियम में बालक-बालिका की १८ और १६ वर्ष की आयु रखी गई है । यह अन्तर बहुत कम है । मैं यह मांग कर रहा हूं कि बालिका की आयु २१ वर्ष की रखी जाय । लड़कियों में शिक्षा बढ़ रही है । इसलिए भी यह आवश्यक है ।

उस अधिनियम के समय नौकरी करने वाली महिलायें भी बहुत कम थीं । अब नारियां आत्मनिर्भर बन रही हैं ।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]

तीसरे देश का औद्योगीकरण हो रहा है । कृषि प्रधान देशों में विवाह के लिए आयु की सीमा कम होती है । अतः इस प्रक्रिया में हमें स्वयं ही आयु की सीमा बढ़ा देनी चाहिये ।

देश की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है । यदि इस प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो १९७१ में यहां की आबादी में ९ करोड़ ४० लाख की वृद्धि हो जायेगी । अतः जनशक्ति इतनी अधिक बढ़ जायगी कि चीनियों का भी मुकाबला किया जा सकेगा ।

आयु की सीमा बढ़ाने से समय की आवश्यकता ही पूरी होगी अतः जनता की राय जान ली जाय । फिर मैं इसे पारित करने का सभा से अनुरोध करूंगा ।

†सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्तावक को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय को लिया है । आज देश में विवाह-विच्छेद के मामले बहुत बढ़ रहे हैं । क्या इसका कारण विवाह-पद्धति में त्रुटि है या सामाजिक त्रुटि ।

वास्तव में विवाह की आयु २५ वर्ष होनी चाहिये । तब व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों से पूर्णतः परिचित होता है । प्रस्तावक का कथन है कि १५ और २५ वर्ष की आयु के बीच बच्चे अधिक होते हैं । पता नहीं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में चिकित्सकों की सलाह ली है या नहीं ।

मैं बाल-विवाह के विरुद्ध हूं । गांवों में अब भी कई जगह बालविवाह होते हैं जिस के कारण "छोटे से बच्चा" वाला गीत प्रचलित है क्योंकि लड़कियां शीघ्र वयस्क हो जाती हैं ।

सरकार को इस विधेयक के सारे पहलुओं पर विचार करना चाहिये ।

†श्रीमती रेणुका राय (माल्दा): मैं श्री शर्मा को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई देती हूं । यह बहुत पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये था । उनके सुझाव पर, कि इसे लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाये, मैं समझती हूं सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

१९२९ में बाल विवाह रोक अधिनियम पर देश के कट्टरपंथी लोगों में बड़ी उत्तेजना फैली थी । अब काफ़ी परिवर्तन हो गया है । श्री शर्मा ने कहा था कि शहरों में स्त्रियों कार्य करती हैं । किन्तु गांवों में भी स्थिति काफ़ी बदल गई है इसलिये विवाह की आयु लड़कियों के लिये १५ से बढ़ा कर १८ और पुरुषों की १८ से बढ़ा कर २१ कर देने पर किसी को भी आपत्ति नहीं होगी । यह हमारी आर्थिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी, चिकित्सा सम्बन्धी, मानसिक, नैतिक और दूसरी समस्याओं को सुलझाने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा । उन्होंने जनसंख्या की समस्या का भी उल्लेख किया । १८ वर्ष की आयु में एक लड़की मां बनने के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हुए, अच्छी स्थिति में होगी और अधिक शिक्षित भी होगी ।

इसके अतिरिक्त आर्थिक समस्या और जनसंख्या की समस्या का भी, जो हमारी योजना के लिये एक बहुत बड़ा व्यवधान है, समाधान हो जायेगा । इसलिये मैं इसे अस्वीकार किये जाने का कोई कारण नहीं समझती । यदि माननीय सदस्य इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव रखते तो मैं समझती हूं इसका अधिनियमन अधिक शीघ्रता से होता । किन्तु उन्होंने इसे लोकमत जानने के लिये परिचालित किये जाने का प्रस्ताव किया है । मैं समझती हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखते हुए कि यह एक स्वस्थ और लाभदायक पग है इसे स्वीकार कर लेगी ।

†श्री मा० श्री० अणे (नागपुर) : सभापति महोदया, मैं भी श्री शर्मा को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं । मैं विधेयक के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में उनसे सहमत हूं । किन्तु मैं एक बात की ओर विनिर्देश करना चाहता हूं ।

बहुत से लोगों का विचार है कि बाल विवाह का चलन शारदा अधिनियम के कारण ही बन्द हुआ है । उनके इस विश्वास पर कि सामाजिक सुधार के लिये विधान आवश्यक है, मुझे खेद होता है । परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और उनके साथ ही रीति-रिवाज भी बदलते हैं । विधान तो बाद में इन्हें वैधिक मान्यता देने के लिये बनाया जाता है । शारदा अधिनियम के मामले में ऐसा ही हुआ था और मैं समझता हूं कि इस मामले में लोग इसका स्वागत करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं एक विशेष कारण से इसका समर्थन कर रहा हूं। इस समय इस विधेयक में उल्लिखित विवाह-वयस् के हजारों विद्यार्थी कालिजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और उन्हें भी इस विधयक पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। मुझ कोई संदेह नहीं कि वह इसके पक्ष में ही मत देंगे।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर): सभापति महोदया, विधेयक के अन्तर्निहित उद्देश्यों से सहानभूति रखते हुए भी मैं विधान द्वारा यह सामाजिक सुधार लागू किये जाने के पक्ष में नहीं हूं। श्री शर्मा ने, जो एक अच्छे विधायक हैं, यह विधेयक प्रस्तुत किया है और यह सुझाव रखा है कि इस को लोकमत जानते के लिये परिचालित किया जाये। किन्तु हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हम अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि बाल विवाह रोक अधिनियम और उसके उपबन्धों का पूर्णरूप से पालन नहीं किया गया। अब भी बाल विवाह एक बड़ी संख्या में होते हैं। ऐसी अवस्था में अगला कदम उठाना उचित नहीं है।

जैसा कि हमें अनुभव है गांवों में बाल विवाह अब भी शारदा अधिनियम के बावजूद भी होते हैं। मैं समझता हूं कि सामाजिक सुधार के लिये विधान बनाना एक सर्वथा अकिंचन उपाय है। विधान लोगों को भयभीत ही कर सकता है किन्तु यह रीति रिवाज और सामाजिक चलन का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि विधान शनैः शनैः अधिनियमित किये जायें। मैं विधान द्वारा सामाजिक सुधारों के पक्ष में हो सकता हूं बशर्ते कि यह वास्तविक जीवन के अनुरूप हों। इस विधेयक का अभिप्राय अच्छा है किन्तु इसमें वास्तविकता का अंश भी नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक के लिये यह समय उपयुक्त नहीं है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (धनबाद): सभापति महोदया, श्री शर्मा के सुझाव से सहमत होने के साथ ही मैं अपना कुछ मत व्यक्त करना चाहता हूं। श्री शर्मा एक विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने यह बताया है कि यह पग जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये है। इस विषय पर योजना मन्त्री और योजना आयोग के उप-सभापति श्री नन्दा ने भी बम्बई में दिये गये वक्तव्य में काफी बल दिया है। किन्तु श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत विधेयक के अधिनियमन से, अथवा इस पर लोकमत संग्रह करने से, किसी से भी, यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हमें प्रतीक्षा करनी होगी यदि इस विधेयक का समर्थन करते समय कुछ अन्य सम्बन्धित बातों पर भी विचार करना होगा। कुछ वर्षों पहले जब बाल विवाह का प्रश्न उठाया गया था तब समाज एक संक्रमण काल से गुजर रहा था। किन्तु अब वह समय नहीं रहा। अब हम सोच समझ कर ऐसी युक्ति निकाल सकते हैं कि किस प्रकार सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करे कि वह वर्तमान आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों के अनुरूप बन सके। और यहां हमें इस बात पर विचार करना है कि विवाह की आयु जो पहले निश्चित कर दी गयी थी उसे बदला जाये अथवा नहीं।

मैं समाज विज्ञान के दृष्टिकोण से यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर लोकमत संग्रह करने के लिये इसे परिचालित किया जाये।

†**सभापति महोदया**: इस विधेयक के लिये एक घंटा निश्चित किया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि माननीय उपमन्त्री महोदय उत्तर देने के लिये कितना समय लेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विभुवेन्द्र मिश्र : १५ मिनट ।

†सभापति महोदया : श्री हेडा ।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : सभापति महोदया, मुझे भी थोड़ा समय मिलना चाहिये ।

श्री हेडा (निजामाबाद) : सभापति महोदया इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं इस विषय के दो चार पहलुओं का जिक्र करना चाहता हूं ।

सबसे पहली बात यह है कि जो जानकारी देश को मिलनी चाहिय आज के इस वैज्ञानिक युग में, वह उपलब्ध नहीं है । हमारे सामने जिस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध होने चाहियें वे हमें हासिल नहीं हैं । अगर यह मालूम होता कि हमारे यहां जो भी विवाह होते हैं उनकी औसत उम्र क्या है, अर्थात् कितनी उम्र के लड़कों और कितनी उम्र की लड़कियों के विवाह होते हैं और कितनी संख्या में होते हैं, फलां उम्र के लड़कों और फलां उम्र की लड़कियों के विवाहों की तादाद इतनी है, इस प्रकार के कोई स्टेटिस्टिक्स होते तो इस विषय पर सोचने में हमें काफी मदद मिलती । इसी प्रकार आज जो इस प्रकार के विवाह होते हैं जिनको बाल विवाह, प्रौढ़ विवाह या वृद्ध विवाह कहा जा सकता है, उन का सन्तति नियमन पर क्या प्रभाव होता है, यदि इसके भी आंकड़े कुछ होते तो उनसे हमें बड़ा फायदा होता ।

इसमें कोई शक नहीं कि जैसा वैज्ञानिकों ने कहा है कि विवाह के समय लड़के और लड़की जितने ही प्रौढ़ होंगे उतना ही अच्छा परिणाम होगा, उस पर सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है । प्रौढ़ विवाह अगर होंगे तो सन्तति नियमन होगा, सन्तान सुदृढ़ होंगी । इसी तरह से जो बाल विवाह होते हैं उनसे जो सन्तान होती हैं उनके अन्दर बाल मृत्युओं की संख्या बढ़ती है । लेकिन बच्चों के मरने की संख्या कितनी है अगर इस प्रकार के भी आंकड़े कुछ हमको मिलते तो मैं समझता हूं कि उससे हमारा बड़ा लाभ होता । मैं आशा करता था कि जब श्री दी० चं० शर्मा यह विधेयक पेश कर रहे थे तब शायद वे इस प्रकार की चीज को सामने लायेंगे और हमें अपनी मालूमात से और उन्होंने इस विषय का जो अध्ययन किया है उससे लाभ पहुंचायेंगे । लेकिन मैं समझता हूं कि वे भी मजबूर थे और उनके हाथ भी कोई ऐसी चीज नहीं लगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र कुछ अंशों में डा० सिंघवी ने भी किया है, कि बाल विवाह के ऐक्ट से जो हमारा लाभ हुआ है वह इसलिये नहीं हुआ कि हम ने यह ऐक्ट पास किया है, बल्कि इस कारण हुआ कि हमने इसका काफी प्रचार किया । इस कुरीति के उन्मूलन के लिये जो प्रचार हुआ उससे हमको काफी लाभ पहुंचा है । आज हम देखते हैं कि देहातों में बहुत सी जगहों में बाल विवाह होते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता ।

श्री बाल्मीकी : वहां विवाह बड़ी आसानी से हो जाता है और उसकी रिपोर्ट तक नहीं की जाती जब रिपोर्ट ही नहीं की जाती तब ऐक्शन कैसे लिया जा सकता है ?

श्री हेडा : मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूं जिस पर श्री बाल्मीकी बड़े जोर से ध्यान दिला रहे हैं । मेरा कहना यह है कि जब कानून पास होता है और उस पर अमल कराने की कोशिश नहीं होती तो उससे फिजा कुछ खराब होती है । जब ऐसा असर कायम हो जाता है कि कानून सिर्फ किताबों में ही है, अमल करने के लिये नहीं तो जो कानून की प्रतिष्ठा होती है वह कम होती है, और यदि उसकी

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिष्ठा कम हो जाय तो कानून चाहे जितना भी बड़ा किया जाय, उससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ जो होगा वह एक तरफ तो कानून को कड़ा करने से होगा और दूसरी तरफ प्रचार करने से होगा। अगर लोग प्रचार का काम हाथ में ले लें तो मैं समझता हूं कि इस कानून को खास तौर पर सामने रखने की आवश्यकता नहीं है।

साथ ही साथ अगर हम इस बात की कोशिश करें कि जितनी संख्या में लड़के स्कूल जाते हैं उतनी ही संख्या में लड़कियां स्कूल जाने लगें, तो भी मैं समझता हूं कि इस कानून की आवश्यकता कम हो जायेगी। आज होता यह है कि चार, छः, आठ साल तक की लड़की तो स्कूल जाती हुई दिखलाई देती हैं, हालांकि उनकी संख्या भी लड़कों के बराबर नहीं होती है, लेकिन जैसे ही लड़की थोड़ी बड़ी होती है, मैं देहातों के सम्बन्ध में कह रहा हूं, उसे स्कूल से हटा दिया जाता है। मैं वहां की बात कह रहा हूं जहां पर कि जागृति ज्यादा नहीं है, वहां पर जहां लड़की थोड़ी बड़ी हुई उसे स्कूल से निकाल लिया जाता है और उसको बाल विवाह का शिकार बना दिया जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस कानून को पास करने के साथ साथ एक तरफ तो स्टेटिस्टिकल डेटा मालूम करना चाहिये कि किस उम्र के कितने विवाह होते हैं और उनका परिणाम क्या होता है बाल मृत्यु के सम्बन्ध में, दूसरी तरफ हमें लड़कियों के शिक्षण पर जोर देना चाहिये। हम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये कुछ अपना प्रचार भी बढ़ायें तो मैं समझता हूं कि श्री शर्मा के दिल व दिमाग में जो अच्छा उद्देश्य है इस बिल को पास कराने में, वह ज्यादा आसानी से कामयाब होगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बालयोगी: सभापति महोदय, आप केवल कागज देख कर सदस्यों को बुला रही हैं, कुछ आंखों से भी काम लीजिये।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (करनूल): मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये श्री शर्मा को बधाई देती हूं। मैंने डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का भाषण बड़े ध्यान से सुना जिसमें उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया था। उनका कहना कुछ सीमा तक सत्य है। बाल विवाह अधिनियम के बावजूद भी बाल विवाह किये जा रहे हैं। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यदि हमारा एक विधान पूर्णरूप से सफल न हो तो हम इस विधान को भी न बनायें। मैं समझती हूं कि यह केवल सरकार का ही दोष नहीं हम लोगों का भी दोष है जो जनता के प्रतिनिधि हैं और लोकमत को मोड़ सकते हैं।

श्री शर्मा ने इसका एक उद्देश्य जनसंख्या पर नियन्त्रण करना बतलाया। जनसंख्या की समस्या हमारे सम्मुख एक कठिन समस्या है। इसी के कारण हमारी कोई भी योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं होती। हमें इस पर नियन्त्रण करना ही होगा।

दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रकार के विधान के बिना ही अब लड़के लड़कियों में विलम्ब से विवाह करने की भावना बढ़ती जा रही है। शिक्षा के कारण अथवा रोजगार की सुविधाओं के कारण वह देर से विवाह करते हैं। पश्चिमी देशों में आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने के पहले लोग विवाह नहीं करते। किन्तु भारत में इन बातों पर ध्यान नहीं रखा जाता।

मैं श्री शर्मा की इस बात से भी सहमत हूं कि इसे लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। यदि लोग इससे सहमत नहीं हुये तो वह इसका विरोध करेंगे। हम यहां लोकमत के अनुकूल विधान तो बनाते ही हैं साथ ही लोकमत को मोड़ने का कार्य भी करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती यशोदा रेड्डी]

मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि विवाह के लिये आय बढ़ाने के साथ ही वह शिक्षा और रोजगार की सुविधाओं अधिक उपलब्ध करवाने का भी प्रयत्न करे। गांवों के लोग इसीलिये जल्दी विवाह करते हैं कि उन्हें शिक्षा की सुविधायें नहीं मिलतीं। यदि उन्हें सरकार शिक्षा की और आर्थिक सुविधायें दे तो निश्चय ही विवाह की वयस बढ़ जायेगी।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इसे लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री कछवाय (दवास): सभापति महोदया, यह जो शर्मा जी ने बिल रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस संबंध में मैं दो चार बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इस बिल के अन्दर जो बात रखी गयी है। जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें यह संशोधन रखा है कि लड़के की विवाह की उम्र २१ साल होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि जो कानून पहले से बना हुआ है उसका सारे देश में बराबर पालन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को पास करने के लिये पहले हम सारे देश की जनता की राय ले लें। यह बहुत आवश्यक है। यह कानून जिस जनता पर लागू किया जाने वाला है उस जनता की राय ले लेना हमारे लिए पहली बात होनी चाहिए।

इस संबंध में अनेक स्थानों पर देखा गया है, और इस तरह की बातें मेरे अपने अनुभव में भी आई हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बहुत से इलाकों में ऐसा होता है कि लड़की की शादी आठ, नौ या दस साल की उम्र में कर दी जाती है। उनसे जो सन्तानें होती हैं उन शक्ति नहीं होती वे दुर्बल हो जाती हैं। उनसे हम क्या आशा कर सकते हैं कि वे भविष्य में देश के भार को अपने कन्धों पर उठा सकेंगी। यह बात अच्छी है कि लड़की की उम्र विवाह के समय १८ साल की होनी चाहिए। पर इस के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मेरा अपना निजि मत है कि लड़की की शादी की उम्र १५ साल कर देनी चाहिए। जब सारे देश में हम राय लेंगे तो हमको पता चलेगा कि देश की जनता क्या चाहती है। इस विषय में सारे समाज को शिक्षण देने के लिये काफी समय चाहिये और इससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देश की अधिकांश जनता देहाती है। इन लोगों में से अधिकांश में बाल विवाह होते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है कि पुरुष ५० साल का होता है और वह १०–१२ साल की लड़की से विवाह कर लेता है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे पार्लियामेंट के मेम्बरों को अपने क्षेत्र में जाकर इस बारे में लोगों की शिक्षण देना चाहिये और इस प्रकार की चीजों के विरुद्ध प्रचार करना चाहिए।

कुछ लोग कम उम्र की शादी पर रोक लगाना चाहते हैं और इस को अनैचित समझते हैं, तो दूसरे लोग इस प्रकार की शादियां कराने के लिए रिश्वत देते हैं, थानेदार को रिश्वत देते हैं, किसी नेता टाइप के व्यक्ति को रिश्वत देते हैं या किसी वकील को पैसा देते हैं और कहते हैं कि तुम इस विवाह को करवा दो। मेरे सामने ऐसे केसेज आये हैं।

तो मैं इस बिल के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस को पास करने के पहले हमारे देश की जनता की राय लेना अत्यन्त आवश्यक है और जनता की राय लेने के बाद ही अगला कदम उठाना चाहिए। अगर हम जनता की राय नहीं लेंगे तो उसका कोई परिणाम होने वाला नहीं है। जो पुराना कानून है उस पर आज तक देश में कितने कम आदमी चलते हैं। जो पुराना कानून बना हुआ है उसका पालन देश की जनता नहीं करती तो जो हम नया कानून बनाने चले हैं उसका पालन देश की जनता कहां तक करेगी यह विचारने की बात है। हमें इसमें शंका है कि देश की जनता इस कानून का पालन करेगी।

इसलिए मैं बड़े अदब के साथ शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस ढंग से भी हो सके इस संबंध में सारे देश की जनता की राय ली जानी चाहिए। इसका प्रचार होना चाहिये और देहातों के एक एक व्यक्ति से मिलकर उसकी राय जाननी चाहिए, उसके बाद इस कानून को पास करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** (कचार) : मैं विधेयक प्रस्तुत करने के लिए माननीय सदस्य को बधाई देती हूं। मैं आशा करती हूं कि सरकार को यह विधेयक लोक मत संग्रह के लिये परिचालित करने में कोई आपत्ति नहीं होती।

अब भी हमारे देश में दहेज की प्रथा समाप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ आर्थिक सामाजिक अथवा बाल-विवाह के कारणों से लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल पाती। बाल विवाह से जनसंख्या में वृद्धि होगी है। विधेयक से लोगों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर): मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। यह सच है कि गांवों में अब भी बाल-विवाह होते हैं। बाल विवाह रोक अधिनियम की कार्यान्वित नहीं की गई। फिर भी बाल विवाहों की संख्या में कमी हुई है। शहरों में इसका प्रभाव अधिक हुआ है।

दूसरी कठिनाई यह है कि १२ वर्ष के बच्चे को १५ वर्ष का बताया जाता है। विधान बनाने के बाद भी १५ वर्ष की लड़की को १८ वर्ष की बतलाया जा सकता है। इसलिये व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी यह उचित है कि हम सैद्धांतिक रूप से १८ वर्ष की आयु स्वीकार कर लें। यह सच है कि नियमों को बनाने के बाद भी कुछ व्यक्ति ऐसे है जो उनका उल्लंघन करते हैं। इसलिए यह बिलकुल उचित है कि हम आयु १५ से बढ़ा कर १८ कर दें। क्योंकि फिर भी बहुत सी परिस्थितियों में १५ वर्ष की लड़की की आयु १८ वर्ष बतायी जायेगी।

केवल विधि बनाने से ही हम इस को कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे। किन्तु यह तो सभी प्रकार की सामाजिक विधियों में होता है। यह विषय ऐसे है जो लोक मत द्वारा भी कार्यान्वित किये जाने चाहिये।

विधान लोक मत को जोड़ने के लिए होता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। अकेला कानून अथवा लोकमत कारगर नहीं हो सकता।

जनसंख्या पर भी नियंत्रण करने का भी प्रश्न है। किन्तु मैं समझती हूं केवल वयसीमा बढ़ा देने से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो जायेगा। इसके लिये दो बातों की आवश्यकता है: अधिक शिक्षित व्यक्ति और ऊंचा जीवन स्तर। किन्तु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह उचित है कि विवाह वयस् की सीमा बढ़ा दी जाये।

इसके पारित करने पर सरकार ने और हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि लड़कियों को १८ वर्ष की आयु तक शिक्षा मिल सके। गांवों में लड़कियां १७ अथवा १८ वर्ष के पहले नवीं अथवा दसवीं श्रेणी में नहीं जाती और इसके पहले ही उसका विवाह हो जाता है।

आयव्ययक में कटौती करने से शिक्षा के व्यय में कमी हुई है। इस पहलू का भी साथ ही ध्यान रखा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रणु चक्रवर्ती]

मेरा विचार है कि अब समय आ गया है कि हम लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ा दें।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : मेरे कुछ मित्रों ने इस विधेयक पर इस आधार पर आपत्ति उठाई है कि जब तक देश में लोक मत तैयार न हो यह विधान नहीं बनाया जाना चाहिये। जहां तक निष्कर्ष का प्रश्न है मैं उनसे सहमत हूं किन्तु मैं उनके इस तर्क से सहमत नहीं। विधेयक को प्रचालित किये जाने से ही लोकमत तैयार हो जायेगा। इसलिये जो विधेयक के सिद्धान्त से सहमत नहीं है उन्हें इस बात से तो सहमत हो ही जाना चाहिए कि इसे लोकमत संग्रह करने के लिये परिचालित किया जाये।

[श्रीमती रणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

विधेयक में जो आयु रखी गई है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में व्यवहार वयस् भिन्न २ प्रयोजनों के लिये भिन्न भिन्न है। मैंने एक बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि सब प्रयोजनों के लिए व्यवहार-वयस एक ही होनी चाहिये।

श्री शर्मा ने कहा कि यदि संभव होता तो वह लड़कों की आयु सीमा २५ वर्ष रखते किन्तु उन्हें कोई आधार नहीं मिला। मैं इसके लिये एक आधार उन्हें बतलाता हूं। आयुर्वेद के सुश्रुत में ऐसा नियम है कि विवाह के लिए लड़के की आयु २५ वर्ष की होनी चाहिये। इसका कारण यह है कि विवाह में कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिन्हें लड़के लड़की जब तक पर्याप्त आयु के न हों नही समझ सकते। उदाहरणार्थ हिन्दूओं में विवाह में सप्तपदी बोलते समय लड़का लड़की से यह कहता है कि आज से तुम और मैं मिल कर एक हो गये। ऐसे मंत्र है। और जब तक लड़के और लड़की की आयु इस योग्य नहीं हो जाती कि उन्हें समझ सके तब तक विवाह नहीं किया जाना चाहिये।

हमारे पुराने सामाजिक विधायक बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने सभी आवश्यकताओं के लिये व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने यह कहा है कि जब तक सुयोग्य वर न मिल जाये तब तक लड़की का विवाह न किया जाये।

कामम् आमरणम् निष्ठेत गृहे कन्या ऋतुमत्यपि,
न चैवैना प्रयच्छेतु गुनही नाय कर्हिचित्।

इसके अतिरिक्त यदि लड़की विवाह योग्य हो जाये और उसके माता पिता उसका विवाह न कर सके तो ३ वर्ष बाद वह स्वयं भी अपने लिये पति ढूंढ सकती है। इसलिये यह नहीं समझना चाहिये कि श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत विधेयक के लिये कोई आधार नहीं है।

हमें सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की बना देनी चाहिए कि विवाह एक समस्या बनने के पहले ही कर दिया जाये।

ऐसा सुझाव भी रखा गया है कि विधान और लोकमत साथ साथ चलें। वास्तव में हमारे देश में ऐसा ही था। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को परिचालित करने से ऐसा वातावरण तैयार किया जा सकेगा।

†**सभापति महोदय** : डा० सरोजिनी महिषी।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : सभानेत्री जी, माननीय सदस्या ने आप को बुलाया और अब आपने उनको बुलाया है। अब हमारा क्या होगा ?

सभापति महोदया: यह प्रतिदान है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० स ेजिनी महिषी (धारवाड़-उत्तर) : बाल विवाह रोक अधिनियम १९२९ में लागू किया गया था। इसके पूर्व स संबंध में कार्य विधान नहीं था। वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। स्त्रि ों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अवसर मिलता था। सके उपरान्त उपनिषद्, रामायण और महाभारत काल में भी स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के विकास और शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिलता था। इसके बाद बाल विवाह की प्रथा चली। आंकड़ों से हमें पता चलता है कि वर्ण-प्रतिवर्ण बाल विवाह की, और साथ ही विधवाओं और विधुरों की, संख्या ब ती गई। हो सकता है कि माता पिताओं ने अपनी जिम्मेदारियों का बोझा जल्दी से जल्दी हटाने के लिये यह प्रथा अपनाई हो।

मनु के अनुसार विवाह एक संस्कार है, एक ऐसा सबंध है जो अलग नहीं किया जा सकता। किन्तु बाद में ोनों पक्षों को यह अनुमान होने लगा कि संभवतः किन्हीं अवस्थाओं के अन्दर हम इस बंधन को चालू न रख सकेंगे। इसलिये समाज सुधारकों को विधान की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके परिणाम स्वरूप बाल विवाह रोक अधिनियम आदि बने। किन्तु इन विधाओं को गम्भीरता से ला नहीं किया गया। सका कारण क्या है। यही कि सामाजिक विधान का यह भी कार्य है कि वह लोगों को शिक्षित करे।

इस नये विधान के लिये यह समय उचित है। अब कई समाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि लड़कियों की आयु १८ वर्ष और लड़कों की २१ वर्ष कर दी जाये। यह व्यवहार-वमस् है।

श्री वाल्मीकी (खुर्जा) : सभानेत्री जी, अभी तक जो भाषण सदन में हुए है, उन को सुन कर मुझे आश्चर्य ही हुआ है। स मुल्क में कोई सुधार का काम कामयाब हो या न हो, उसको कानन का रू देने का जो तरीका है, वह मुझे पसन्द नहीं है। इसका कारण यह है कि जो भी सुधार हो—चाहे वह विवाह का निषेध हो और चाहे कुछ और हो—, उसकी जड़ जनता के बीच में होनी चाहिये। जहां तक बाल विवाह का संबंध है, उस की हानियों को देश ने पहचाना है और बाल-विवाह को रोकने के लिये १९२९ का जो पुराना कानून शारदा ऐक्ट पास किया गया था, उसका प्रभाव देश में हुआ है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां पर ज्यादातर बाल-विवाह होते थे और मैं आज इस सदन में यह कहने के लिए तैयार हूं कि अब वहां पर बाल-विवाह न के बराबर होते हैं।

आज स प्रकार की स्थिति और इस प्रकार का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर है कि संतति निरोध होना चाहिये। लेकिन जिस प्रकार से यह संतति निरोध करने की कोशिश की जा रही है, वह एक प्रवंचना है, वह एक मेनिया है। यह मेनिया हमारे मस्तिष्क में समा गया है। मैं सको नहीं मानता हूं। मैं चाहता हूं कि देश के अन्दर संयम से लोग काम लें, यम-नियम, ब्रह्मचर्य आदि के जो नियम ऋषि-मुनियों ने बना दिये है, उनका पूर्ण पालन करें। लेकिन आज तो जीवन के अन्दर उछृंखलता और चांचल्य के ही दर्शन होते है। ये त्तियां बढ़ रही है।

हम देखना होगा कि किन स्थितियों के अन्दर यह बाल-विवाह हमारे देश में हुआ करते थे। अब हमारे देश के ऊपर आक्रान्ताओं के आक्रमण होते थे, हमारी नारियों र हाथ उठाये जाते थे उनका अपहरण किया जाता था तो कौमार्य की रक्षा की दृष्टि से छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती थीं। लेकिन उसके बाद शारदा एक्ट बना जो कि एक बुद्धिमता पूर्ण कदम था। उसका देश के अन्दर प्रभाव हुआ। पढ़े लिखे और सभ्य लोगों में इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस कानून का पालन किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बाल्मीकी]

मैं मानता हूं कि कम उम्र के बच्चों की और साथ ही साथ बूढ़ों की भी शादियां नहीं होनी चाहिये। यह भी आवश्यक है कि इस तथ्य को नहीं भुलाना है कि :—

भद्रा बधूर्भवेति यत्सुवशा : स्वयं सा बनुते जने चेत।

सभ्य युवा स्त्री अपने मनोनुकूल प्रिय पात्र युवक को पति स्वीकार करती है। यह धारणा हमारे यहां रही है। जब हम किसी बात पर विचार करने बैठते है, तो केवल पढ़ लिखे आदमियों के बारे में ही विचार करते हैं, जोकि मुट्ठी भर ही है। उनका विचार अगर किया जाये देश में कोई सुधार नहीं हो सकता है। हमको हजारों जो मजदूर हैं, किसान हैं, बे-पढ़े लिखे है, सर्वहारा है, उपेक्षित हैं, उनका भी विचार करना चाहिये। उन पर जिस प्रकार से आप चाहते है, आपके कानून लागू नहीं हो सकते हैं, आपके कानून आयद नहीं हो सकते हैं। शारदा कानून के अन्दर लड़की की उम्र १५ वर्ष थी और लड़के की १८ वर्ष थी। वह ठीक है। वह बुद्धिसंगत है। आज लोग समझ रहे हैं और उनमें कुछ इस प्रकार की भावना जाग्रत हो रही है कि आज के प्रगतिशील युग में छोटी उम्र में शादी नहीं होनी चाहिये। यह ठीक है। लोग यह भी समझ रहे हैं कि अगर उनके अधिक बच्चे हो जायेंगे तो उनका पालन करना आज की कठिन आर्थिक परिस्थिति में उनके लिये मुश्किल हो जाएगा। आज पन्द्रह वर्ष से कम उम्र की शादियां होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं इस उम्र से कम उम्र की शादियां होती हैं, तो वहां पर गौने का प्रचलन है, और यह गौना कहीं सात साल के बाद, कहीं ग्यारह साल के बाद, कहीं पांच साल के बाद और कहीं तीन साल के बाद विभिन्न स्थितियों में होता है। इस से मैं समझता हूं कि माननीय शर्मा जी का जो मंशा है वह पूरा हो जाता है। इस बिल को राय जानने के लिये भेजा जाए, इस की कोई आवश्यकता मैं नहीं देखता हूं। मैं समझता हूं कि इस मोशन पर जोर देने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। हमें चाहिये कि अगर हम इस तरह का कोई सोशल रिफार्म लाना चाहते हैं तो इस के पक्ष में प्रचार करें, जनमत के आधार पर ऐसा वातावरण तैयार करें, कि इस उम्र से कम उम्र की शादियां न हों।

आप देखें कि कितनी इलोपिंग की घटनायें होती हैं, कितनी किडनैपिंग की घटनायें होती हैं। इनको रोकने में हम अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। मैं अभी जब आ रहा था तो दिल्ली के एक अत्यन्त सौंदर्यमय केन्द्र के एक कोने में खड़ा हो गया। वहां से लड़कियां लड़के निकल रहे थे। वे अर्ध निमीलित, अर्ध प्रक्षिप्त आंखों के द्वारा एक दूसरों से नेत्र लड़ाते हुए दूसरों पर नेत्र फेंकते हुए चले जा रहे थे। उन की उम्र चौदह साल से कम ही थी। जहां तक सैक्स का सम्बन्ध है, रिसर्च बताता है कि गर्भ में बैठा हुआ बच्चा है, उस के अन्दर भी सैक्स है, उस के अन्दर भी सैक्स के गुण हैं। इस तरह से कच्ची उम्र में सैक्स की उभरती भावनाओं को समय से रोकने की आवश्यकता है। आज चारों तरफ हम चंचलता ही चंचलता के दर्शन करते हैं। मैं एक वैदिक मंत्र कह कर अपना भाषण खत्म कर दूंगा जिसमें नवयुवती के लिये वेद भगवान का आदेश है :

अधः पश्यस्व मोपरि सन्तरां पादकौ हर।

माते कश पलकौ दृशनत्स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ॥

तुम नीचे देख कर चलो, ऊपर नहीं, पैरों को संकुचित रख कर मिला कर चलो। इस प्रकार के वस्त्र पहन कर चलो कि तुम्हारे कश (ओष्ठ भाग) और प्लक (कटि के ऊपरी भाग) को कोई देखने न पावे।

आज के युग में आप देखते हैं कि किस प्रकार से सौंदर्यता के प्रदर्शन में अश्लीलता, अर्द्धनग्नता, अंग प्रत्यंग का फड़कना, नेत्र आदि की भाव भंगिमायें दिखाई देती हैं। इस वास्ते जो इस प्रकार की चीजें हैं, उन के विरुद्ध जोरदार प्रचार करने की आवश्यकता है।

दो दिन की बात है। एक नारी मेरे पास रोती हुई आई। उस ने बताया कि उस के पति ने जो यहां दिल्ली में एक प्रोफेसर है, अपनी ही शिष्या एक लड़की से शादी कर ली है। उसके तीन बच्चे हैं। वह औरत मारी मारी फिर रही है। उस को कोई न्याय देने वाला नहीं है। इस प्रकार की यह अकेली घटना नहीं है। और भी अनेकों घटनायें होती हैं। इन की ओर भी समाज और सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

मैंने देखा है कि चाइल्ड मैरेज हुई है, उनके जो बच्चे हैं, वे ज्यादा स्वस्थ हैं और जिन की पैंतीस साल की उम्र में मैरेज हुई है, उनके जो बच्चा हुआ है, वह कमजोर था, केवल तीन पाउंड का और दो घंटे जीवित से रह सका। डाक्टर लोग बताते हैं कि उन के बच्चे क्यों स्वस्थ या अस्वस्थ होते हैं। इस पर भी विचार करना चाहिये।

मैं इस बिल का विरोध करता हूं। जो सुधार हो, वह धीमे-धीमे जनता की राय से आना चाहिये। सुधार देश में हो रहे हैं, भावनायें देश में उदित हो रही हैं। आर्य समाज जैसी संस्थायें अनेक इस प्रकार के सुधारवादी कार्य कर रही हैं। हमारे प्रोफेसर, जो हमारे मित्र हैं, वह विधुर हैं। हमारे देश में कहावत है, कि विधुर क्वारों से ज्यादा सैक्स के मामले में खबर रखते हैं। लेकिन उन की राय जरा बेहतर होती है। उन की राय की मैं कद्र करता हूं। हमारे विचारों में संयम का होना बहुत आवश्यक है। सदभावना का होना बहुत आवश्यक है। आज देश में जोरदार प्रचार होना चाहिये ताकि इस बिल की जो भावना है, उस की पूर्ति हो सके। अशिक्षित समाज के अन्दर, बे पढ़े लिखे लोगों के अन्दर इसका प्रचार होना चाहिये और देश की आर्थिक ढांचे को देखते हुए, देश के सामाजिक ढांचे को देखते हुए, देश की सामाजिक स्थिति के देखते हुए हमें चलना है। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि इस बिल की राय जानने के लिए भेजने की कोई आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि लोगों में जा कर जोरदार इस बारे में प्रचार करने की आवश्यकता है। यह काम तब अपने आप पूरा हो जाएगा। मैं इस बिल का विरोधी हूं और मैं नहीं समझता हूं कि हर सुधार के काम में हमें टांग अड़ाने की आवश्यकता महसूस होनी चाहिये।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : सभानेत्री जी, मैं शर्मा जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारिकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने समाज सुधार का यह सुन्दर बिल यहां उपस्थित किया है।

यह बात जो कही जाती है कि हर एक काम के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है, इस को मैं नहीं मानता हूं। बिना कानून के समाज सुधार का काम नहीं हो सकता है।

दण्डः शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति

अगर दण्ड न हो, अगर कानून न हो, तो राज व्यवस्था चल नहीं सकती है, राज व्यवस्था हो नहीं सकती है। इस के बिना कोई सामाजिक सुधार भी नहीं हो सकता है। यह बहुत जरूरी था और मैं समझता हूं कि बड़े उपयुक्त समय पर वह इस बिल को लाए हैं और इस को लाने के लिए मैं उन को मुबारिक बाद पेश करता हूं।

यह भी जरूरी है कि बूढ़ों के विवाह रोकने की कोशिश की जाए। बूढ़े जो विवाह करते हैं, उसके विरुद्ध कोई आन्दोलन नहीं होता है कोई कोशिश नहीं की जाती है। जब से ५८ साल पर रिटायर करने की बात आई है और इस में तीन साल और बढ़ा दिये गए हैं, तब से यह टेंडेंसी और भी ज्यादा

[श्री यशपाल सिंह]

बढ़ रही है। जो बेरोजगार हैं, उन को रोजगार नहीं मिलता है दूसरी तरफ इन को तीन साल के लिए और रख लिया गया है। इससे बेरोजगारी में वद्धि हुई है। नौजवानों की शादियां नहीं होती हैं, और आपने जब से यह तीन साल की अवधि बढ़ाई है, तब से यह टेंडेंसी बढ़ रही है। यह कौन सोचता है कि जो सेहरे की रस्म या यह मौर की रस्म आई है, यह इसलिए आई है कि बूढ़े लोग विवाह करते थे, तो उन के नकली दांत कोई न देख ले, उन के चेहरों की झुर्रियां कोई न देख ले, उन के सफेद बाल कोई न देख ले। सेहरा और मौर की जो रस्म है, यह बन्द की जाए। जिस सुधार के लिए, जिस रिफार्म के लिए यह बिल पेश किया है, उस के लिए मैं आप को बधाई देता हूं। यह जरूर है कि इस कोटोजम के युग में यह उम्र कुछ ज्यादा है। अगर इस को एक साल कम कर दिया जाए तो अच्छा होगा। हिन्दुस्तान की हालत ऐसी है कि लोग डाल्डा ज्यादा खाने लग गए हैं। इस का नतीजा यह है कि बूढ़े या बच्चे ही रहते हैं. बीच की स्टेज खत्म होती जा रही है।

तिफ्ली गई अलामते पीरी अयां हुई
हम मुन्तजिर ही रह गये अहले शबाब के।

इस वास्ते मैं समझता हूं कि एक साल अगर कम कर दिया जाए तो और अच्छा हो और बूढ़ों की शादी के ऊपर जरूर रोक लगाई जा ।

†विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : यह अधिनियम १९२९ में पारित किया गया था और उस समय से कई परिवर्तन समाज में हुए हैं जिस के कारण इस अधिनियम का संशोधन और पुनर्वेक्षण आवश्यक हो गया है। लड़के और लड़कियों की विवाह करने की आयु में वद्धि करने के प्रश्न पर १९४८ में विचार किया गया था और लड़कों और लड़कियों के लिये यह सीमा बढ़ा कर क्रमशः १८ और १५ वर्ष कर दी गई थी। १९४९ में एक अधिनियम पारित कर दिया गया था।

दूसरी लोक सभा की अवधि में श्री दी० चं० शर्मा ने एक विधयक पेश किया था जिस का तात्पर्य धारा १२ की उपधारा (२) के लोप के बारे में था। वह यह व्यवस्था करता है कि जब न्यायालय को व्यादेश (इजंक्शन) देने के लिए प्रार्थना की जाती है, तो न्यायालय को व्यादेश (इजंक्शन) देने से पहले पक्ष को सुनने का अवसर देना चाहिए। अतः इस सभा में कहा गया था कि इस अधिनियम का उल्लंघन इसलिए होता था कि इस प्रक्रिया से विलम्ब होती थी। किसी के मन में ऐसा सन्देह नहीं होना चाहिए कि जब कोई गैर सरकारी सदस्य विधेयक लाता है, तो सरकार बिना सोचे उसका विरोध करती है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने गैर सरकारी विधेयकों के असूलों को और उनके परिवर्तन को स्वीकार किया है। अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के लोप के लिए श्री दी० चं० शर्मा ने द्वितीय लोक सभा में एक प्रस्ताव पेश किया था वह रूप सरकारों को परिचालित किया गया था और अब हम इस विषय पर एक व्यापक विधेयक ला रहे हैं। हम ने राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया है और उन का सुझाव कि धारा १२ की उपधारा (२) का लोप किया जाना स्वीकार कर लिया है। अतः यह कहना गलत है कि गैर सरकारी विधेयक की ओर सरकार ध्यान भी देती है।

चूंकि विवाह और बच्चों सम्बन्धी कानून समवर्ती सूची में है, अतः राज्य सरकारों की राय लेना आवश्यक है। लोगों की राय जानने का प्रश्न नहीं है। हो सकता है कि इस से कोई निष्कर्ष न

---

†मूल अंग्रेजी में

निकले और देरी भी हो जाए। उन के विधेयक की सूचना मिलने के बाद हम ने फैसला किया है कि विवाह की आयु की वृद्धि करने के प्रश्न पर राज्यों की राय ली जाए। जब कोई भी समान सुधार करना होता है तो यह देखना पड़ता है कि उस परिवर्तन को लागू भी किया जा सकता है। मैं आप को और सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि इस विशिष्ट प्रश्न पर राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा।

इस बात का ध्यान रखते हुए मैं प्रो० शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विधेयक पर लोकमत के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव को वापिस लें।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : हमें इस सभा में विधेयक लाने का क्या लाभ है, जब कि उन्हें शुरू में ही दबा दिया जाता है।

माननीय उपमंत्री ने कहा है कि इस मामले पर राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि राज्य सरकारों की राए मिलने के बाद क्या होगा।

†**श्री विभुचेन्द्र मिश्र** : इस पत्र का उत्तर देना असम्भव है। क्या पता उनकी क्या राय होंगी ?

†**सभापति महोदय** : मान लीजिए कि राज्य सरकारें इस विधेयक के पक्ष में हैं, तो क्या प्रक्रिया होगी ?

†**विभुचेंद्र मिश्र** : यदि राए पक्ष में होगी, तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। जब तक हमें उन की राए का न पता चले तो कैसे कहा जाए उसे क्या होगा ?

†**श्री बी० चं० शर्मा** : चूंकि माननीय मंत्री ने कहा कि इस पर राज्य सरकारों की राए ली जाएगी और मुझे पता है इसका क्या निष्कर्ष होगा और मैं अपने दल का आज्ञाकारी सदस्य हूं, अतः मैं विधेयक वापिस लेता हूं।

†**सभापति महोदय** : मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

(लोकसभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में ५५ विपक्ष में ५)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक वापस लिया गया।

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (संशोधन) विधेयक (नई धारा ७-क का रखा जाना)

नई धारा ७ का रखा जाना

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनयम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

†**सभापति महोदय** : वह अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे ? सभा मंगलवार, १२ मार्च, के ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार १२ मार्च, १९६३/२१ फाल्गुन १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, ८ मार्च, १९६३

---

१७ फाल्गुन, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१३६५–९०
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३२२	यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का शामिल होना .	१३६५—६९
३२३	अवैध व्यापार पत्तन	१३६९–७०
३२४	सरकारी उपक्रम	१३७०—७३
३२५	आसाम का औद्योगिक विकास	१३७३–७४
३२६	दुर्गापुर में औजारी तथा धातुमिश्रित इस्पात तैयार करने का कारखाना	१३७५–७६
३२८	पंजाब में बाल बेयरिंग बनाने का कारखाना . .	१३७६
३२९	गुजरात में कच्चे लोहे की कमी . . .	१३७६—७९
३३०	किस्म नियंत्रण तथा निर्यात से पहले निरीक्षण . .	१३७९—८१
३३१	अखबारी कागज के मूल्य	१३८१—८४
३३२	कागज के मूल्यों में वृद्धि	१३८४—८६
३३४	कच्चे पटसन के मूल्य	१३८६—८८
३३५	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल . . .	१३८९–९०
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१३९१
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३२७	रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र . . .	१३९१
३३३	सीमेंट के व्यापारी	१३९१–९२
३३६	इस्पात की उत्पादन लागत	१३९२
३३७	अफगानिस्तान के व्यापार शिष्टमंडल की भारत यात्रा .	१३९३
३३८	सीमेंट के कारखाने	१३९३–९४
३३९	विशाखापटनम और गोआ में इस्पात का कारखाना . .	१३९५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

३४०	इस्पात वितरण सम्बन्धी समिति . . .	१३६५–६६
३४१	एच० एम० टी० द्वारा निर्मित घड़ियों में खराबी . .	१३६६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६०१	इंजीनियरी के माल के लिये निर्यात प्रोत्साहन योजना	१३६६
६०२	कोटा में शुद्ध मापक यंत्रों की फैक्टरी . . .	१३६६–६७
६०३	कांच उद्योग	१३६७
६०४	भारी उद्योग	१३६७
६०५	महाराष्ट्र में कताई मिल	१३६८
६०६	निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन . .	१३६८
६०७	ढलाई तथा गढ़ाई परियोजना . .	१३६८–६६
६०८	अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार . .	१३६६
६०९	राजकीय व्यापार निगम द्वारा वस्तु विनिमय करार .	१३६६–१४००
६१०	पश्चिम बंगाल में नमक फैक्टरियां .	१४००
६११	कपड़ा उद्योग के लिये लाइसेंस जारी करना .	१४००–०१
६१२	रूरकेला इस्पात संयंत्र . . .	१४०१
६१३	राज भाषा (विधान) आयोग . . .	१४०१
६१४	आयात लाइसेंस	१४०२
६१५	बिजली के पंखे	१४०२
६१६	सिलाई की मशीनें	१४०२–०३
६१७	"लगातार ढलाई तरीका" . .	१४०३
६१८	आसाम में चाय नीलामी बाजार . .	१४०३
६१९	लंका चाय बोर्ड	१४०४
६२०	पंजाब को लोहे का आवंटन .	१४०४
६२१	मद्रास राज्य में हथकरघे का कपड़ा .	१४०४–०५
६२३	चाय उत्पादन लागत	१४०५
६२४	नारियल के गोले का आयात . . .	१४०५–०६
६२५	आयात तथा निर्यात लाइसेंस . .	१४०६
६२६	पोर्टेबल टाइपराइटर फैक्टरी	१४०६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६२७	उर्वरक कारखाना, रूरकेला	१४०६–०७
६२८	निर्यात होने वाले नारियल जटा उत्पादों का किस्म नियंत्रण .	१४०७
६२९	हथकरघा उद्योगों में निर्यात	१४०७
६३०	जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारी उद्योग . .	१४०७–०८
६३१	आटो रिक्शा गाड़ियों का आयात . . .	१४०८
६३२	कांगड़ा में चाय परिष्करण संयंत्र . . .	१४०८—१०
६३३	दुर्गापुर में रसायन निर्माण परियोजना . . .	१४१०
६३४	औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना . . .	१४१०–११
६३५	छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग . . .	१४११
६३६	जम्मू तथा काश्मीर राज्य में इस्पात संयंत्र . .	१४११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १४१२—१५

श्री अ० र० चक्रवर्ती ने ६ मार्च, १९६३ को जब कुछ व्यक्तियों ने दिल्ली के टाउन हाल पर धावा बोल दिया था उस समय पुलिस के टाउन हाल तक पहुंचने में विलम्ब की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र १४१५

समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६२० की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, उक्त एक्ट की धारा ६२० की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निकाली जाने वाली प्रस्तावित अधिसूचना के प्रारूप की एक प्रति उस पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित टेबल पर रखी गई ।

विधेयक पर राय
सभा पटल पर रखी गई १४१५

श्री श्रीनारायण दास ने राज्यों की विधान परिषदों की रचना तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, जिसे, ८ जून, १९६२ को सभा के निदेशानुसार उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, पत्र संख्या १ सभा पटल पर रखा ।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १४१५–१६

श्री कृष्णमूर्ति राव ने भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

विधेयक पर साक्ष्य सभा पटल पर रखा गया १४१६

श्री कृष्णमूर्ति राव ने भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . १४१६—२०

सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

संयुक्त समिति में रिक्त स्थान के प्रतिवेदन के लिये एक सदस्य की नियुक्ति १४२०

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने यह प्रस्ताव किया कि ईसाइयों के विवाह तथा वैवाहिक वादों संबंधी विधि को संशोधित तथा संहिताबद्ध करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में स्वर्गीय श्री मूल चन्द दुबे के स्थान पर श्री मन्नूलाल द्विवेदी को नियुक्त किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . . . . १४२०—४२

रेलवे आयव्ययक १९६३–६४ के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या २ से १६ और १८ पर अग्रेतर चर्चा हुई और मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हुई ।

गैर सरकारी सदस्यों की विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत

चौदहवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक वापस लिया गया . . १४४३—५७

श्री दी०च० शर्मा ने **बाल** विवाह रोक (संशोधन) विधेयक, १९६२ (धारा २ और ३ का संशोधन) पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने संबंधी प्रस्ताव पर वाद विवाद का उत्तर दिया । विधेयक को वापस लेने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक वापस लिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक विचाराधीन . . . १४५७

श्री च० का० भट्टाचार्य ने यह प्रस्ताव किया कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (संशोधन) विधेयक १९६३ (नई धारा ७क का रखा जाना) पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलावर १२, मार्च, १९६३/३१ फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

सामान्य आय व्ययक १९६२–६३ के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान; सामान्य आय-व्ययक (१९६३–६४) पर सामान्य चर्चा ।

———

अनुदानों की मांगें रेलवे—जारी	पृष्ठ
श्री कछवाय	१४३३–३५
श्री च० का० भट्टाचार्य	१४३५
श्री वेंकटासुब्बया	१४३५–३६
श्री मा० ल० जाधव	१४३६–३७
श्री स्वर्ण सिंह	१४३७–४३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	१४४३–४५
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक	१४४५–५७
(धारा २ और ३ का संशोधन)	
(श्री दी० चं० शर्मा का)	
परिचालित करने का प्रस्ताव	
श्री दी० चं० शर्मा	१४४५
श्री स० मो० बनर्जी	१४४६
श्रीमती रेणुका राय	१४४६
डा० मा० श्री अणे	१४४६–४७
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	१४४७
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	१४४७–४८
श्री हैडा	१४४८–४९
श्रीमती यशोदा रेड्डी	१४४९–५०
श्री कछवाय	१४५०–५१
श्रीमती ज्योत्सना चंदा	१४५१
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१४५१–५२
श्री च० का० भट्टाचार्य	१४५२
डा० सरोजिनी महिषी	१४५३
श्री बाल्मीकी	१४५३–५५
श्री यशपाल सिंह	१४५५–५६
श्री बिभुधेन्द्र मिश्र	१४५६–५७
श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (संशोधन) विधेयक (श्री च० का० भट्टाचार्य का)	
(नयी धारा ७-क का रखा जाना)	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री च० का० भट्टाचार्य	१४५७
दैनिक संक्षेपिका	१४५८–६१

PLS. 41. XIV. 15.63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।